विशेषांक

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 65 अंक : 10 पृष्ठ : 80 अगस्त 2019 मूल्य : ₹ 30

केंद्रीय बजट 2019-20

Scanned by CamScanner

ग्रामीण भारत हेतु बजट 2019-20 पर प्रधानमंत्री के विचार

- ये बजट देश को समृद्ध बनाएगा और यहां के लोग अधिक सशक्त होंगे। गरीब सशक्त होंगे और युवाओं को इस बजट से बेहतर भविष्य गिलेगा।
- इस बजट में वित्तीय दुनिया के लिए सुधार हैं तो आम नागरिक के जीवन को सुलभ बनाने के साथ–साथ गांवों तथा गरीबों के हित का भी ध्यान रखा गया है।
- पिछले पांच सालों में हमारी सरकार ने गरीबों, किसानों, अनुसूचित जाति, शोषित और दलितों को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अगले पांच सालों में यह सशक्तीकरण उन्हें विकास का 'पॉवर हाउस' बना देगा।
- पीएम किसान के जरिए किसानों के खातों में 87 हजार करोड़ रुपये स्थानांतरित करने का फैसला हो या दस हजार से अधिक किसान उत्पादन संगठनों के गठन का, मत्स्यकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या राष्ट्रीय वेयरहाउसिंग ग्रिड का निर्माण– ये सभी फैसले 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- बिना मानव श्रम के जल–संरक्षण नहीं हो सकता है। जन–आंदोलन के जरिए जल–संरक्षण संभव है। इस बजट में केवल इस पीढ़ी का ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के हितों का भी ध्यान रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह 'हर घर जल' अभियान के जरिए देश जल संकट से उबर पाएगा।

Scanned by CamScanner

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 65★ मासिक अंक : 10★ पृष्ठ : 80 ★ श्रावण–भाद्रपद 1941★ अगस्त 2019

प्रधान संपादक
शमीमा सिद्दीकी
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
गजानन पी. थोपे
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

इस अंक में

कृषि और किसान कल्याण को उच्च प्राथमिकता — डॉ. यशबीर सिंह शिवे, डॉ. अंशु रहल — 5

कृषि सुधारों से किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी — सतीश सिंह — 11

बजट और ग्रामीण अवसंरचना विकास — संजय झा — 18

सड़क और संचार क्रांति से बदलता ग्रामीण भारत — अरविंद कुमार सिंह — 23

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का अर्थशास्त्र — डॉ. अमीय कुमार महापात्रा — 29

केंद्रीय बजट 2019-20 : स्वस्थ भारत की ओर — आलोक कुमार, उर्वशी प्रसाद — 34

स्वस्थ, सुपोषित और आयुष्मान भारत की परिकल्पना — चंद्रकांत लहारिया — 42

शिक्षा की नींव मजबूत बनाने के प्रयास — चंद्रभूषण शर्मा — 47

ग्रामीण भारत का कौशल एवं उद्यमशीलता विकास — ए. सूजा, शमीम आरा — 51

संतुलित विकास के लिए एमएसएमई को बढ़ावा — डॉ. श्रीपर्णा बी. बरुआ — 55

स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में कदम — ऋषभ कृष्ण सक्सेना — 58

समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन — मंजुला वाधवा — 63

बजट में महिला एवं बाल विकास संबंधी पहलू — डॉ. संतोष जैन पारसी, आकांक्षा जैन — 67

'स्वच्छ भारत' से 'सुंदर भारत' की ओर — डॉ. उत्सव कुमार सिंह — 72

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 56, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 56, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453
कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

Scanned by CamScanner

संपादकीय

केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई, 2019 को संसद में अपना पहला बजट पेश किया। वित्तवर्ष 2019–20 के लिए पेश किए गए इस बजट में 'गांव, गरीब और किसान' को सशक्त करने पर जोर है। बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को काफी बढ़ावा दिया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। ऐसे में जाहिर तौर पर कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों से जुड़े गैर–कृषि क्षेत्र में देश के आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने की जबर्दस्त संभावना है। बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की सरकारी नीतियों को और प्रभावकारी बनाया गया है, ताकि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। साथ ही, नीतियों में बदलाव करते समय रोजगार सृजन, कौशल उन्नयन और सामाजिक न्याय व गरीबी उन्मूलन के साथ आर्थिक विकास जैसे लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा गया है।

केंद्रीय बजट 2019–20 में ज़ीरो बजट खेती को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया है। इसके तहत रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के जोरदार और असंतुलित उपयोग के मौजूदा चलन के बदले कम लागत वाले प्राकृतिक विकल्प को बढ़ावा देने की बात है। सरकार कृषि संबंधी आधारभूत संरचना में निवेश को लेकर प्रतिबद्ध है। बजट में कहा गया है कि सरकार निजी उद्यमों की मदद करेगी, ताकि किसानों के उत्पादों और अन्य संबद्ध गतिविधियों में मूल्य संवर्द्धन किया जा सके।

भारतमाला और सागरमाला जैसी पहल के जरिए यातायात के लिए संपर्क सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे आधारभूत संरचना के विकास और इलैक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ 'एक देश एक ग्रिड' की अवधारणा भी मजबूत होगी। पिछड़े क्षेत्रों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए सड़कों के बेहतर संपर्क पर विशेष ज़ोर दिया गया है। मुख्य तौर पर राजमार्गों, अक्षय ऊर्जा, आवास, डिजिटल आधारभूत संरचना और शहरी परिवहन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

स्वास्थ्य बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है किंतु 'आयुष्मान भारत' जैसे अहम कार्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी ही पर्याप्त नहीं है; निश्चित समय के भीतर बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा।

शिक्षा किसी देश द्वारा अपने लोगों और भविष्य के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण निवेश है। शिक्षा में निवेश किसी भी देश के लिए विकास के लिहाज से बेहद लाभकारी है। अतः बजट 2019–20 में 'भारत में अध्ययन करें' जैसा कार्यक्रम भी है, जिसका मकसद भारत को शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर लाना और उच्च शिक्षा के 'हब' के रूप में देश का प्रचार–प्रसार करना है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य स्कूलों और उच्च शिक्षा के संस्थानों में सुधार करना है। राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन महत्वपूर्ण क्षेत्रों मे शोध को बढ़ावा देगा और 'खेलो इंडिया' के तहत खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बजट का केंद्र समावेशी विकास है। चाहे कृषि हो, उद्योग या व्यापार– तमाम क्षेत्र बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इस बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का ऐलान किया गया है। दूसरा, बजट में रिज़र्व बैंक को अतिरिक्त अधिकार देने की भी बात कही गई है। इसका मकसद गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर नियामकीय नियंत्रण मजबूत करना है।

'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने और पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से पारम्परिक उद्योग पुनर्जीवन निधि योजना 'स्फूर्ति' चलाई जा रही है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा आम सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित कर क्लस्टर–आधारित विकास को आगे बढ़ाना और पारंपरिक उद्योगों को ज्यादा उत्पादक, मुनाफे वाला बनाने के साथ–साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में सक्षम बनाना है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 80 आजीविका व्यापार इनक्यूबेटर और 20 तकनीक व्यापार इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने से जुड़ी 'एस्पायर' योजना को भी मजबूत बनाने का फैसला किया गया है।

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचाने में एमएसएमई को अहम भूमिका निभानी होगी। रोजगार सृजन, निर्यात, लोगों को कौशल मुहैया कराने और अपने क्षेत्र को ज्यादा संगठित बनाने के लिए एमएसएमई को काम करना होगा, ताकि सुधारों का फायदा उठाया जा सके। आने वाले वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में व्यापक अवसर की संभावना है। इसके अलावा, तकनीकी बेहतरी और डिजिटाइजेशन के लिए एमएसएमई को कर्ज़ की सुविधा बढ़ाने पर सरकार के जोर के कारण यह क्षेत्र न सिर्फ अपने वैश्विक समकक्षों के साथ प्रभावकारी ढंग से मुकाबला कर सकता है, बल्कि 'मेक इन इंडिया' अभियान में भी असरदार भूमिका निभा सकता है।

केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 4 जुलाई, 2019 को संसद में 2018–19 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 'गैर–परंपरागत सोच' को आधार बनाने का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि बचत, निवेश और निर्यात के 'बेहतर चक्र' से इन लक्ष्यों को निरंतर हासिल किया जा सकता है। निवेश, विशेष रूप से निजी निवेश को मांग बढ़ाने में अहम बताया गया है, जो मांग और क्षमता तैयार करता है, श्रम उत्पादकता बढ़ाता है, नई तकनीक पेश करता है और रोजगार पैदा करता है।

'स्वच्छ भारत' मिशन की अभूतपूर्व सफलता को स्वीकार किए बिना ग्रामीण भारत के विकास की कहानी अधूरी है। यह मिशन सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने में एक क्रांतिकारी पहल है और इस सिलसिले में उल्लेखनीय प्रगति भी देखने को मिली है। कुल मिलाकर, बजट में सभी क्षेत्रों पर संतुलित तरीके से ध्यान देने की कोशिश की गई है, ताकि सभी क्षेत्र बेहतर और नया भारत बनाने के लिए मिलकर काम कर सकें।

Scanned by CamScanner

कृषि और किसान कल्याण को उच्च प्राथमिकता

–डॉ. यशबीर सिंह शिवे, डॉ. अंशु रहल

सुरक्षित और खाद्यान्न की दृष्टि से स्वावलंबी भविष्य के लिए कृषि क्षेत्र में भारी बदलावों की जरूरत है। भारतीय कृषि में हरितक्रांति से उत्पादकता के स्थान पर हरित तकनीक से स्थायित्व की ओर बढ़ना होगा। साथ ही, संसाधन–कुशल तकनीक, गत्यात्मक फसलशैली के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेतीबाड़ी तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के गहन इस्तेमाल को भारत में छोटी जोत की कृषि का आधार बनाना होगा।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 3.5 प्रतिशत का प्रावधान था। वर्ष 2019–20 के बजट व्यय में इस क्षेत्र के लिए 5.4 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है और इस प्रकार कृषि के लिए बजटीय प्रावधान में 1.9 प्रतिशत अंकों (सर्वाधिक वृद्धि) की बढ़ोतरी हुई है। आवंटन की दृष्टि से कृषि और सहयोगी गतिविधियों के लिए 2019–20 के बजट में 1,42,299 करोड़ रुपये रखे गए हैं, 2018–19 की तुलना में इसमें 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। हालांकि इस आवंटन का बड़ा हिस्सा "सुनिश्चित आय समर्थन योजना" जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के लिए 900 करोड़ रुपये हैं। वित्तवर्ष 2019–20 का केंद्रीय बजट 'गांव, गरीब और किसान' को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था 2014 में लगभग 1.85 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की थी और 5 वर्ष के अंदर यह 2.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है। अनाज, दलहन, तिलहन, फल और सब्जियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और निर्यात महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, जो अगले 5 वर्ष में 5 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत में बड़ी जनसंख्या के लिए खेती पहले से ही एक प्रमुख व्यवसाय बनी हुई है। समय के साथ–साथ कई नई चुनौतियां इस क्षेत्र के समक्ष उभरी हैं। विशेषकर उत्पादकता में कमी, खेती की लागत में बढ़ोतरी और प्रति इकाई क्षेत्र शुद्ध लाभ में कमी, कृषि जोत के अलग–अलग होने और जल संसाधनों में कमी की स्थिति में संसाधन कुशल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित जलवायु अनुकूल कृषि अपनाने से कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सकती है। समुचित प्रौद्योगिकी विशेषकर एकीकृत कृषि प्रणाली और प्राकृतिक, जैविक और न्यूनतम लागत वाली कृषि अपनाने से छोटी जोत की खेतीबाड़ी आजीविका का आकर्षक साधन बन सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए सहयोगी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विशेषकर, डेरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के पालन पर ध्यान दिया जाना होगा। खाद्य सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने तथा खाद्य प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के और अधिक इस्तेमाल से भारत में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

कृषि और सहयोगी क्षेत्र, रोजगार और देश की पारिस्थितिकीय कृषि प्रणाली में प्रमुखता रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। गरीबी समाप्त करने के और समावेशी वृद्धि के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कृषि कार्यों को सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ने की जरूरत है। सतत विकास लक्ष्यों और कृषि में स्थायित्व हासिल करने के लिए कृषि जोतों के आकार में कमी के साथ छोटी जोत की खेतीबाड़ी में संसाधनों की कुशलता पर ध्यान देना होगा। साथ ही,

Scanned by CamScanner

संसाधन–कुशल तकनीक, गत्यात्मक फसलशैली के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेतीबाड़ी तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के गहन इस्तेमाल को भारत में छोटी जोत की कृषि का आधार बनाना होगा। सुरक्षित और खाद्यान की दृष्टि से स्वावलंबी भविष्य के लिए कृषि क्षेत्र में भारी बदलावों की जरूरत है। भारतीय कृषि में हरितक्रांति से उत्पादकता के स्थान पर हरित तकनीक से स्थायित्व की ओर बढ़ना होगा।

कृषि में सकल मूल्य संवर्धन

भारत में कृषि क्षेत्र वृद्धि की दृष्टि से चक्रीय गति से गुजरता है। वर्ष 2014–15 से 2017–18 के दौरान पशुपालन और वानिकी क्षेत्र में वृद्धि दर में उतार–चढ़ाव रहा, वहीं मत्स्य क्षेत्र में 2012–13 के 4.9 प्रतिशत के स्थान पर 2017–18 में 11.9 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई। कृषि और सहयोगी क्षेत्रों में वास्तविक वृद्धि दर 2014–15 से 2018–19 के दौरान लगभग 2.88 प्रतिशत रही है। हालांकि बदलाव के गुणक द्वारा मापी गई उत्पाद वृद्धि दर 1961 से 1988 के 2.7 प्रतिशत से कम होकर 1989 से 2004 के दौरान 1.6 प्रतिशत हो गई। इसके बाद 2005 से 2018 के दौरान यह और भी कम होकर 0.8 प्रतिशत पर आ गई।

कृषि और सहयोगी क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण

कृषि और सहयोगी क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण 2012–13 के 2,51,094 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में 2011–12 के मूल्यों पर 2,73,755 करोड़ हो गया है।

कृषि में सकल पूंजी निर्माण में सरकारी और निजी क्षेत्र के निवेश की तुलना से यह स्पष्ट है कि जहां सार्वजनिक निवेश भागीदारी में 2014–15 से बढ़ोतरी हुई और 2016–17 तक इसमें वृद्धि का रुख बना रहा, वहीं सकल पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र की निवेश भागीदारी से स्पष्ट है कि इस दौरान इसमें गिरावट का रुख रहा। 2019–20 के केंद्रीय बजट में कृषि और सहयोगी क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान तालिका–1 में दिखाया गया है।

कृषि में सिंचाई जल उत्पादकता (आईडब्ल्यूपी) में बढ़ोतरी

भारत में फसलशैली में जल–आधारित फसलों की बहुलता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी प्रोत्साहन योजनाएं, भारी सब्सिडी वाली बिजली, जल और उर्वरक ने देश की फसलशैलियों के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धान और गन्ने की फसल में देश में उपलब्ध सिंचाई जल का 60 प्रतिशत से अधिक लग जाता है और अन्य फसलों के लिए पानी की कमी हो जाती है।

हाल के केंद्रीय बजट 2019–20 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 9682 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जोकि पिछले वर्ष के बजट प्रावधानों से 17.34 प्रतिशत अधिक है। बढ़े हुए बजट प्रावधानों से ड्रिप सिंचाई और छिड़काव वाली सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी की जाएगी। इस प्रकार इससे कृषि में सिंचाई जल उत्पादकता में वृद्धि होगी, जो आज समय की जरूरत है।

जैविक और प्राकृतिक कृषि को अपना कर कृषि स्थायित्व बढ़ाना

सरकार देश में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) जैसी योजनाओं के जरिए जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2018 के दौरान

Scanned by CamScanner

पीकेवीवाई के संशोधित दिशा–निर्देशों में प्राकृतिक कृषि, वैदिक कृषि, गौ–पालन, घरेलू कृषि, शून्य निवेश वाली प्राकृतिक कृषि जैसी विभिन्न पद्धतियां शामिल की गई हैं। राज्यों को किसानों की पसंद के आधार पर जैविक कृषि का कोई भी मॉडल चुनने की छूट दी गई है। आरकेवीवाई योजना के तहत जैविक कृषि/प्राकृतिक कृषि परियोजना के घटकों पर संबंधित राज्य–स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) द्वारा उनकी प्राथमिकता/चुनाव के अनुसार विचार किया जाता है।

शून्य निवेश वाली प्राकृतिक कृषि का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों का उपयोग समाप्त कर उत्तम कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना है। शून्य बजट वाली प्राकृतिक कृषि का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं से कृषि उत्पादों का संरक्षण और रसायन–मुक्त कृषि उत्पाद सुनिश्चित करना है। ज़ीरो बजट वाली कृषि को बढ़ावा देकर मृदा उर्वरकता और मृदा जैविकता भी संरक्षित रखी जा सकती है। इसके तहत खेतीबाड़ी के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है और यह जलवायु–अनुकूल कृषि प्रणाली है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत यह कार्यक्रम 131 समुदाय समूहों में लागू किया जा रहा है, जिसके दायरे में 704 गांव हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 1300 समुदाय समूहों में यह कृषि पद्धति लागू की जा रही है, जिसके तहत 268 गांव आएंगे। अब तक 1,63,034 किसान ज़ीरो बजट वाली प्राकृतिक कृषि पद्धति अपना रहे हैं। राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन (एनएमएसए) के तहत जैविक कृषि को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।

छह राज्यों– कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश ने पहले ही यह तकनीक अपना ली है। इसमें कम पानी की जरूरत होती है और लागत खर्च भी कम बैठता है, लेकिन उपज अधिक मिलती है। शून्य निवेश वाली प्राकृतिक कृषि के बाद आंध्र प्रदेश में कृषि लागत में भारी कमी और उपज में सुधार दर्ज किया गया है (तेलंगाना सरकार 2017)।

केंद्र सरकार कृषि में शून्य बजट वाली खेतीबाड़ी और निजी उद्यम को बढ़ावा दे रही है, इसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने 5 जुलाई, 2019 को अपना पहला बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था– "हमें शून्य लागत वाली बुनियादी कृषि की ओर लौटना होगा। हमें नवाचारी मॉडल अपनाने की जरूरत है, जिसमें कुछ राज्यों में किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इससे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी"।

छोटी जोत वाली कृषि के लिए समुचित प्रौद्योगिकी अपनानी

छोटे पैमाने पर खेतीबाड़ी के लिए उचित पर्यावरण–अनुकूल कृषि पद्धति को बढ़ावा देने की जरूरत है। छोटी और सीमांत कृषि जोतों के लिए, विशेषकर कठिनाई वाले क्षेत्रों में, उच्च प्रौद्योगिकी तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना की जा सकती है। वर्ष 2014–15 से लेकर 2017–18 तक कृषि तकनीक योजना उप–मिशन (एसएमएएम) के तहत कुल 8162 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। फसल अवशेष के स्व–स्थाने प्रबंधन की कृषि तकनीक के संवर्धन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, यह पिछले वर्ष की तुलना में 1.35 प्रतिशत अधिक है।

एक दशक की परिकल्पना

- वास्तविक और सामाजिक बुनियादी ढांचा तैयार करना
- डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाना
- हरी–भरी धरती और नीले आकाश के साथ प्रदूषण–मुक्त भारत
- विशेषकर एमएसएमई, स्टार्टअप्स, रक्षा निर्माण, वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रों और बैटरियों तथा चिकित्सा उपकरणों के साथ मेक इन इंडिया
- जल, जल प्रबंधन, स्वच्छ नदियां
- नीली अर्थव्यवस्था
- अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चन्द्रयान और उपग्रह कार्यक्रम
- खाद्यान्नों, दालों, तिलहनों, फलों और सब्जियों में आत्मनिर्भरता और निर्यात
- स्वस्थ समाज–आयुष्मान भारत; अच्छी तरह से पोषित महिला और बच्चा; नागरिकों की सुरक्षा
- जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया; न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन।

रांचार सुविधा बढ़ाने और लेनदेन लागत कम करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग छोटी जोत की कृषि में महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन के प्रसार से छोटे और सीमांत किसानों को मृदा स्वास्थ्य, मौसम और मूल्यों के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिली है। कमजोर अवसंरचना के संदर्भ में कृषि में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बाजार तक पहुंच बढ़ेगी, वित्तीय समावेशन संभव होगा और पूर्व–चेतावनी संबंधी सूचनाओं में सहायता मिलेगी, जोकि छोटी जोत वाले कृषक समुदाय के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रौद्योगिकी कृषि बाजारों में मौजूद सूचना और जानकारी संबंधी अंतराल को पाटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

पशुपालन

भारत में पशुपालन, समग्र कृषि प्रणाली का एक हिस्सा है, जो फसल और पशुओं के बीच विविध संपर्क से स्पष्ट है। अनेक मुख्य फसलों के गौण–उत्पाद (फसल अवशेष, भूसा और घासफूस) पशुपालन के लिए लागत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये उन मुख्य लागतों के अतिरिक्त हैं, जिनके लिए प्रत्यक्ष रूप में कीमत अदा करनी पड़ती है (पशु खाद्य, पशु चिकित्सा औषधि और कृत्रिम गर्भाधान)। पशुओं के गोबर और मूत्र का उपयोग किसानों द्वारा

Scanned by CamScanner

तालिका–1 कृषि और सहयोगी क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख योजनाओं का परिव्यय

क्र सं	मुख्य स्कीमें	2017–18 वास्तविक	2018–19 ब.अ.	2018–19 सं.अ.	2019–20 बजट अनुमान
प्रमुख योजनाएं					
1)	हरित क्रांति	11057	13909	11802	12561
2)	श्वेत क्रांति	1574	2220	2431	2240
3)	नील क्रांति	321	643	501	560
4)	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	6613	9429	6251	9682
5)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	16882	19000	15500	19000
6)	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	7038	7000	5500	10001
केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं					
7)	फसल बीमा योजना	9419	13000	12976	14000
8)	किसानों के लिए लघु अवधि ऋण पर ब्याज सब्सिडी	13046	15000	14987	18000
9)	बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना – (एमआईएस–पीएसएस)	701	200	2000	3000
10)	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम–आशा)	–	–	1400	1500
11)	राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कल्याणकारी योजनाओं के लिए दलहन का वितरण	–	–	550	800
12)	फसल अवशेष के स्व–स्थाने प्रबंधन के लिए कृषि तंत्र संवर्धन	–	–	592	600
13)	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान)	–	–	20000	75000
14)	प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना	–	–	–	900
15)	फसल विज्ञान	400	800	652	702
16)	कृषि विश्वविद्यालय और संस्थान	658	685	526	566
17)	यूरिया सब्सिडी	44223	45000	44995	53629
18)	पोषक आधारित सब्सिडी	22244	25090	25090	26367
19)	2018–19 सीजन के लिए चीनी मिलों की सहायता योजनाएं	–	–	–	1000
20)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की पूंजी भागीदारी में अंशदान	3880	3500	2000	1500
21)	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना	–	1313	870	1101
22)	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	1239	1350	1350	1475
23)	केंद्रीय रेशम बोर्ड	543	501	601	730
24)	कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन योजना के तहत कपास की खरीद	103	924	924	2018

मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए लागत (जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक) के रूप में किया जाता है।

दुग्ध उत्पादन

भारत का स्थान विश्व में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से पहला है। विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन का 20 प्रतिशत हिस्सा भारत का है। देश में दुग्ध उत्पादन में वर्षों से लगातार बढ़ोतरी होती रही है। यह 1991–92 के 5 करोड़ 56 लाख टन से बढ़कर 2017–18 में 17 करोड़ 63 लाख टन हो गया है। इसकी औसतन वार्षिक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत है। लेकिन, दुग्ध उत्पादन में राज्यवार आधार पर काफी बड़ा अंतर है। राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता दुग्ध उत्पादन के आधार पर निर्धारित होती है। जहां, अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 375 ग्राम प्रतिदिन है, वहीं राज्यवार इसमें काफी बड़ा अंतर है। असम में यह 71 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है जबकि पंजाब में 1 किलो 120 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।

पशुपालन और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहल

पिछले 5 वर्ष के दौरान पशुपालन और दूध उत्पादन क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार के लिए कई नई पहल की गई हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम), ई–पशु हाट पोर्टल, राष्ट्रीय पशुपालन मिशन, पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण स्कीम और दुग्ध उत्पादन विकास स्कीम अर्थात् राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण–1), डेयरी उद्यमिता विकास योजना, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोश (डीआईजीएस)

Scanned by CamScanner

वगैरह। हालांकि हाल के केंद्रीय बजट 2019–20 में गौ–संसाधन के आनुवांशिकी सतत सुधार और गायों की संख्या और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का प्रस्ताव किया गया है। संबंधित समिति गायों के कल्याण के लिए नीतियां और योजनाएं लागू करने पर भी विचार करेगी। इसका उद्देश्य गायों की संख्या और उत्पादकता में वृद्धि करना है।

मत्स्य क्षेत्र

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। 2018–19 में एक करोड़ 37 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ, जिसमें से 65 प्रतिशत अंतःस्थलीय क्षेत्र से था। अंतः स्थलीय मछली उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत कृत्रिम मत्स्य–पालन क्षेत्र से होता है। यह वैश्विक मत्स्य उत्पादन का 6.5 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में लगातार सकल मूल्य संवर्धित वृद्धि हो रही है। इसका कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 5.23 प्रतिशत हिस्सा है। कृषि निर्यात में मछली और मछली उत्पादों का सबसे अधिक योगदान है। 2018–19 में यह मूल्य के आधार पर 47,620 करोड़ रहा।

मत्स्य क्षेत्र में अपार संसाधन क्षमता और संभावनाओं को देखते हुए फरवरी 2019 में एक पृथक मत्स्य विभाग गठित किया गया। सरकार ने मत्स्य क्षेत्र की सभी स्कीमों को मिलाकर 'नील क्रांति : मत्स्य क्षेत्र का एकीकृत विकास और प्रबंधन योजना' बनाई है। इसका उद्देश्य अंतःस्थलीय और समुद्री, दोनों क्षेत्रों से मछली उत्पादन तथा जलचर और मत्स्य संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 7522 करोड़ 48 लाख रुपये के मत्स्य और जलचर अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) के सृजन की मंजूरी दी गई।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

मछली पालन और मछुआरा समुदाय कृषि से काफी निकटता से जुड़े हैं और ग्रामीण भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसे ध्यान में रखते हुए एक समर्पित योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई) के माध्यम से मत्स्य विभाग मछली पालन प्रबंधन का एक सशक्त ढांचा तैयार करेगा। यह अवसंरचना, आधुनिकीकरण, संधान, उत्पादन, उत्पादकता, उत्पादन प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य शृंखला संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य और अनाज खरीद

बुआई मौसम से पहले 22 अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य किसानों को तय मूल्य देना और बाजार सुनिश्चित करना है और उन्हें कीमतों में उतार–चढ़ाव से बचाना है। वर्ष 2018–19 में सरकार ने खरीफ और रबी दोनों फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है ताकि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें उत्पादन लागत से ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा मिल सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी लेकिन कुल खाद्यान्न उत्पादन के लगभग एक तिहाई हिस्से की ही खरीद हो पाती है, बाकी अनाज खुले बाजार में बेचा जाता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश लोग अभी भी गांवों में रहते हैं और कृषि तथा पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर करते हैं, पारंपरिक उद्योग उन्नयन और पुनरुत्थान कोष योजना का उद्देश्य अधिक सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) का गठन करना है ताकि पारंपरिक उद्योगों (एसएफयूआरटीआई) को अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक, लाभकारी और रोजगार सक्षम बनाने के लिए समुदाय–आधारित विकास को बढ़ावा मिल सके। बांस, शहद और खादी सामुदाय समूहों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है। एसएफयूआरटीआई का लक्ष्य 2019–20 के दौरान 100 नए समुदाय समूहों का गठन करना है, ताकि 50,000 कारीगरों को रोजगार मिल सके। ऐसे उद्योगों की प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना (एएसपीआईआरई) को सशक्त बनाया गया है ताकि आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटर (एलबीआई) और प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर (टीबीआई) का गठन किया जा सके। कृषि ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में 75,000 कुशल उद्यमी तैयार करने के लिए 2019–20 में 80 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटर (एलबीआई) और 20 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर (टीबीआई) गठित करने का प्रावधान है। भारत सरकार को आशा है कि अगले 5 वर्ष में किसानों के लिए बड़े पैमाने की किफायत के उद्देश्य से दस हजार नए किसान उत्पादक संगठन गठित कर लिए जाएंगे।

अवसंरचना विकास और बाजार तक पहुंच बढ़ाना

यदि आसपास की मंडियों तक किसानों की पहुंच बेहतर संपर्क के जरिए बढ़ाई जा सके, तो इससे किसानों को अपने कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद मिलेगी। सम्पर्क बढ़ाने के लिए ग्रामीण अवसंरचना में सुधार और मूल्यों तथा भंडारण सुविधाओं के बारे में समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने से छोटे और सीमांत किसानों को बाजार संबंधी व्यवधान दूर करने में मदद मिलेगी।

कृषि ऋण

समय पर ऋण या वित्त की उपलब्धता कृषि की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है। यदि बुआई के समय बीजों की खरीद के लिए ऋण उपलब्ध नहीं है, या पैसे की कमी के कारण उर्वरकों के इस्तेमाल में देर हो जाती है, तो इसका कृषि की उत्पादकता पर गंभीर असर पड़ सकता है। पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर और मध्य क्षेत्र में कुल कृषि जोत का 85 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा छोटी और सीमांत जोतों का है, जिससे इस क्षेत्र के लिए कृषि ऋण वितरण पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

वित्तवर्ष 2019–20 के दौरान किसानों को तीन लाख रुपये तक का लघु अवधि फसल ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के लिए ऋणदाता संस्थाओं जैसे सार्वजनिक

Scanned by CamScanner

क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के व्यावसायिक बैंक (केवल इनकी ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी शाखाओं द्वारा दिए गए ऋण के संदर्भ में) को अपने संसाधनों के उपयोग पर ब्याज में 2 प्रतिशत वार्षिक मदद देने का निर्णय लिया गया है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3 प्रतिशत वार्षिक की अतिरिक्त ब्याज छूट दी जाएगी। यह छूट ऋण जारी किए जाने की तिथि से भुगतान की वास्तविक तिथि तक या कृषि ऋण के भुगतान के लिए बैंक द्वारा तय तिथि तक, जो भी पहले हो, होगा और ऋण जारी किए जाने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। यह भी प्रावधान किया गया है कि 2019–20 के दौरान शीघ्र ऋण चुकाने वाले किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर लघु अवधि का फसल ऋण मिलेगा। इससे किसानों की लागत खरीद क्षमता मजबूत होगी और फसलों तथा मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन जैसे अन्य उद्यमों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना

सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी (डीएफआई) करने का लक्ष्य तय किया है। इस उद्देश्य से सरकार ने संबंधित मुद्दों की समीक्षा और रणनीतियों का सुझाव देने के लिए एक अंतर–मंत्रालय समिति गठित की है। समिति ने आय वृद्धि के सात स्रोतों की पहचान की है, जैसे फसल उत्पादकता में सुधार; पशुओं की उत्पादकता में सुधार; प्रयुक्त संसाधन दक्षता या उत्पादन लागत में बचत; फसल सघनता बढ़ाना; उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर जाना; किसानों को मिलने वाले वास्तविक मूल्य में बढ़ोतरी; और कृषि से गैर–कृषि व्यवसायों की ओर मुड़ना।

डीएफआई समिति की सिफारिशों पर कई पहल लागू की जा चुकी हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ राज्य सरकारों द्वारा प्रगतिशील बाजार सुधार लागू करना, राज्य सरकारों द्वारा मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम लागू कर अनुबंध कृषि को बढ़ावा देना, किसानों से कृषि उत्पादों की सीधी खरीद के लिए और समग्रता केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए ग्रामीण हाटों का उन्नयन, किसानों को ऑनलाइन व्यापार मुहैया कराने के लिए ई–नैम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण ताकि उर्वरकों का प्रयोग तर्कसंगत बनाया जा सके, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएफवाई) – "प्रति बूंद अधिक फसल" के जरिए पानी की सक्षमता बढ़ाना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत जोखिम की आशंका कम करने के लिए किसानों को फसल की बेहतर बीमा सुरक्षा मुहैया कराना, 3 लाख तक के लघु अवधि फसल ऋण पर 5 प्रतिशत वार्षिक (शीघ्र भुगतान पर 3 प्रतिशत के प्रोत्साहन सहित) तक ब्याज छूट मुहैया कराना। इस प्रकार किसानों के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराना और ब्याज छूट सुविधा के साथ–साथ किसान ऋण कार्ड (केसीसी) की सुविधा का दायरा पशुपालन और मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियों तक बढ़ाना।

(डॉ. यशबीर सिंह शिवे आईसीएआर–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक और डॉ. अंशु रहल पशु पोषण विभाग, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।)

ई–मेल : ysshivay@hotmail.com
anshurahal@rediffmail.com

Scanned by CamScanner

कृषि सुधारों से किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी

–सतीश सिंह

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने के लिए विपणन, निर्यात एवं कृषि में संरचनात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। इस आलोक में बजट में किसानों की आय में बढ़ोतरी, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अंतरिम बजट में "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" की घोषणा की थी। घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए बजट में इस मद में 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

"शून्य बजट प्राकृतिक कृषि" से किसान होंगे आत्मनिर्भर

"शून्य बजट प्राकृतिक कृषि" ग्लोबल वार्मिंग और वायुमंडल में आने वाले बदलाव का मुकाबला करने एवं उसे रोकने में सक्षम है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला किसान कर्ज़ के झंझट से मुक्त रहता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 40 लाख किसान इस विधि से कृषि कर रहे हैं। आम बजट में सुभाष पालेकर की "शून्य बजट प्राकृतिक कृषि" तकनीक को देशभर में अपनाए जाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि इस तकनीक से खेती–किसानी करने की लागत लगभग शून्य हो जाती है। वित्तवर्ष 2018–19 की आर्थिक समीक्षा में इसे छोटे किसानों के लिए आजीविका का एक आकर्षक विकल्प बताया गया है। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कृषि पद्धति नवोन्मेषी है, जिसके जरिए वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी की जा सकती है।

क्या है शून्य लागत प्राकृतिक कृषि इस तकनीक की मदद से बीते सालों से देश के कुछ भागों में खेती–किसानी की जा रही है। प्राकृतिक कृषि ऑर्गेनिक खेती से अलग है, लेकिन कुछ लोग जानकारी के अभाव में दोनों को एक मान लेते हैं। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि" तकनीक से खेती–किसानी करने के लिए किसानों को चार प्रक्रियाओं को अपनाना होता है, जिसमें पहली प्रक्रिया 'बीजामृत' है। इसके तहत गोबर एवं गौमूत्र के घोल का बीजों पर लेप लगाया जाता है। दूसरी प्रक्रिया 'जीवामृत' है, जिसमें भूमि पर गोबर, गौमूत्र, गुड़, दलहन के चूरे, पानी और मिट्टी के घोल का छिड़काव किया जाता है, ताकि मृदा जीवाणुओं में बढ़ोतरी की जा सके। तीसरी प्रक्रिया 'आच्छादन' है, जिसमें मिट्टी की सतह पर जैव सामग्री की परत बनाई जाती है, ताकि जल के वाष्पीकरण को रोका जा सके और मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण हो सके।

Scanned by CamScanner

नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (एस्पायर)

- 2019–20 में 80 आजीविका व्यापार इंक्यूबेटर (एलबीआई) और 20 औद्योगिक व्यापार इंक्यूबेटर (टीबीआई) स्थापित किए जाएंगे।
- कृषि – ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में 75,000 उद्यमियों को कौशल प्रदान किया जाएगा।
- किसानों के उत्पादों को उनके खेतों से मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देने और संबंधित क्रियाकलापों में लगे निजी उद्यमियों को सहायता दी जाएगी।
- पशुओं के लिए चारे का उत्पादन, दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना तैयार करके सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- किसानों की बेहतर आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।
- सरकार ई-नाम से किसानों को लाभान्वित करने के क्रम में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।
- ज़ीरो बजट फार्मिंग, जिसमें कुछ राज्यों के किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

चौथी प्रक्रिया 'वाफसा' है, जिसमें मिट्टी में हवा एवं वाष्प के कणों का समान मात्रा में निर्माण करना है। "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि" पद्धति में कीटों के नियंत्रण के लिए गोबर, गौमूत्र और हरी मिर्च से बने विभिन्न घोलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे 'क्षयम' कहा जाता है।

लागतः– "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि" से खेती–किसानी मोटे तौर पर देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र की मदद से की जाती है। एक देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र से एक किसान तीस एकड़ ज़मीन पर शून्य लागत से प्राकृतिक कृषि कर सकता है। देसी प्रजाति के गाय के गोबर एवं मूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत तथा जामन बीजामृत बनाया जाता है। इनका खेत में उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ–साथ जैविक गतिविधियों का विस्तार होता है। जीवामृत का महीने में एक अथवा दो बार खेतों में छिड़काव किया जा सकता है जबकि बीजामृत का इस्तेमाल बीजों को उपचारित करने के लिए किया जाता है। इस विधि से खेती करने वाले किसान को बाजार से किसी प्रकार की खाद और कीटनाशक रसायन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि"तकनीक के तहत फसलों की सिंचाई के लिए बिजली एवं पानी की लागत मौजूदा लागत का दस प्रतिशत होती है।

शुरुआतः– जापानी वैज्ञानिक और दार्शनिक मासानोबू फुकुओका ने सबसे पहले "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि" तकनीक को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने सबसे पहले इस कृषि मॉडल का परीक्षण सिकोकू में अपने खेतों में किया। इस वजह से इस तकनीक को शुरु करने का श्रेय श्री मासानोबू फुकुओका को दिया जाता है।

भारत में आगाज़ः– भारत में "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि" पद्धति का चलन काफी पुराना है। हालांकि, शून्य लागत प्राकृतिक कृषि को देशभर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय सुभाष पालेकर को दिया जाता है। "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि" तकनीक को आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में अपनाया। इस कृषि पद्धति को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने का काम एक गैर–लाभकारी संगठन रैयत साधिकरा संस्था कर रही है। इस संगठन को अजीम प्रेमजी फिलनथ्रॉपिक इनिशिएटिव और आंध्र प्रदेश सरकार वित्तीय मदद मुहैया करा रहे हैं। इस संगठन ने करीब 1,38,000 किसानों तक "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि" तकनीक को पहुंचाया है और महज दो वर्ष की अवधि में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में इस कृषि मॉडल से खेती की जाने लगी है।

देश के अन्य हिस्सों में प्रसारः– "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि" पद्धति का देश के अनेक हिस्सों में प्रसार हुआ है। वित्तवर्ष 2018–19 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश उन अन्य राज्यों में शामिल हैं, जहां यह कृषि पद्धति तेजी से लोकप्रिय बन रही है।

"राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" से शून्य लागत तकनीक का प्रसारः– आर्थिक समीक्षा के मुताबिक "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" के तहत 704 गांवों के 131 संकुलों और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 268 गांवों के 1,300 संकुलों में "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि" तकनीक को अपनाया जा रहा है। इस कृषि मॉडल को करीब 1,63,034 किसान अपना रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश बन सकता है पहला राज्यः– हिमाचल प्रदेश वर्ष 2022 तक पूर्ण रूप से "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि" तकनीक को अपनाने वाला पहला राज्य बन सकता है।

आंध्र प्रदेश में सफल रही है यह तकनीकः– ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद ने वर्ष 2016 और वर्ष 2017 के दौरान आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में रैयत साधिकरा संस्था की मदद से "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि" पद्धति से खेती करने वाले किसानों के अनुभवों का अध्ययन किया था, जिसमें पाया गया कि इस तकनीक से खेती करने वाले किसानों की लागत में भारी कमी आई और फसलों के उत्पादन में भी इज़ाफा हुआ।

अनुसंधान की जरूरतः– इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के निदेशक श्री महेंद्र देव के अनुसार "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि" तकनीक किसानों की आय दोगुनी करने वाले मॉडलों में से एक हो सकती है, लेकिन इसे एकमात्र समाधान नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी परंपरागत कृषि पद्धतियों की तुलना में "शून्य लागत प्राकृतिक कृषि" तकनीक से उत्पादन

Scanned by CamScanner

में बढ़ोतरी का पता लंबी अवधि के बाद चलता है। जानकारों का कहना है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में परीक्षण एवं अध्ययन करने की जरूरत है, ताकि इस तकनीक के गुण-दोषों को समझ कर इसका अधिकतम फायदा उठाया जा सके।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना

ग्रामीण बुनियादी ढांचा बनाने के लिए बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण की घोषणा की गई है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 1.25 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 80,250 करोड़ रुपये का आवंटन बजट में किया गया है, जबकि वित्तवर्ष 2019-20 में इस मद में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। "प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना" के दूसरे चरण अर्थात वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ नए घरों का निर्माण किया जाएगा, जबकि पहले चरण में एक करोड़ घरों का निर्माण किया गया था, जिसके लिए 2016-17 से 2018-19 के बीच 82,000 करोड रुपये का आवंटन किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बजट में सड़क निर्माण के अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया गया है।

ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत दो करोड़ ग्रामीणों को डिजिटली साक्षर बनाया जाएगा और पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का काम इस साल पूरा कर लिया जाएगा।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाकर ही किसानों के घरों में खुशहाली लाई जा सकती है। मौजूदा समय में ग्रामीण इलाकों में सड़क नहीं होने की वजह से किसान अपनी फसलों और सब्जियों को निकटवर्ती बाजार तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिससे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। सब्जियां सबसे ज्यादा बर्बाद होती हैं। अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण ग्रामीणों की मौत भी इस वजह से हो जाती है। स्वस्थ रहने पर ही किसान अपना सर्वोच्च दे सकते हैं।

ग्रामीण महिलाओं के उत्थान की कोशिश

बजट में नारी उत्थान के लिए भी व्यवस्था की गई है। महिलाएं आत्मनिर्भर हों, इसके लिए उन्हें "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" के तहत एक लाख रुपये का कर्ज प्राथमिकता के तौर पर दिया जाएगा। वित्तवर्ष 2019-20 में 'स्फूर्ति' योजना के तहत 100 नए संकुल बनाए जाएंगे, जिससे 50,000 दस्तकारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान बांस, शहद व खादी क्षेत्र के लिए 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 75 हजार प्रशिक्षित कामगार भी तैयार किए जाएंगे, जिसके तहत 80 आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर और 20 टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जन-जागरूकता अभियान को बढ़ावा देगी, जिसके तहत विशेष टीवी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। चूंकि, ग्रामीण क्षेत्र में अब टीवी की उपलब्धता शत-प्रतिशत हो गई है, इसलिए उम्मीद है कि सरकार के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टार्टअप शुरू हो सकेंगे।

सतत प्रक्रिया है कृषि सुधार

कृषि सुधार राजग सरकार की मुख्य कार्यसूचियों में से एक रहा है। अपने पिछले कार्यकाल में राजग सरकार ने विभिन्न सुधारों की शुरुआत की थी, जिनमें फसल बीमा के लिए "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना", कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना", खरीद प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान", उत्पादन की लागत को 1.5 गुना तक बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, किसानों को एक निश्चित आय सहायता प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" आदि योजनाएं महत्वपूर्ण हैं।

विपणन में सुधार

चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राज्य कृषि उत्पाद, पशु विपणन, कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 2017 आदि को अपने यहां शत-प्रतिशत लागू करें। इससे देश की कृषि विपणन प्रणाली एवं कृषि कारोबारियों की मुश्किलों को दूर करने में मदद मिलेगी। जीएसटी कौंसिल की तर्ज पर कृषि विपणन सुधार परिषद की स्थापना करने की भी जरूरत है, ताकि राज्यों में कृषि विपणन सुधारों को समन्वित तरीके से लागू किया जा सके। इससे "एक देश, एक बाजार" विकसित करने में सरकार को मदद मिलेगी। दूध के क्षेत्र में एक नामचीन ब्रांड बन चुके अमूल के अनुरूप विविध कृषि उत्पादों को विकसित करने की आवश्यकता है।

आय समर्थन राशि का गणित

देखा जाए तो देश में 14 करोड़ किसानों की आय को बढ़ाने

Scanned by CamScanner

कुसुम योजना के जरिए सिंचाई की व्यवस्था

वित्तवर्ष 2019–20 के आम बजट में सौर ऊर्जा के लिए 3004 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के बजट से 1.1 प्रतिशत अधिक हैं, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों की सिंचाई की जरूरत को पूरा करने के लिए "ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान" (कुसुम) योजना को लागू करने की मंजूरी दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार 34,422 करोड़ रुपये वर्ष 2022 तक किसानों को सौरपंप सेटों को खरीदने के लिए देगी, जिससे 25750 मेगावॉट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। सौर ऊर्जा से सिंचाई करने के लिए 17.50 लाख एकल सौर पैनल लगाए जाएंगे और 10 लाख पंपों को ग्रिड से जोड़कर सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मौजूदा समय में बिजली का सबसे बेहतर विकल्प सौर ऊर्जा को माना जा रहा है, क्योंकि यह भारत में आसानी से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इससे बिजली उत्पादन की अपार संभावना है।

बढ़ेगी सिंचाई की संभावना

कुसुम योजना के तहत किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप मुहैया कराया जाएगा। मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत सिंचाई की समस्या से जूझ रहे इलाकों को ध्यान में रखकर की है। सरकार का मकसद इस योजना की मदद से सभी डीजल एवं बिजली के पंपों को सोलर ऊर्जा से चलाना है। कुसुम योजना की घोषणा पूर्व वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने वित्तवर्ष 2018–19 के आम बजट में की थी।

उद्देश्यः– देश में कम या ज्यादा बारिश की वजह से किसानों की फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती हैं। इस योजना के जरिए किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली से अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं।

लागत

सरकार चाहती है कि कुसुम योजना के तहत वर्ष 2022 तक देश में तीन करोड़ सिंचाई पंपों को बिजली या डीज़ल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाए। इस योजना की लागत तकरीबन 1.40 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। कुल खर्च में केंद्र सरकार 48 हजार करोड़ रुपये का योगदान करेगी और इतनी ही राशि राज्य सरकार देगी, जबकि किसानों को सोलर पंपों की कुल लागत का 10 प्रतिशत खर्च खुद उठाना होगा और बैंक से तकरीबन 45 हजार करोड़ रुपये कर्ज़ के तौर पर लिए जाने का प्रस्ताव है।

डीजल पंप बदलने पर ज्यादा ज़ोरः– सरकार की मंशा सबसे पहले डीज़ल पंपों को बदलने की है। सरकार चाहती है कि इस योजना की मदद से 17.5 लाख सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने की व्यवस्था की जाए।

फायदेः– इस योजना की मदद से किसान ग्रिड का निर्माण करके अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। चूंकि, सौर पैनल की स्थापना बंजर भूमि पर किए जाने का प्रस्ताव है, इसलिए, इससे भी किसानों को फायदा होगा। अगर देश के सभी सिंचाई पंपों का संचालन सौर ऊर्जा से किया जाएगा तो बिजली की भी बचत होगी।

लक्ष्यः– केंद्र सरकार किसानों को 27.5 लाख सोलर पंप सेट मुफ्त में देगी। जिन इलाकों में बिजली की ग्रिडें नहीं हैं, वहां, किसानों को 17.5 लाख सौर पंप सेट दिए जाएंगे, जबकि बिजली की ग्रिड वाले इलाकों में किसानों को 10 लाख पंप सेट दिए जाएंगे।

सुविधाएं

केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में सब्सिडी की राशि सीधे जमा करेगी। बैंक किसानों को कर्ज़ के रूप में 30 प्रतिशत राशि देंगे, वहीं सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप में सोलर पंप की कुल लागत की 60 प्रतिशत राशि मुहैया कराएगी।

Scanned by CamScanner

और उनके जीवन–स्तर को बेहतर करने के लिए "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे सुधारों को लागू करने में लंबा समय लगता है। सरकार को "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" को कम से कम पांच सालों तक चलाना चाहिए। इससे किसानों को आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक 14 करोड़ किसानों को दिए जाने वाली आय समर्थन राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने से सरकारी खजाने पर 12,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग में बढ़ोतरी होगी तो वहां विकास की गति भी तेज होगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

"प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना", मुख्य रूप से खाद्य फसलों, जैसे, बाजरा, दलहन, तिलहन, वार्षिक फसल जैसे, वाणिज्यिक व बागवानी से जुड़ी फसलों को कवर करती है। ये फसलें, बैंकों द्वारा दिए गए कुल फसली ऋण का केवल 30 प्रतिशत हिस्सा हैं। लिहाजा, सरकार को "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के तहत सभी प्रकार की फसलों को कवर करना चाहिए, जिससे बैंकों को जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। साथ ही, किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। फिलहाल, राज्य खरीफ फसलों के लिए अगस्त में और रबी फसलों के लिए दिसंबर में दिशा–निर्देशों से संबंधित अधिसूचना जारी की जा रही है। मामले में सरकार को बुवाई के मौसम की शुरुआत से पहले अधिसूचना जारी करनी चाहिए अर्थात रबी फसलों के लिए सितंबर या अक्टूबर में और खरीफ फसलों के लिए मार्च या अप्रैल में। फिलहाल, बीमा दावों का भुगतान लगभग एक वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। इस अवधि में कई ऋण खाते गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में तब्दील हो जाते हैं, जिसके कारण किसानों को अगली बुवाई सत्र में आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है। इसके बरक्स प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

फसल चक्र के मुताबिक ऋण, विपणन और बिक्री की व्यवस्था

वित्तीय संस्थान और सरकार को फसलों की बुवाई से लेकर अनाजों के विपणन व बिक्री तक किसानों की सहायता करनी चाहिए। अगर फसल–चक्र के अनुसार ऋण मुहैया कराया जाता है और सरकार द्वारा अनाजों के विपणन और बिक्री में मदद करने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। आमतौर पर, खरीफ फसलों के लिए नकदी में रूपांतरण की अवधि 240 से 330 दिनों की होती है और फसल उत्पादन में 90 से 120 दिनों का समय लगता है। राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा खरीद में 45 से 60 दिन, प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग में 45 से 60 दिन, राज्य एजेंसियों के आउटलेट्स के माध्यम से खुदरा बिक्री में 60 से 90 दिन का समय लगता है। किसानों को फसल उत्पादन और राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रसीदों पर बैंकों द्वारा वित्तपोषण किया जाता है। हालांकि, ऋण वितरण में बैंकों को और भी तेजी लाने की जरूरत है।

कृषि निर्यात

वित्तवर्ष 2013–14 के बाद से, वैश्विक कीमतों और घरेलू विपणन व कारोबारी नीतियों में अनिश्चितता के कारण भारत के कई कृषि उत्पाद प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए हैं। इसके बरक्स सरकार को सभी राज्यों में कुशल वैश्विक मूल्यों के अनुरूप कीमत निर्धारित करनी चाहिए और बाजार को उदार बनाना चाहिए। इस संबंध में दीर्घकालिक आधार पर अनुबंध खेती को प्रोत्साहित करना लाभदायक हो सकता है।

कृषि उपज मंडी समिति

हालांकि, कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 2003 को कई राज्यों द्वारा अपनाया गया है, बावजूद इसके, भारत कृषि विपणन संरचना को बदलने में विफल रहा है। मौजूदा समय में कृषि उपज मंडी समिति के तहत एक किसान को व्यापारियों को अपनी उपज बेचने से पहले एजेंटों को कमीशन देनी पड़ती है, जो 3 प्रतिशत से 7 प्रतिशत और कभी–कभी इससे भी ज्यादा होती है। कृषि उपज मंडी समिति द्वारा लगाए गए शुल्क के अलावा, कमीशन एजेंट खरीदारों और किसानों के बीच लेन–देन पर भी कमीशन लेते हैं। अमूमन, किसानों को खुदरा बाजार मूल्य का एक तिहाई हिस्सा ही अपने उत्पादों की बिक्री पर मिलता है या इससे भी कम। बीते महीनों महाराष्ट्र में किसानों की बेहतरी के लिए एजेंटों को किसानों से कमीशन लेने पर रोक लगा दी गई थी और किसान बेहतर आय अर्जित कर सकें, इसके लिए उनकी पसंद के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति के भीतर या बाहर खरीददारों को बेचने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस निर्णय को जल्द ही सरकार ने वापस ले लिया।

किसान उत्पादक संगठनों के जरिए किसानों को मदद

बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों में 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए जाएंगे। इस समय देश में तकरीबन 4,000 किसान उत्पादक संगठन मौजूद हैं। माना जा रहा है कि किसान उत्पादक संगठन "द कोऑपरेटिव मॉडल" कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने एवं विपणन में सुधार लाने में सफल हो सकता है। किसान उत्पादक संगठन सहकारी और निजी कंपनियों के बीच हाइब्रिड के रूप में काम करते हैं। यह सरकारी एजेंसियों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कृषि वस्तुओं की खरीद में उप–एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ऐसी कंपनियां थोक में उत्पाद खरीदती हैं और उन्हें सदस्यों को उपलब्ध कराती हैं। एफपीओ सदस्यों से उत्पाद खरीदकर संगठित तरीके से विपणन करने का भी काम करते हैं। साथ ही, बैंकों के साथ तालमेल बनाकर सदस्यों को कर्ज़ उपलब्ध कराने का काम भी यह कर रहा है।

Scanned by CamScanner

कृषि आय को बढ़ावा देने वाली योजनाएं

किसानों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र में 2115 करोड़ रुपये की लागत से कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण परिवर्तन परियोजना की पहल की गई है, जिसका उद्देश्य नए किसानों एवं नए बाज़ारों को विकसित करना है। तेलंगाना सरकार किसानों की आय में इज़ाफा करने के लिए "रैयतबंधु" नाम से एक योजना चला रही है। इसके तहत 58.33 लाख किसानों को प्रति एकड़ हर फ़सली मौसम में 4 हजार रुपये सहायता के तौर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार ने वित्तवर्ष 2018–19 में इस योजना के मद में 12,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह अपनी तरह की पहली योजना है, जिसमें नकदी का भुगतान किसानों को सीधे किया जा रहा है। इस योजना को देशभर में लागू करने पर 2.7 लाख करोड़ रुपये का कुल वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ने का अनुमान है। यह अनुमान सभी राज्यों में बुआई वाली भूमि पर आधारित है। किसानों की आय बढ़ाने वाली इस योजना का विस्तार बिहार, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों में किए जाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ हो सके।

कृषि से जुड़े संबद्ध क्षेत्रों से किसानों की आय में बढ़ोतरी

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि मत्स्य क्षेत्र समेत सहायक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। इसके लिए मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की अगुआई में मत्स्य पालन विकास फंड बनाया जाएगा। इस बजट में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी जैसे कृषि सहायक क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों के विकास पर ज़ोर को बरकरार रखने की कोशिश की गई है।

मत्स्य पालनः– सरकार ने मत्स्य पालन के विकास के लिए और इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए मत्स्य पालन विभाग बनाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 6.3 प्रतिशत वैश्विक उत्पादन के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में औसतन 7 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। यह क्षेत्र प्राथमिक–स्तर पर लगभग 1.45 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है।

राष्ट्रीय कामधेनु आयोगः– सरकार ने गाय से जुड़े संसाधनों को बढ़ाने एवं उनके आनुवांशिक उन्नयन को सुनिश्चित करने व उन्हें बढ़ाने और गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए "राष्ट्रीय कामधेनु आयोग" को स्थापित करने की घोषणा की है। आयोग गायों के लिए बनाए जाने वाले कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का काम देखेगा। बीते सालों से दुनिया भर में भारतीय नस्ल की गायों के दूध की गुणवत्ता और पोषण श्रेष्ठता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है।

मध्याह्न भोजन में दूध की व्यवस्थाः– भविष्य में सरकार बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन में दूध देने पर भी विचार कर रही है, जिससे बच्चे के पोषण में सुधार होगा और पूरे भारत में किसानों की आय बढ़ेगी। इस पर 10,000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है, लेकिन यह किसानों को अतिरिक्त आय के रूप में लगभग 7,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान करेगा। साथ ही, यह 10 करोड़ भारतीय बच्चों के समग्र स्वास्थ्य मानकों को भी बढ़ाएगा।

पशुपालनः– पशुओं की आबादी के मामले में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। दुनिया में कुल आबादी की लगभग 57 प्रतिशत भैंसें भारत में पाई जाती हैं। भारत में पशु आबादी दुनिया में पशुओं की कुल आबादी का 15 प्रतिशत है। अगर भारत में पशुपालन पेशेवर तरीके से किया जाता है तो किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही, किसानों की कृषि पर ज्यादा निर्भरता होने की वजह से उत्पन्न होने वाली जोखिमें भी कम हो सकती हैं। किसानों को हर साल मानसून की अनिश्चितता से होने वाली परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। दरअसल, आज भी किसानों को हर साल सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। पशुधन से आय बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि देसी नस्ल की गायों एवं भैंसों को पालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इनके दूध में ए–2 ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ए–2 बीटा–केसिन प्रोटीन है, जो दूध को स्वस्थ और पौष्टिक बनाता है।

मत्स्य पालन एवं मछुआरा समुदाय खेती–बाड़ी से काफी हद तक जुड़े हुए हैं और ये ग्रामीण भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मत्स्य पालन विभाग 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)' के जरिए एक सुदृढ़ मत्स्य पालन प्रबंधन रूपरेखा स्थापित करेगा। इस योजना के जरिए अवसंरचना, आधुनिकीकरण, उत्पादकता, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) के सुदृढ़ीकरण के मार्ग में मौजूद बाधाओं को दूर किया जाएगा।

कृषि पर्यटन से आय

वैश्विक–स्तर पर कई देशों जैसे आस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस आदि के किसान कृषि पर्यटन से वर्तमान में अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों में तो इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। बहरहाल, भारत में भी अब कृषि पर्यटन लोकप्रिय हो रहा है।

भारत में देश की कई परंपराएं संग्रहालयों में या किस्सों–कहानियों में सिमटकर रह गई हैं। कृषि से जुड़े कई रीति–रिवाजों का या तो लोप हो गया है या वे केवल कुछ इलाकों में ही दिखाई दे रहे हैं। गोबर से लीपा आंगन, बकरी का दूध, गन्ने की पेराई, पईन से खेतों की सिंचाई आदि परंपराओं को ग्रामीण भी भूलते जा रहे हैं। बैलगाड़ी, कोल्हू से तेल व गन्ने की पेराई, धान से चावल निकालने की प्रक्रिया से अनेक ग्रामीण अंजान हैं। तेजी से गायब होती इन परंपराओं को अब कृषि पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

अब कुछ किसान खेती–किसानी के साथ–साथ कृषि पर्यटन से अपनी आय में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों ने

Scanned by CamScanner

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपने खेतों में कॉटेज (झोपड़ी) बनाई है, जहां पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का लुत्फ उठाने का मौका दिया जाता है। झोपड़ियों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से किराए पर दिया जाता है, जिसमें खाने–पीने की सुविधा शामिल होती है। किसान पर्यटकों को अपने खेतों में घुमाते हैं। साथ ही, ग्रामीण जीवन और उनके रहन–सहन से उन्हें परिचित कराते हैं। पर्यटकों को गांवों की नदी और तालाब में तैरने का भी मौका दिया जाता है। गांव से सटे जंगल, पहाड़, झरने आदि स्थानों पर किसान पर्यटकों को ले जाते हैं।

देश में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, सिक्किम, पंजाब आदि अग्रणी राज्य हैं। इसे बढ़ावा देने में राज्य पर्यटन विकास बोर्ड और नाबार्ड अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। महाराष्ट्र में करीब 90 ऐसे केंद्र हैं, जो कृषि पर्यटन के लिए पंजीकृत हैं। हालांकि, बिना पंजीकरण के भी कई केंद्रों का परिचालन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में हर माह 400 से 500 पर्यटक कृषि पर्यटन केंद्रों का भ्रमण करते हैं। नासिक के कुछ अंगूर के बागों में बंगलों (विला) का निर्माण किया गया है, जहां पर्यटक रुककर किस्म–किस्म की शराबों का लुत्फ उठाते हैं।

कृषि पर्यटन सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए किसानों को इस आशय का अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है कि प्रस्तावित कृषि पर्यटन केंद्र में केवल खेती–किसानी से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। वैसे, वहां, फल, फूल, मछली पालन आदि के साथ–साथ योग से जुड़ी गतिविधियां भी संचालित की जा सकती हैं।

कृषि पर्यटन सुविधा केंद्र तैयार करने के लिए किसान के पास कम से कम एक हेक्टेयर ज़मीन होना जरूरी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के बाद एक हेक्टेयर भूमि में पर्यटन की दृष्टि से अलग–अलग प्रकार की उत्पादन गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। एक हेक्टेयर ज़मीन में ढलुआ संरचना वाली छत की अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर होती है। न्यूनतम खुला क्षेत्र भी 7.5 मीटर का होता है। पर्यटन केंद्र तक पहुंचने वाले मार्ग की चौड़ाई भी 7.5 मीटर की होती है।

कृषि फार्म, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, कला प्रदर्शनी के लिए हॉल, पर्यटकों के लिए कॉटेज, रेस्टोरेंट, योगा हॉल, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, खेल सुविधा, गिफ्ट शॉप, जो 50 वर्ग मीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, रखरखाव के लिए कर्मचारी आवास, स्वीमिंग पूल और रहने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए ओपन एरिया थिएटर भी पर्यटन केंद्र में बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार को दीर्घकालिक समाधान की नीति पर काम करने की जरूरत है। इसी दृष्टिकोण से सरकार ने आम बजट में "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" के लिए 75,000 करोड़ रुपये के प्रावधान, "शून्य बजट प्राकृतिक कृषि" तकनीक अपनाने का प्रस्ताव, किसान उत्पादक संगठन का ज्यादा से ज्यादा संख्या में गठन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, ग्रामीणों के लिए सस्ती दर पर घर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन पर ज़ोर दिया है।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और आर्थिक एवं बैंकिंग विषयों पर आधारित पत्रिका "आर्थिक दर्पण" के संपादक हैं।)

ई–मेल : singhsatish@sbi.co.in

Scanned by CamScanner

बजट और ग्रामीण अवसंरचना विकास

–संजय झा

बजट के केंद्रबिंदु में गांव, गरीब और किसान हैं। इन्हीं को देखते हुए सरकार योजना तैयार करती है। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के पास अपना घर हो। इसके अलावा 2024 तक सबको स्वच्छ जल का लक्ष्य रखा गया है। इन घरों में गैस–बिजली कनेक्शन और शौचालय होंगे। बजट की योजनाओं को देख कर लगता है कि सरकार की पहल ग्रामीण परिवार के जीवन में बदलाव लाना है।

देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में हर भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने यानी जीवन की मूलभूत सुविधाओं के संबंध में खास घोषणाएं की। इस बजट में गांव और किसान के विकास पर खासतौर से फोकस किया गया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में चिंताजनक माहौल और घरेलू अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए बजट में यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि यह विस्तार और आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने वाला साबित हो। बजट पेश करते समय वित्तमंत्री के सामने धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती के साथ–साथ देश की अर्थव्यवस्था को नए मुकाम तक पहुंचाना था। और इसके तहत बुनियादी ढांचे के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान इस बजट में किया है।

सरकार का अमीरों से ज्यादा कर वसूलना, सोना, पेट्रोल–डीजल जैसे कई उत्पादों पर उत्पाद व सीमा शुल्क में बढ़ोतरी और राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.3 फीसदी तक सीमित करने का लक्ष्य यह दर्शाता है कि सरकार खर्चे बढ़ाने के मूड में नहीं है, बल्कि कमाई में इज़ाफा और निवेश को बढ़ावा देना ज्यादा जरूरी है।

बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फंड 22.6 प्रतिशत में बढ़ोतरी करने के साथ ही मनरेगा के लिए आवंटन भी 9 प्रतिशत बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का प्रस्ताव है।

बजट में भारत की अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर (5 लाख करोड़ डॉलर) तक बनाने की बात कही गई हैं और ग्रामीण इलाकों के विकास की ओर काफी ध्यान दिया गया

Scanned by CamScanner

हैं और इससे संबंधित कई योजनाओं पर ज़ोर दिया गया। इसके लिए जरूरी हैं हमारे ग्रामीण इलाके आर्थिक तौर पर सक्षम हों और इसको ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में देश के हर कोने तक बिजली, पानी, सड़क, घर, स्वच्छता जैसी बुनियादी चीजें पहुंचाने की बात कही गई है, ऐसा करने से कारोबार की राह अपने आप आसान हो जाएगी। जिस तरह बिजली, पानी, घर, स्वच्छता और उद्यमशीलता को पुख्ता करने का खाका खींचा गया है, उससे साफ है कि सरकार अंत्योदय यानी आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को सक्षम करना चाहती है।

अपने पहले कार्यकाल में राजमार्ग, रेलवे और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे चुकी इस सरकार ने अपनी दूसरी पारी में ढांचागत प्राथमिकताओं खासकर पानी पर ज़ोर देने का इशारा किया है।

इस बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान, सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली और सभी बस्तियों के लिए सड़क की योजनाओं के जरिए समावेशी विकास का मजबूत खाका तैयार किया है। इससे ग्रामीणों के जीवन–स्तर में सुधार आएगा।

बजट के केंद्रबिंदु में गांव, गरीब और किसान हैं। इन्हीं को देखते हुए सरकार योजना तैयार करती है। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के पास अपना घर हो। इसके अलावा 2024 तक सबको स्वच्छ जल का लक्ष्य रखा गया है। वित्तमंत्री ने अपना बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार अगले पांच साल में 1.95 करोड़ घर बनाएगी और इसी के साथ सभी गरीबों के पास 2022 तक अपना घर होगा। इन घरों में गैस–बिजली कनेक्शन और शौचालय होंगे। बजट की योजनाओं को देख कर लगता है कि सरकार की पहल ग्रामीण परिवार के जीवन में बदलाव लाना है। केंद्र सरकार 5 साल में 125 हजार किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 80,250 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद हर जरूरतमंद, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण, उसको उसका मकान उपलब्ध कराना है। बजट में वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में इसे आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण में 2020 से 2021–22 के दौरान 1.95 करोड़ घरों के आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। बजट में प्रधानमंत्री, आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को हासिल करना लक्ष्य है। बीते पांच साल में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण घर बनाए गए हैं। वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक योजना के दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास मुहैया कराने का प्रस्ताव है। इन आवासों में शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी होंगी।

शहरी इलाकों के गरीबों के लिए भी इस बार बजट में काफी कुछ जोड़ दिया गया हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 4.83 लाख करोड़ के निवेश से 81 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 47 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इनमें से 26 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 24 लाख आवास इसमें से लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं, इन आवासों के निर्माण के लिए नई तकनीक को अपनाया गया है। 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। नई तकनीक से आवासों को बनाने के लिए दिनों की औसत संख्या 2015–16 में 314 दिन से घटकर 2017–18 में 114 दिन हो गई है।

आवासीय संपत्ति खरीदने के लिए किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए कर्ज़ पर लगने वाले ब्याज को लेकर आयकर में डेढ़ लाख रुपये तक की राहत देने के लिए एक नई धारा 80ईईए

Scanned by CamScanner

जोड़ी गई है। यह लाभ उन्हीं आवासीय संपत्तियों पर मिल सकेगा जिनका स्टांप शुल्क 45 लाख से ज्यादा नहीं होगा। इस छूट का उद्देश्य सरकार के 'सभी के लिए आवास' लक्ष्य को बल देना और घर खरीदारों को समर्थ बनाना है।

'हर घर जल, हर घर नल' के तहत नल से जल की आपूर्ति

कुछ समय पहले नीति आयोग की रिपोर्ट ने जल प्रबंधन का एक संयुक्त सूचकांक तैयार किया है जिसमें जल स्रोतों के पुनरुद्धार, भूमिगत जल का स्तर सुधारने, सिंचाई और शहरी एवं ग्रामीण पेयजल जैसे मानकों पर विभिन्न राज्यों की तुलना की गई है। राज्यों का आकलन 100 के पैमाने पर किया गया था लेकिन अधिकांश राज्य 50 अंक के नीचे ही रहे। उन राज्यों के जल प्रबंधन के तरीकों में 'खास सुधार' की जरूरत बताई गई। नीति आयोग की रिपोर्ट भूमिगत जल की वास्तविक उपलब्धता के बारे में सीमित आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहती है कि देश के कुल 1.2 करोड़ कुओं में से केवल 55,000 कुओं में से लिए गए नमूनों के ही आधार पर भूमिगत उपलब्धता का अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार आम लोगों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी में है।

मोदी सरकार ने जल संकट के आसन्न खतरे को देखते हुए जल सुरक्षा यानी वॉटर सिक्युरिटी को अपनी प्राथमिकता में लाने का काम किया है। बजट में भी वित्तमंत्री ने जल सुरक्षा को लेकर गंभीर पहल की हैं।

बजट में भारत की अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक बनाने की बात कही गई हैं और ग्रामीण इलाकों के विकास की ओर काफी ध्यान दिया गया हैं। बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटन में 22.6 प्रतिशत बढ़ोतरी करने के साथ ही मनरेगा के लिए आवंटन भी 9 प्रतिशत बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का प्रस्ताव है।

इसी को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री ने खासतौर पर जल उपलब्धता को लेकर 'हर घर जल, हर घर नल' के तहत 2024 तक हर घर में नल से जल की आपूर्ति किए जाने की घोषणा की। हाल ही में सरकार ने जल संकट दूर करने के लिए 'जल शक्ति अभियान' की शुरुआत की थी, इस संबंध में जल–स्तर में गिरावट वाले जिलों की पहचान किए जाने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि 256 जिलों में सरकार जलशक्ति अभियान चलाएगी। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2024 तक 'हर घर जल' पहुंचाने का है।

नए बने मंत्रालय ने पहले के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय की जगह ली है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के तहत हर घर तक तय समयसीमा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत इस्तेमाल किए जा चुके पानी का इस्तेमाल खेतों में सिंचाई के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार की कोशिश पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराना है। इस बजट में वित्तमंत्री ने कहा कि जलशक्ति मंत्रालय इस योजना को ज़मीन पर उतारने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा।

नवगठित नया जलशक्ति मंत्रालय समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति की देखरेख करेगा। स्थानीय–स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर आधारित प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाएगा।

यातायात मार्गों का उन्नयन

इस बार के बजट में केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा जोर सड़कों, मेट्रो का जाल बिछाने, रेल नेटवर्क को दुरुस्त करने पर हैं। बेहतर यातायात के लिए ग्रामीण बाज़ार से गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों को राज्य–स्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय गैस ग्रिड, जल ग्रिड, सूचना मार्ग और हवाईअड्डों के विकास के लिए खाका तैयार किया जाएगा। चार सालों में गंगा में माल परिवहन में चार गुना वृद्धि होगी।

बजट में कहा गया कि भारतमाला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण–शहरी क्षेत्र के बीच के अंतर को पाटने का काम कर रही हैं और परिवहन के बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही हैं। भारतमाला परियोजना से राज्यों को रोडवेज विकसित करने में मदद मिलेगी। देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है और 300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है और इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट भी दी गई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III में अगले 5 वर्ष में 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1,25,000 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत आवंटन 15,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस तरह ग्रामीण सड़कों के लिए बजट में 22.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। रिहायशों में चौतरफा कनेक्टिविटी हासिल करने की गति तेज करने के लिए इन्हें पूरा करने का लक्ष्य 2022 से कम करके 2019 कर दिया गया। ऐसी रिहायशों में 97 प्रतिशत से अधिक ऐसी कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जिस पर किसी भी मौसम का असर न हो। ऐसा पिछले 1000 दिनों में तेज गति से प्रतिदिन 130 से 133 किलोमीटर सड़क निर्माण के कारण संभव हुआ है। निरंतर विकास के एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए पीएमजीएसवाई की 20,000 किलोमीटर सड़कों का हरित प्रौद्योगिकी, कचरे वाला प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए निर्माण किया गया है, जिससे कार्बन पदचिन्ह कम हुए हैं।

सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 97 से अधिक आवासों को कनेक्टिविटी प्रदान की है, जिससे किसी भी मौसम में आया–जाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक लाभ देखने को मिले हैं।

बिजली की व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए कदम

इस बजट में बिजली की व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। 'वन नेशन, वन ग्रिड' प्लान का ऐलान किया गया है। इस योजना से हर घर को बिजली मिलेगी। इस योजना से पूरे देश में एक समान टैरिफ लागू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही, पानी और गैस के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट

सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायत देगी। सरकार जगह–जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर

भारत में जल सुरक्षा

- नया जल शक्ति मंत्रालय एक समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन की देखरेख करेगा।
- जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 'हर घर जल' (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
- स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर आधारित प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।

इसके लक्ष्य तक पहुंचने के क्रम में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को एक साथ मिलाया जाएगा।

- जलशक्ति अभियान के लिए 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है।
- इस उद्देश्य के लिए क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि का उपयोग किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

पॉइंट लगाएगी, जहां लोग अपना वाहन आसानी से चार्ज कर सकेंगे। हाल के दिनों में इलैक्ट्रिक वाहनों पर ज़ोर दिया गया है। बजट भाषण में सरकार की योजनाओं और नीतियों का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को प्रदूषण से बचाया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन

2 अक्टूबर, 2019 तक भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। 2 अक्टूबर, 2014 से लेकर अब तक 16 करोड़ शौचालयों का निर्माण हो चुका है और 5.6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। आगामी वर्षों के लिए प्रत्येक गांव में ठोस–अपशिष्ट के स्थायी प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन का अधिक गति से विस्तार प्रस्तावित है।

उज्ज्वला और सौभाग्य योजना

योजनाओं से ग्रामीण परिवारों के जीवन में भारी सुधार आया है। 7 करोड़ से अधिक एल.पी.जी. कनेक्शनों से स्वच्छ एवं सुलभ रसोई गैस के फलस्वरूप ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए हैं। साथ ही, स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ (2022) तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली एवं स्वच्छ रसोई गैस जैसी पर्यावरण–अनुकूल सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। जल शक्ति मंत्रालय को एकीकृत और समग्र तरीके से देश के जल संसाधनों का प्रबंधन सौंपा गया है ताकि 'जल जीवन मिशन' के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों की जलापूर्ति (हर घर जल) सुनिश्चित की जा सके।

कृषि के बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश

सरकार कृषि के बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश करने के साथ–साथ कृषि उत्पाद के मूल्यवर्धन व कृषि संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए समर्थन और उचित प्रौद्योगिकीकरण के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली कनेक्शन के साथ–साथ स्वच्छ रसोई गैस के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा

इस बजट में, स्फूर्ति योजना के तहत बांस, मधु एवं खादी उद्योग के साथ–साथ कृषि ग्रामीण उद्योगों को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। वैल्यू–चेन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मत्सय सम्पना योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास व आधुनिकीकरण, उत्पादन क्षमता तथा गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मत्स्य प्रबंधन नेटवर्क विकास हेतु की जाने वाली सरकार की पहल वास्तव में एक दीर्घकालिक दृष्टि है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और समय–समय पर देश–विदेश की अखबारों और पत्रिकाओं में राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर लिखते रहते है। उन्हें पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए अमेरिका का प्रतिष्ठित गेराल्ड लोब अवार्ड मिल चुका हैं।)

ईमेल : office@sanjayjha.in

Scanned by CamScanner

सड़क और संचार क्रांति से बदलता ग्रामीण भारत

–अरविंद कुमार सिंह

ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण से गरीबी निवारण की संपूर्ण रणनीति में सड़कें बेहद अहम हैं। ये जीविकोपार्जन का अवसर सुलभ कराने से लेकर किसानों को वाजिब दाम दिलाने और उनकी तमाम जरूरतों तक पहुंच बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। पीएमजीएसवाई योजना ने दूरदराज और छितराए हुए क्षेत्रों को जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई है। योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अपारंपरिक सामग्रियों जैसे बेकार प्लास्टिक, फ्लाई एश रेत कई धातुओं के बेकार हिस्सों का उपयोग भी किया जा रहा है और हरित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बजट के एक सप्ताह के भीतर ही 10 जुलाई, 2019 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी। इसके तहत 80,250 करोड़ की लागत से करीब 1.25 लाख किमी. सड़कें बनेंगी। पहले चरण में 97 फीसदी गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। योजना के तहत 1.66 लाख गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। तीसरे चरण में उन्नयन का लंबा खाका बनाया गया है, जो 2024–25 तक साकार हो जाएगा और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी ताकत मिलेगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–चरण 3 में एक छोर से दूसरे छोर के मार्गों तथा रिहायशी क्षेत्रों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वाली प्रमुख ग्रामीण संपर्क सडकें शामिल हैं। सरकार का आकलन है कि इससे ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से आवाजाही आसान और तेज होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत में से केंद्रीय हिस्सा 53,800 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 26,450 करोड रुपये है। इन सड़कों का निर्माण 2019–20 से 2024–25 के दौरान होगा। इसके तहत सड़कों का चयन आबादी, बाजार, शैक्षणिक तथा चिकित्सा सुविधाओं के मानकों के लिहाज से किया जाएगा। इसके तहत राज्यों से समझौता ज्ञापन करने को कहा जा रहा है ताकि पांच वर्ष तक की निर्माण रखरखाव अवधि के बाद सड़कों के रखरखाव के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा सके।

वित्तमंत्री ने वर्ष 2018–19 के अपने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने 9 अगस्त, 2018 को अपनी बैठक में पीएमजीएसवाई–I और पीएमजीएसवाई–II को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे जारी रखने तथा मार्च 2019 तक पीएमजीएसवाई–1 के अंतर्गत शेष पात्र रिहायशी क्षेत्रों को कवर करने तथा मार्च 2020 तक पीएमजीएसवाई–II और चिन्हित नक्सल–प्रभावित ब्लॉकों की 100 से 249 आबादी को कवर करना जारी रखने की स्वीकृति दी थी। दिसंबर 2000 में लांच होने के बाद से 97 प्रतिशत पात्र रिहायशी क्षेत्र सभी मौसम वाली सड़कों से जुड़ गए हैं।

हाल में केंद्रीय बजट पेश करते समय केंद्रीय वित्तमंत्री

Scanned by CamScanner

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- पात्र और व्यवहार्य आवास स्थलों को सड़क संपर्क से जोड़ने की गति तेज करने के लिए इन्हें पूरा करने का निर्धारित लक्ष्य 2022 से कम करके 2019 किया गया है। ऐसे 97 प्रतिशत आवास स्थलों को सभी मौसमों के लिए अनुकूल सड़क संपर्क से जोड़ दिया गया है।
- हरित प्रौद्योगिकी, कचरा प्लास्टिक और शीत मिश्रित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 30,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अगले पांच वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन किया जाएगा।

श्रीमती निर्मला सीतारामन ने ग्रामीण सड़कों के साथ रेलवे से लेकर गरीब आदमी की परिवहन व्यवस्था यानी जल परिवहन को बेहतर बनाने के लिए कई कदमों की घोषणा की। इससे ग्रामीण इलाकों पर खासा असर होगा और परिवहन की लागत कम होगी। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत से सामाजिक–आर्थिक लाभ मिले हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य हर मौसम के अनुकूल सड़कों का निर्माण कर संपर्क स्थापित करना है। खेत से बाज़ार तक संपर्क देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें उन्नयन का घटक भी है। प्रधानगंत्री ग्राम सड़क योजना–2 का उद्देश्य चयनित ग्रामीण सड़कों का उन्नयन कर सड़क नेटवर्क को जीवंत बनाए रखना है। ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण से गरीबी निवारण की संपूर्ण रणनीति में सड़कें बेहद अहम हैं। ये जीविकोपार्जन का अवसर सुलभ कराने से लेकर किसानों को वाजिब दाम दिलाने और उनकी तमाम जरूरतों तक पहुंच बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इस पीएमजीएसवाई योजना ने दूरदराज और छितराए हुए क्षेत्रों को जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई। योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अपारंपरिक सामग्रियों जैसे बेकार प्लास्टिक, फ्लाई एश समेत कई धातुओं के बेकार हिस्सों का उपयोग भी किया जा रहा है और हरित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत तय कुल सड़कों में से 15 फीसदी का निर्माण नवीन हरित प्रौद्योगिकी के ज़रिए हो रहा है। सड़कों के किनारे पौधारोपण के साथ इनमें मनरेगा और दूसरी योजनाओं की मदद भी ली जाएगी।

इस योजना की खूबी यह है कि इसकी इकाई राजस्व ग्राम की जगह बसावट रखी गई है। इसके तहत मैदानी इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी और पहाड़ी इलाकों में 250 या उससे अधिक आबादी की बसावटें आती हैं। सबसे अधिक नक्सल–प्रभावित इलाकों में 100 या उससे अधिक आबादी की बसावटें भी योजना के दायरे में शामिल की गई हैं। हालांकि कुछ इलाकों में भूमि विवाद, सड़क बनाने के लिए जरूरी भूमि का उपलब्ध होना, वन और वन्य जीवन से संबंधित आपत्तियों आदि के नाते देरी हुई है, लेकिन समग्र रूप से इसकी गति तेज है।

पिछले दो चरणों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण जीवन में व्यापक सुधार किया है। वर्ष 2010 से 2014 के दौरान जहां 1.33 लाख किमी. ग्रामीण सड़कें बनी थीं, वहीं 2014 से 2018 के दौरान 1.69 लाख किमी. से अधिक सड़कें बनीं। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तीन गुना बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2003–04 से 2013–14 तक जहां रोज 91 किमी. सड़कें बनीं वहीं 2017–18 में रोज़ करीब 134 किमी. सड़कें बनीं।

वैसे तो ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय हैं लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की ऐसी एकबारगी विशेष पहल है, जिसका मकसद कोर नेटवर्क में संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़कों के साथ जोड़ना है। व्यापक गरीबी उपशमन नीति के तहत यह योजना 25 दिसंबर, 2000 को आरंभ की गई थी। इस योजना के पीछे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और ग्रामीण विकास मंत्री एम.वेंकैया नायडु (अब उप–राष्ट्रपति) ने काफी गंभीर विचार–मंथन किया था। इस योजना ने तमाम उपेक्षित इलाकों में सड़कों का जाल फैलाकर सामाजिक–आर्थिक विकास का बेहतरीन ताना–बाना बुना।

इस योजना के तहत सड़कें बनाने का जिम्मा राज्यों पर है। राज्य–स्तर पर ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियां यह काम देखती हैं। कामकाज की निगरानी के साथ भारत सरकार तमाम अहम दिशा–निर्देश जारी करती है। योजना की खूबी यह है कि सड़क बनने से लेकर पांच साल तक उसकी देखरेख का काम भी आरंभिक ठेके में शामिल होता है। योजना के तहत बनने वाली सड़कों का रखरखाव राज्यों के जिम्मे है लेकिन इस काम में भी केंद्र सरकार मदद देती है। यही नहीं, भारत सरकार की ओर से ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए 747 मास्टर ट्रेनरों और 14,803 इंजीनियरों और ठेकेदारों को प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिससे राज्यों में क्षमता विकास में मदद मिली है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए नीति आयोग की पहल पर गठित मुख्यमंत्रियों के उप समूह की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने केंद्र और राज्यों में 2015–16 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वित्तपोषण में 60–40 अनुपात में भागीदारी तय की। हालांकि पूर्वोत्तर के आठ राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90–10 का है। वित्तपोषण की इस पद्धति से निधियों की उपलब्धता और बढ़ गई। साथ ही, कई इलाकों में मनरेगा के तहत भी सीमेंट और कंक्रीट से आंतरिक सड़कों के बनने से स्थिति बेहतर हुई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर सरकार ने काफी धन आवंटित किया है। पहली बार 2016–17 के बजट में 19 हजार करोड़ रुपये इस मद में आवंटित किए गए जो 2013–14 के वार्षिक

Scanned by CamScanner

आवंटन का दुगुने से भी अधिक था। वर्ष 2016–17 में इस योजना के तहत रिकॉर्ड 47,350 किलोमीटर सडकें बनी। वहीं 2013–14 में 25,316 किलोमीटर, 2014–15 में 36,337 किलोमीटर और 2015–16 में 36,449 किलोमीटर सडक का निर्माण किया गया था। वर्ष 2011 से 2014 के दौरान जहां रोज औसतन 73 किलोमीटर सड़कें बन रही थी वहीं 2014–15 और 2015–16 में बढ़कर 100 किलोमीटर और 2016–17 में 130 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। इसकी गुणवत्ता पर सरकार का खास ध्यान है। इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी कर रहा है। 2016–17 में 7597 निरीक्षण किए गए। इसके निरीक्षित कामों में महज 8.21 फीसदी ही असंतोषजनक पाए गए।

ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के मापदंडों में समय–समय पर सुधार करने से काफी बदलाव हुए हैं। 'मेरी सड़क' नाम से नया ऐप भी लांच हुआ, जिससे तमाम इलाकों की खराब सड़कों के बारे में प्रशासन को जानने–समझने और उस पर त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिली है। इस योजना के तहत नई प्रौद्योगिकी से सड़कों की लागत घटाने की कोशिश भी हो रही है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने निर्माण और अनुरक्षण के लिए नेचुरल रबड़ मोटीफाइड बिटुमन समेत कुछ अन्य परीक्षण किए हैं।

ग्रामीण इलाकों में कमजोर सड़क नेटवर्क के नाते बहुत–सी दिक्कतें आती थीं। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने दुर्गम इलाकों तक को मुख्यधारा से जोड़ कर नए अवसर पैदा किए और गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने में भी मदद की है। भारत सरकार ने 11वीं योजना के दौरान देश की 60,638 बसावटों को 1,29,707 किमी. नई सड़कों से जोड़ने और 1,00,749 सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य रखा था। लेकिन कुल 47,809 बसावटें 1,22,107 किमी. सड़कों से जुड़ी और उन्नयन 1,0,7749 किमी. सड़कों का ही हो पाया। फिर 12वीं योजना में 1.05 लाख करोड़ रुपये की लागत से 29,156 बसावटों में 1,62,000 किमी. राड़क बनाने और 78,000 किमी. सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया। साथ ही, नक्सलवाद–प्रभावित 82 चुनिंदा जिलों की बस्तियों को राड़क से जोड़ने की पहल भी हुई।

वैसे तो दिसंबर 2,000 में जब योजना बनी, तो लक्ष्य रखा गया था कि 2007 तक 1,32,000 करोड़ रुपये व्यय के साथ सारी बसावटों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन धीमी गति के नाते तब तक 20 फीसदी काम ही पूरे हो सके। फिर भी योजना से गांवों का चेहरा बदलने लगा तो नीति निर्माताओं में इसकी गति तेज करने के लिए दबाव बना। तमाम दुर्गम इलाकों के लोग जहां बाजारों तक ऊंट और बैलगाड़ी से जाते थे, वहां बहुत कुछ बदल गया है। किसान अपनी उपज, दूध और अन्य उत्पादों को मंडियों तक आसानी से पहुंचाने लगे हैं। इनकी बदौलत ग्रामीण इलाकों में नई क्रांति आई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ होने के दौरान सड़क संपर्क से एकदम वंचित 1.79 लाख बस्तियों को जोड़ने के लिए 78,000 करोड़ रुपये की लागत से 3.75 लाख किमी. नई सड़क निर्माण का आकलन किया गया था। वहीं 59,000 करोड़ रुपये की लागत से 3.72 लाख किमी. सड़कों के सुधार का काम होना था।

बीते पांच सालों से भारत सरकार गांव, गरीब और किसान को केंद्र में रख कर काम कर रही है। इससे ग्रामीण आधारभूत ढांचे में काफी बदलाव आए हैं। चरणबद्ध तरीके से गांवों के कायाकल्प की कोशिशें जारी हैं। साथ ही, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी कई स्तर के प्रयास हो रहे हैं। हर गांव में बिजली पहुंचने के बाद 'हर घर और खेत को पानी' की योजना के लिए काम चल रहा है। ग्रामीण स्वच्छता और मनरेगा ने भी गांवों का चेहरा बदलने में मदद की है। लेकिन इसमें ग्रामीण सड़कों ने खास काम किया है। आज भारत के पास संसार का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क–तंत्र है। इनमें सबसे विशाल तंत्र ग्रामीण सड़कों का है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ग्रामीण सड़कें हमारी धमनियों की तरह काम कर रही हैं। हमारी कुल सड़कों में आज 80 फीसदी से अधिक ग्रामीण राड़कें हैं।

देश में आर्थिक विकास की गति तेज होने के साथ रेलवे और सड़कों पर भारी बोझ पड़ रहा है। इस नाते सरकार ने जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया है। ये सारे प्रयास कहीं न कहीं रंग ला रहे हैं। सरकार ने 22 हजार ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। साथ ही, मंडी सुधारों की दिशा में भी उल्लेखनीय पहल की है। लेकिन हाटों और मंडियों तक मजबूत नेटवर्क के बिना कृषि उपज की आवाजाही सुनिश्चित नही हो सकती है। गावों में स्वच्छता से लेकर बिजली पानी और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का असर भी दिखने लगा है।

ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति

हाल में आम बजट 2019–20 प्रस्तुत करते समय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण डिजिटल क्रांति की दिशा में चल रहे कदमों के तेज विस्तार का संकल्प दोहराते हुए कई कदमों की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की सफलता के आंकड़ों का विवरण देते हुए डिजिटल साक्षरता के साथ ग्रामीण और शहरी भेद को दूर करने के लिए भारत नेट के तहत हर ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी और बताया कि इसके लिए वैश्विक दायित्व निधि का उपयोग किया जाएगा।

एक विशाल देश होने के नाते भारत में योजनाओं को दूरदराज के इलाकों में पहुंचाना एक चुनौती भरा काम है। कई गांवों में कमजोर कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल साक्षरता के अभाव के नाते दिक्कतें हैं। इस बजट में इन बातों को केंद्र में रखा गया है। डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र और खासतौर पर गांवों तक पहुंचाने की दिशा में सरकार पूरा जोर दे रही है। इसके पहले अंतरिम बजट के दौरान अगले पांच सालों में एक लाख गांवों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया था।

Scanned by CamScanner

यह सच है कि ग्रामीण भारत सूचना और संचार क्रांति का लाभ उस तरह नहीं उठा सका था, जैसा शहरी इलाकों ने उठाया। लेकिन मोदी सरकार ने इसे खास एजेंडे पर लिया जिसका असर यह हुआ है कि बीते पांच सालों में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली है। अब तक देश भर में 95 फीसदी से अधिक आबादी 3जी और 4जी नेटवर्क से कवर हो चुकी है, जो ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है। 10 जुलाई, 2019 को जारी ट्राई की रिपोर्ट बताती है कि देश में 100 लोगों में 25.36 ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता हैं। 31 मार्च, 2019 तक कुल 227.91 मिलियन ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 190.03 मिलियन ग्रामीण ब्रॉडबैंड उपभोक्ता हैं। ये आंकड़े इस बात के संकेतक हैं कि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति किस तरह प्रभावी हो रही है। ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी देने के लिए भारतनेट परियोजना के तहत जुलाई 2019 तक 3.45 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी ओएफसी बिछाकर कुल 1.31 लाख से अधिक गांव पंचायतों को कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी जा चुकी है। इनमें से 1.20 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार भी कर दिया गया है। इसके अलावा 854 ग्राम पंचायतों को सेटेलाइट मीडिया पर सेवा के लिए तैयार किया गया है। भारतनेट परियोजना के तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से दो चरणों में कुल 20,431 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल संचार को सरकार ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का केंद्रीय हिस्सा बना दिया है। इसके तमाम सकारात्मक असर खेतीबाड़ी से लेकर बहुत से क्षेत्रों में दिखने लगे हैं। पिछले पांच वर्षों में डिजिटल भुगतान आठ गुना बढ़ा है। भारत डिजिटल क्रांति से नहीं चूकना चाहता। सितंबर 2018 के दौरान प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज बनाना है। उपभोक्ता-केंद्रित और एप्लीकेशन प्रेरित यह नीति हमें 5जी, आईओटी, एम2एम जैसी अगली तकनीक लांच होने के बाद नए विचारों और नवाचार की ओर ले जाएगी। नई नीति का उद्देश्य सभी के लिए ब्रॉडबैंड, डिजिटल संचार क्षेत्र में 40 लाख अतिरिक्त रोजगार के साथ भारत के जीडीपी में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को 2017 के 6 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी करना है। सरकार की रणनीति है कि यह उद्देश्य 2022 तक हासिल हो जाए। इसमें हर नागरिक को 50 एमबीपीएस की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक एक जीबीपीएस की कनेक्टिविटी प्रदान करना और 2022 तक 10 जीबीपीएस की कनेक्टिविटी देना शामिल है।

सूचना और संचार क्रांति को ग्रामीण दुर्गम इलाकों तक या घर-घर पहुंचाने के लिए बहु-स्तरीय प्रयास जारी हैं। देश में दूरसंचार से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं पर सरकारी खर्च में छह गुना इज़ाफा हुआ है और शुल्क दरों में कटौती से देशभर में उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। औसत डाटा शुल्क-दर में 96 फीसदी की उल्लेखनीय कमी आने से ग्रामीण भारत इसे अपनाने को आगे आया। देश में दूरसंचार से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं पर सरकारी खर्च 2009-14 के दौरान जहां 9,900 करोड़ रुपये था, वह 2014-19 में 60,000 करोड़ रुपये हो गया। औसत वॉयस कॉल दर में 67 प्रतिशत की कमी जून 2014 में 51 पैसे की औसत प्रति मिनट दर से घटकर जून 2018 में सिर्फ 11 पैसे के स्तर पर पहुंच गई। इसी तरह औसत डाटा शुल्क दर 2014 में 269 रुपये प्रति जीबी से घटकर जून 2018 में सिर्फ 12 रुपये पर आ गई। इसी तरह भारतनेट परियोजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड क्रांति के युग की दस्तक दे दी है। भारतनेट के तहत रोज 800 किलोमीटर की सर्वोच्च दर के साथ ओएफसी बिछाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ने से लेकर विद्युत आपूर्ति बेहतर होने का असर भी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की सुदृढ़ पहुंच पर पड़ा है। ग्रामीण समाज में इसके बूते आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूकता आई है।

आज संचार सुविधाएं हर व्यक्ति की जरूरत बन गई हैं। कम्प्यूटर एवं संचार-यंत्र हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। इस काम में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ने खास भूमिका निभायी जो फरवरी 2017 में अनुमोदित की गई थी। इसके तहत 2351.38 करोड़ रुपये व्यय के साथ 14 से 60 आयुवर्ग के छह करोड़ ग्रामीणों यानी प्रति परिवार एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने का लक्ष्य तय किया गया। इसकी पाठ्यक्रम सामग्री में डिजिटल वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग, एकीकृत भुगतान इंटरफेस,

Scanned by CamScanner

समेत कई बातें शामिल की गईं। करीब 20 घंटे के डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण में पांच माड्यूल शामिल हैं। इसके तहत देश की ढाई लाख गांव पंचायतों में से हर पंचायत में करीब 200 से तीन सौ लोगों को डिजिटल साक्षर करने की परिकल्पना की गई। सरकारी प्रयासों से अब तक करीब 2.22 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कर दिया गया है, जो अब जागरूकता प्रसार अभियान को गति दे रहे हैं। सेमिनारों से लेकर डिजिटल वैनों, वाई फाई चौपाल और ग्रामीण स्कूलों आदि की मदद ली जा रही है। भारतनेट का प्रयोग कर 43,621 गांव पंचायतों में वाई फाई हॉटस्पाट स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत दुर्गम और नक्सलवाद–प्रभावित इलाकों से लेकर पूर्वोत्तर में कवर न किए गए गांवों में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ–साथ मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने की व्यापक योजना बनाई है।

शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि में ग्रामीणों की मदद के लिए राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, ई–अस्पताल, राष्ट्रीय कृषि बाजार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। गांवों में भी दूरसंचार और आईटी क्षेत्र का आश्चर्यजनक विकास नजर आने लगा है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड देश की सभी ग्राम–पंचायतों में डिजिटल क्रांति में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत नेट के चरण–2 में हर ग्राम पंचायत में औसतन पांच वाई–फाई एक्सेस प्वाइंट की रणनीति बनाई गई है। इनमें औसत रूप से तीन एक्सेस प्वाइंट शिक्षा केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, डाकघरों और पुलिस थानों के लिए होंगे। भारत सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह परियोजना शासन में सुधार या ई–गवर्नेंस के लिए भी काफी अहम है। प्रधानमंत्री ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि ई–गवर्नेंस एक आसान, प्रभावकारी और किफायती शासन प्रणाली है।

सभी पंचायतों को ब्राडबैंड से जोड़ने के बाद देश की अर्थव्यवस्था की गति और तेज होगी। खेतीबाड़ी से जुड़ी सूचना हासिल करना, मंडी में उत्पाद भेजना और बेहतर तकनीक हासिल करना और आसान होगा। इससे ई–कामर्स, ई–शिक्षा, ई–स्वास्थ्य दूरदराज के इलाकों में आसानी से पहुंच सकेगा और ग्रामीण जनता का जीवन–स्तर सुधरेगा। इसमें मोबाइल कनेक्शन मुख्य आधार बनेगा। सरकारी योजना है कि गांवों में कुम्हार, बुनकर, बढ़ई,कारीगर जैसे पेशेवरों के लिए इसके माध्यम से नई संभावनाएं बनाई जाएं।

भारत सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। डिजिटल इंडिया के अभिन्न घटक ई–क्रांति के कार्यान्वयन का उद्देश्य शासन में सुधार के लिए ई–गवर्नेंस में सुधार लाना है और देश में ई–गवर्नेंस के परिणाम, शासन में आसानी और सुशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं। दूरसंचार विभाग ने आम लोगों के पास पहुंचने और उन्हें कम लागत पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने 2018–19 की दूरसंचार मंत्रालय की अनुदान मांगों की पड़ताल करते हुए स्वीकार किया कि भारत में दूरसंचार क्षेत्र का चौतरफा विकास हाल

Scanned by CamScanner

के सालों में हुआ है। मजबूत उपभोक्ता मांग, उदार और सुधारवादी नीतियों ने इसे गति दी है जिस नाते भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार बना है। किसी देश में ब्राडबैंड की पहुंच में 10 फीसदी वृद्धि होने पर जीडीपी में करीब एक फीसदी की वृद्धि होती है। हाल के कुछ अध्ययन बताते हैं कि भारत विश्व में सर्वाधिक इंटरनेट प्रयोक्ताओं के मामले में दूसरे नंबर पर है।

डिजिटल क्रांति और जागरूकता प्रसार में कई अन्य विभाग भी मददगार हैं। पंचायती राज मंत्रालय ई–पंचायत मिशन मोड परियोजना चला रहा है जिसके तहत पंचायतों का डिजिटलीकरण हो रहा है। मंत्रालय की ओर से 2018–19 से क्रियान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पुनर्गठित योजना के तहत कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पहले की योजना में देश के 17 राज्यों में 37,277 ग्राम–पंचायतों को कंप्यूटर प्रदान करने के बाद 2018–19 में 8697 और 2019–20 में 10292 कंप्यूटर अनुमोदित किए गए हैं।

मोबाइल क्रांति 'हर घर तक दस्तक'

बीते पांच सालों में भारत में मोबाइल क्रांति ने 'हर घर तक दस्तक' दी है। देश में रागग्र टेली घनत्व में वृद्धि जून 2014 के 75 फीसदी से बढ़कर मार्च 2018 में 93 फीसदी तक पहुंच गई और 30.5 करोड़ नए ग्राहक बने। इस दौरान मोबाइल इंटरनेट की खरीददारी दोगुनी हो गई। इंटरनेट कवरेज में 107 फीसदी से भी अधिक की वृद्धि हुई और इसके उपभोक्ताओं की संख्या 25.1 करोड़ से बढ़कर 51.2 करोड़ तक पहुंच गई। मोबाइल बेस स्टेशनों यानी बीटीएस की संख्या 7.9 लाख से बढ़ कर मई 2018 में 20 लाख से भी अधिक हो गई। इस दौरान ब्रॉडबैंड तक पहुंच में सात गुना इजाफा हुआ। मई 2014 के बाद से संचार क्षेत्र में बहुत से बदलाव आए हैं। वर्ष 2015–16 में भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क बन गया। मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या एक अरब पार कर गई। 2011 की जनगणना के लिहाज से देश के 5,97,618 गांवों में से 43,088 गांवों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इनको चरणबद्ध तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चल रहा है। इस तरह मोबाइल क्रांति एक नया इतिहास रच रही है और ग्रामीण डिजिटल क्रांति का आधार भी यही बन रही है।

संचार क्रांति और भारतीय डाक

भारतीय डाक भी ग्रामीण इलाकों को ताकत देने में इस नाते सक्षम है क्योंकि इसने खुद को समय के साथ बदला है। भारत के 1.55 लाख डाकघरों में से 1.29 लाख ग्रामीण डाकघर हैं जो बचत से लेकर मनी ट्रांसफर जैसी कई सेवाएं दे रहे हैं। ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन में सक्षम होने और कोर बैंकिंग के साथ ये आधुनिक साजो–सामान से लैस हैं। गांवों में ये भी डिजिटल बैंकिंग से लेनदेन का काम करते हुए डिजिटल साक्षरता के विस्तार में मदद कर रहे हैं। भारतीय डाक की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत सभी डाकघरों की नेटवर्किंग के साथ ग्रामीण डाकघरों को सक्षम बना दिया गया है।

आज ग्रामीण इलाकों में काफी डाक आ रही है। साथ ही, ग्रामीण कई उत्पादों की ऑनलाइन शापिंग खूब कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में संचार की एक नई ताकत है। डाकघर भी समय के साथ बदल रहे हैं। आधार खाते का अपग्रेडेशन, गैस सब्सिडी, मनरेगा भुगतान से लेकर तमाम कामों को वे नए साजो–सामान से लैस होने के नाते करने में सक्षम हैं। किसानों और खेतिहर मजदूरों का उनके साथ गहरा जुड़ाव है। ग्रामीण डाकघरों को आरटीएस मशीन से लैस कर दिया गया है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के दौर में विश्व के अधिकतर देशों में डाकघर या तो बंद हो रहे हैं या सिमट रहे हैं। लेकिन भारतीय डाक आज भी खासतौर पर देश के ग्रामीण इलाकों की धड़कन बनी हुई है तो उसकी वजह यह है कि उसने खुद को समय के साथ बदला। चाहे डाक हो, बैंकिंग सेवा हो, जीवन बीमा और मनीआर्डर हो, रिटेल सेवाओं का मसला हो या स्पीड पोस्ट से लेकर मनरेगा की मजदूरी बांटने का, सबको संचार क्रांति के साथ ताकतवर बनाया गया है। एक डाकघर औसतन 7753 व्यक्तियों को सेवा दे रहा है। ग्रामीण भारत की ताकत को देखते हुए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी जमीन पर उतारी गई है। आईपीपीबी 1 सितंबर, 2018 को 'आपका बैंक–आपके द्वार' नारे के साथ आरंभ हुआ और ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन में बड़ी ताकत बन रहा है। यह बचत और चालू खातों, मनी ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिल और कई सेवाओं को दरवाजे तक पहुंचा रहा है। इसके लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का उपयोग हो रहा है और काउंटर सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग एप, एसएमएस और आईवीआर इस सेवा की ताकत है।

(लेखक परिवहन और संचार क्षेत्र के विशेषज्ञ और राज्यसभा टीवी में संसदीय मामलों के संपादक हैं।)
ई–मेल : arrindksingh.rstv@gmail.com

Scanned by CamScanner

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का अर्थशास्त्र

–डॉ. अमीय कुमार महापात्रा

जैसाकि प्रधानमंत्री द्वारा 2024–25 तक 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया गया है, इसे हासिल करने के लिए भारत को लगातार 8 प्रतिशत विकास दर का स्तर बनाए रखना होगा। इस विकास दर को बचत, निवेश और निर्यात के 'गुणात्मक चक्र' के माध्यम से ही लगातार बनाए रखा जा सकता है और इसे अनुकूल जनांकिकीय स्थिति से सहारा मिल सकता है। इस लक्ष्य में निवेश, विशेष तौर पर निजी निवेश की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है; जिससे मांग बढ़ती है, क्षमता का निर्माण होता है, श्रम उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, नई तकनीक का आगमन होता है, रचनात्मक बदलाव की गुंजाइश बनती है और रोजगार पैदा होता है। सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता में व्यवहारवादी अर्थशास्त्र का उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है: आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19

किसी देश का विकास लोगों की पसंद/इच्छा और उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में डॉ. महबूब–उल–हक का कथन बिल्कुल सटीक है। उनके मुताबिक, "विकास का बुनियादी उद्देश्य लोगों की पसंद को व्यापक बनाना है। सैद्धांतिक तौर पर इच्छाएं अनंत हो सकती हैं और वक्त के साथ इसमें बदलाव हो सकता है। लोग अक्सर उन उपलब्धियों को मूल्यवान मानते हैं, जो आय या विकास के आंकड़ों में बिल्कुल या तुरंत नहीं दिखती हैं। व्यापक–स्तर पर ज्ञान की उपलब्धता, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं, ज्यादा सुरक्षित आजीविकाएं, अपराध और शारीरिक हिंसा से सुरक्षा, अनकाश के संतोषजनक घंटे, राजनीतिक और सांस्कृतिक आज़ादी और सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी का भाव।" विकास का मुख्य मकसद ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है, जो गरीबी, असमानता, बेरोजगारी और शोषण से मुक्त हो और जहां लोग लंबा, स्वास्थ्यकर और रचनात्मक जीवन गुजारें।

आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19

आर्थिक सर्वेक्षण एक सालाना दस्तावेज है, जिसे वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। इसमें सेक्टरों के हिसाब से और संपूर्ण आर्थिक मोर्चे पर प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। इसमें पिछले कुछ साल की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया जाता है और आने वाले साल के लिए नीतिगत उपायों के जरिए रोडमैप पेश किया जाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950–51 में पेश किया गया था और उत्तरोत्तर वर्षों में बजट से पहले संसद में आर्थिक समीक्षा पेश करने की परंपरा बन गई। यह बेहद प्रासंगिक नीतिगत दस्तावेज की तरह काम करता है। दरअसल, इसमें व्यष्टि (सूक्ष्म) और समष्टिगत (वृहद) आर्थिक मानकों से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं।

2018–19 का आर्थिक सर्वेक्षण काफी व्यापक है और इसमें विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सर्वे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नीतिगत–स्तर पर जिन सभी दृष्टिकोण और भविष्य की कार्ययोजनाओं को शामिल किया गया है, वे आर्थिक मॉडल पर आधारित हैं और भारतीय आर्थिक परिदृश्य के हिसाब से सटीक बैठते हैं। इसके अलावा, सर्वे में तालिकाओं, चित्रों और ग्राफ के माध्यम से चीजों को प्रस्तुत किए जाने से विषय–वस्तु को समझना ज्यादा आसान है।

आर्थिक सर्वेक्षण दो खंडों में है और इसमें हमारे देश के सभी महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक पहलुओं की व्याख्या की गई है। इसमें मौजूदा आर्थिक योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है और नई योजनाओं, नीतिगत हस्तक्षेप, सुझाव–आधारित समाधानों का ब्यौरा दिया गया है जो पूरी तरह से स्वीकार्य सिद्धांतों और मॉडलों पर आधारित हैं। कुछ अध्याय मौजूदा सरकार की नीतियों और काम करने के तौर–तरीकों, सिद्धांत, मॉडल आदि

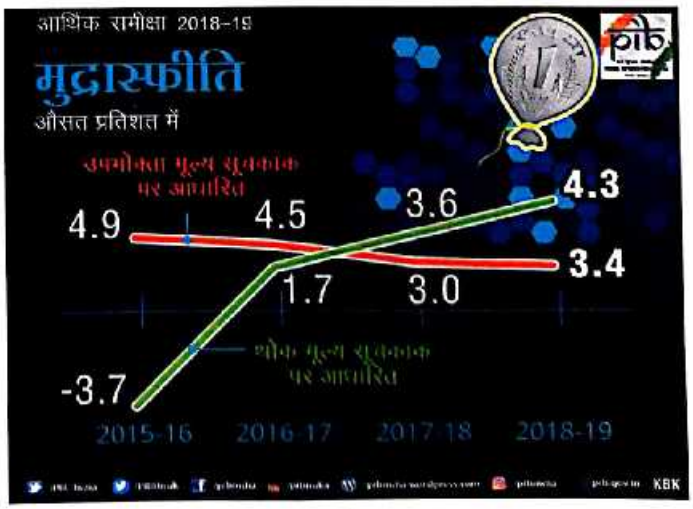

Scanned by CamScanner

के बारे में समझने के लिहाज से काफी उपयोगी हैं। उदाहरण के तौर पर बदलाव के संकेतः विकास, रोजगार, निर्यात और मांग में निजी निवेश का महत्व; होमो सेपियंस के लिए नीति, व्यवहारवादी अर्थशास्त्र पर आधारित अध्याय; बड़ा बनने के लिए छोटे का पोषणः एमएसएमई विकास के लिए नीतियों में नयापन; आंकड़े– "लोगों के, लोगों द्वारा और लोगों के लिए"; मत्स्यन्याय की समाप्तिः न्यायपालिका में निचले स्तर पर क्षमता में बढ़ोतरी कैसे हो; नीतिगत अनिश्चितता का निवेश पर दुष्प्रभाव; 2040 में भारत की जनसंख्याः 21वीं सदी के लिए जनहित में योजना; स्वस्थ भारत के जरिए स्वच्छ भारत से सुंदर भारतः स्वच्छ भारत अभियान का विश्लेषण और कल्याणकारी योजनाओं हेतु समावेशी विकास और तकनीक का उपयोग जैसे मनरेगा; समावेशी विकास के लिए भारत में न्यूनतम मजदूरी प्रणाली की पुनर्रचना आदि अध्याय दिलचस्प और उपयोगी हैं। इसी तरह, बाकी अध्यायों में पिछले कुछ साल में सूक्ष्म, समष्टि और सेक्टर आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के बारे में जानकारी है, मसलन– मुद्रा, वित्त और वित्तीय समायोजन; राजकोषीय अनुशासन और विकास; बचत और निवेश; बाह्य क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र का विकास और आधारभूत संरचना; खाद्य और कृषि; सतत विकास और जलवायु परिवर्तन।

केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 4 जुलाई, 2019 को संसद में 2018–19 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रमुख बातें इस तरह हैं:

विज़न इंडिया

भारत को वित्तवर्ष 2024–25 तक 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। इसके लिए भारत के मौद्रिक नीति ढांचे के अनुसार 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर को मानते हुए एक निश्चित समय तक देश के लिए 8 प्रतिशत सालाना विकास दर प्राप्त करना आवश्यक होगा। तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गैर–परंपरागत और रचनात्मक सोच के साथ आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 तैयार किया गया है। बचत, निवेश और निर्यात के 'बेहतर चक्र' और अनुकूल जनांकिकीय माहौल की मदद से लक्ष्यों की तरफ तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। निवेश, खासतौर पर निजी निवेश मांग को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। साथ ही, इससे क्षमता का निर्माण होता है, श्रम उत्पादकता बढ़ती है, नई तकनीक का आगमन होता है, रचनात्मक बदलाव के लिए गुंजाइश बनती है और रोजगार पैदा होते हैं। सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता में व्यवहारवादी अर्थशास्त्र के उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

वित्तीय (राजकोषीय) अनुशासन और वित्तीय प्रबंधन पर ज़ोर

टिकाऊ विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए वित्तीय प्रबंधन और एकीकरण प्रमुख शर्त बन गया है, विशेष तौर पर विमुद्रीकरण और जीएसटी के दौर के बाद यह बेहद अहम हो गया है। विभिन्न समष्टि, अर्थशास्त्रीय और राजकोषीय संकेतकों के बीच राजकोषीय घाटा देश के राजकोषीय रोडमैप और राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन का प्रभावकारी उपकरण है। इसके अलावा, यह राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा संबंधी विश्लेषण का भी आधार है। कई तरह की आवश्यक जरूरतों के बावजूद वित्तमंत्री ने मौजूदा बजट (2019–20) में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.3 प्रतिशत तय किया है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2017–18 में जीडीपी का 3.5 प्रतिशत था, जो 2018–19 में घटकर 3.4 प्रतिशत हो गया। यह आंकड़ा राजकोषीय अनुशासन को दिखाता है। संशोधित लक्ष्यों के तहत वित्तवर्ष 2020–21 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत तक पहुंचाने और वित्तवर्ष 2024–25 तक केंद्र सरकार के कर्ज़ को जीडीपी का 40 प्रतिशत तक करने की बात है। कुल दायित्व–जीडीपी अनुपात (कर्ज़ और बिना कर्ज़ वाली चीजें) 2015 में 43 प्रतिशत था, जो 2018 के अंत तक घटकर 38 प्रतिशत हो गया। जहां तक व्यय का सवाल है, तो राजस्व व्यय में 0.4 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि पूंजीगत व्यय में 0.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वित्तवर्ष 2018–19 में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 15.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और इससे कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी बढ़ी। मंत्रालय टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है और इस मकसद को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय नीतियों को अपना रहा है।

बाहरी क्षेत्र

अंतिम मांग बाहरी क्षेत्र खासतौर पर निर्यात पर निर्भर करती है, जिससे निवेश, रोजगार और जीडीपी की दिशा भी तय होती है। वित्तवर्ष 2018–19 में भारत के निर्यात और आयात की संरचना में लगभग किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। चालू खाता घाटा (सीएडी) में बढ़ोतरी के कारण सामानों के निर्यात में आयात से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह व्यापार घाटे का बढ़ना था। कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय भाव में तेजी के कारण व्यापार घाटे में बढ़ोतरी हुई। हालांकि, सामानों का आयात 21.1 प्रतिशत से घटकर 10.4 प्रतिशत हो गया। भारत ने विभिन्न देशों/राष्ट्र समूहों के

Scanned by CamScanner

साथ 28 द्विपक्षीय/बहुपक्षीय व्यापारिक समझौते किए हैं। वित्तवर्ष 2018–19 में इन समझौते वाले देशों को निर्यात 121.7 अरब डॉलर रहा, जो देश के कुल निर्यात का 36.9 प्रतिशत था। साथ ही, इन देशों से आयात 266.9 अरब डॉलर रहा और देश के कुल निर्यात में यह हिस्सेदारी 52 प्रतिशत रही। इस दौरान देश का चालू खाता घाटा 51.9 अरब डॉलर (जीडीपी का 2.6 प्रतिशत) रहा, जबकि वित्तवर्ष 2017–18 में यह 35.7 अरब डॉलर (जीडीपी का 1.8 प्रतिशत) था। कच्चे तेल की कीमत में तेज बढ़ोतरी के कारण सीएडी की स्थिति खराब हुई। पिछले कुछ साल से भारत का चालू खाता घाटा बढ़ रहा है और 2017–18 में यह जीडीपी के 1.8 प्रतिशत के उच्च–स्तर पर पहुंच गया था। वित्तवर्ष 2018–19 के लिए इस संबंध में 2.4 प्रतिशत का अनुमान पेश किया गया। साल 2013 से कुल दायित्वों में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी होती रही है, जो चालू खाता घाटे के वित्तपोषण में ज्यादा स्थिर संसाधनों की निर्भरता के बारे में दर्शाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में बढ़ोतरी हुई है और कुल दायित्वों में शुद्ध पोर्टफोलियो निवेश गिरा है, जो चालू घाटे में ज्यादा स्थिर साधनों की निर्भरता के बारे में बताता है। वित्तवर्ष 2017–18 में शुद्ध विदेशी निवेश 52.4 अरब डॉलर से घटकर 31.3 अरब डॉलर हो गया, लेकिन 2018–19 में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 14.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष निवेश आया है, उनमें ऑटोमोबाइल और रसायन उद्योग शामिल हैं। मोटे तौर पर वित्तवर्ष 2015–16 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में ऊंची दर से बढ़ोतरी हो रही है। यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों के भरोसे में बढ़ोतरी का संकेत है।

इसके अलावा, 2018–19 में वास्तविक प्रभावकारी विनिमय दर में भी 5.8 प्रतिशत की कमी आई और भारतीय निर्यात के ज्यादा प्रतिस्पर्धी होने के आसार हो गए। वित्तवर्ष 2018–19 के दौरान डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में कमजोरी का रुख रहा है और यह 74.4 प्रतिशत के ऐतिहासिक निचले–स्तर पर पहुंच गया। सभी प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति में ढील, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आदि से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने रफ्तार पकड़ी और इससे 2018–19 की चौथी तिमाही में रुपये को वापसी करने में मदद मिली। 14 जून, 2019 के मुताबिक, भारत का विदेशी मुद्रा रिज़र्व 422.2 अरब डॉलर था। प्रमुख बाहरी कर्ज़ संकेतकों से पता चलता है कि भारत का बाहरी कर्ज़ अरक्षणीय नहीं है।

मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय समायोजन

एनपीए (गैर–निष्पादित संपत्ति) अनुपात में गिरावट से बैंकिंग प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। मार्च और दिसंबर 2018 के बीच वाणिज्यिक बैंकों और सरकारी बैंकों का जीएनपीए अनुपात क्रमशः 11.5 प्रतिशत से घटकर 10.1 प्रतिशत और 15.5 प्रतिशत से घटकर 13.9 प्रतिशत हो गया। हालांकि, गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात मार्च 2018 में 6.1 प्रतिशत था, जो दिसंबर 2018 में 6.5 प्रतिशत हो गया। दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड (इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड) के कारण बड़े पैमाने पर मुश्किल में फंसी संपत्तियों की रिकवरी और निपटारा मुमकिन हुआ और व्यापार की संस्कृति में भी सुधार हुआ। रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले गैर–निष्पादित खातों से बैंकों द्वारा 50,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। मौद्रिक नीति संबंधी सूचनाओं से पता चलता है कि कच्चे तेल में तेजी से मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के संभावित खतरे और अमेरिकी केंद्रीय बैंक– फेडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक नीति में सख्ती के अनुमानों के कारण रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। वित्तवर्ष 2018–19 में औसत एनएफरी वृद्धि 11.2 प्रतिशत हो गई, जो 2017–18 में 7.7 प्रतिशत थी। दूसरी तरफ, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कर्ज़ वृद्धि दर मार्च 2018 में 30 प्रतिशत थी, जो मार्च 2019 में घटकर 9 प्रतिशत पर पहुंच गई। ज़ाहिर तौर पर 2018–19 का दौर इन कंपनियों के लिए मुश्किल भरा रहा। रुपये को कमजोरी से बचाने के लिए 2018–19 में रिज़र्व बैंक के पास 32 अरब डॉलर से ज्यादा का विशाल भंडार था।

उद्योग और आधारभूत संरचना

भारत ने 2018 में 190 देशों की सूची में अपने रैंक को बेहतर करते हुए 77वां स्थान प्राप्त किया। वित्तवर्ष 2018–19 में भारतीय औद्योगिक उत्पादन के लिहाज से औद्योगिक विकास दर 3.6 प्रतिशत रही, जो 2017–18 में 4.4 प्रतिशत थी। वित्तवर्ष 2018–19 के दौरान मौजूदा कीमतों पर जीडीपी में कुल निवेश की हिस्सेदारी थोड़ी ज्यादा यानी 29.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, औद्योगिक क्षेत्र में बैंक कर्ज़ के प्रवाह में 6.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 1 मार्च, 2019 के मुताबिक, कुल 499 ज़िलों में 16,578 स्टार्टअप की पहचान की गई, जिनमें से 47 प्रतिशत स्टार्टअप 'स्टार्टअप इंडिया' योजना के तहत थे। दुनियाभर में दूरसंचार को आम जनता के सशक्तीकरण के जरिए विकास और गरीबी कम करने का ताकतवर औजार माना गया है। वित्तवर्ष 2018–19 में भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन का आंकड़ा 118.34 करोड़ पर पहुंच गया और इसमें 26.84 प्रतिशत

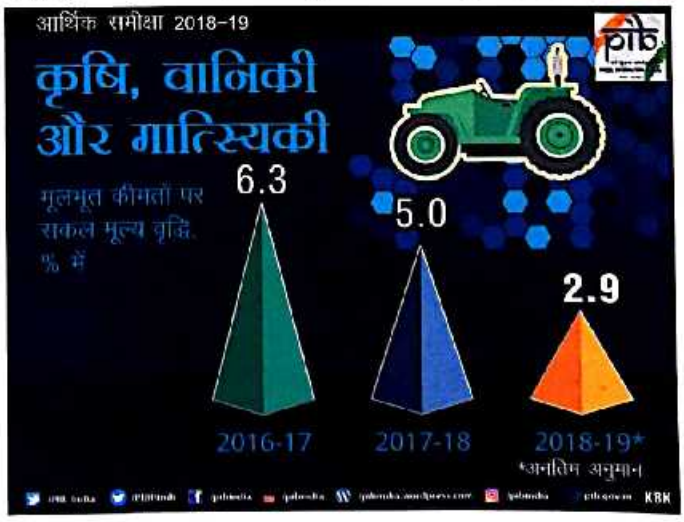

Scanned by CamScanner

की सालाना बढ़ोतरी हुई। पिछले कुछ साल में देश के ऊर्जा क्षेत्र में अहम बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी वजह से यह बदलाव नजर आ रहा है। वित्तवर्ष 2018–19 के दौरान ऊर्जा का कुल उत्पादन 1,376 बीयू (आयात और अक्षय ऊर्जा के साधनों समेत) रहा। इस अवधि में सड़कों के निर्माण में 30 किलोमीटर रोज़ाना की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2014–15 में रोजाना सड़क निर्माण का आंकड़ा 12 किलोमीटर था। 'सौभाग्य' योजना, पीएमएवाई और अन्य योजनाओं के जरिए क्षेत्र–आधारित कार्यक्रमों के साथ टिकाऊ और मजबूत आधारभूत संरचना तैयार करने को काफी महत्व दिया गया है।

बचत और निवेश

ऊंची विकास दर हासिल करने के लिए तैयार किए गए मॉडल का बचत, निवेश और निर्यात मांग के बेहतर चक्र पर आधारित होना जरूरी है और इसे अनुकूल जनांकिकीय स्थिति का भी सहारा मिलना चाहिए। कई सारे अध्ययनों से खुलासा हुआ है कि बचत मुख्य तौर पर जनांकिकीय आधार और आय में वृद्धि से संचालित होती है। अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के बेहतर विकास में बचत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और निवेश की अगुवाई वाले विकास मॉडल को बढ़ावा देती है। आर्थिक विकास का सिद्धांत 'गैर–परंपरागत या ऊंचे लक्ष्य वाली सोच' के इर्द–गिर्द घूमता है, जहां सभी आर्थिक गतिविधियां एक–दूसरे से जुड़ी होती हैं। विशेष तौर पर निजी निवेश का रोल अहम होता है, जो मांग तेज करता है, क्षमता का निर्माण करता है, श्रम उत्पादकता बढ़ाता है, नई तकनीक का आगमन सुनिश्चित करता है, रचनात्मक नवाचार के लिए गुंजाइश बनाता है और रोज़गार पैदा करता है। यह गरीबी, असमानता और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान निकालता है। इसके अलावा, निवेश के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में 'आर्थिक नीति संबंधी अनिश्चितता' को कम करने का प्रस्ताव किया गया है। ऊंचे स्तर पर आर्थिक नीति संबंधी अनिश्चितता के कारण अर्थव्यवस्था में जोखिम ऊंचा होता है और पूंजी की लागत भी ज्यादा लगती है। ऐसे में निवेश के लिए माहौल प्रतिकूल होता है। सर्वे में निम्न तरीकों से निवेश के माहौल को बेहतर बनाकर आर्थिक नीति संबंधी अनिश्चितता घटाने का प्रस्ताव किया गया है (i) अग्रिम दिशा–निर्देश के साथ वास्तविक नीति की एकरूपता और (ii) सरकारी विभागों में गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणीकरण।

कृषि और खाद्य प्रबंधन

भारत में कुल श्रमबल के तकरीबन 60 प्रतिशत हिस्से के लिए कृषि मुख्य पेशा है। पिछले कुछ साल में इस क्षेत्र में नई चुनौतियां उभरकर सामने आई हैं। भारत में आमतौर पर कृषि क्षेत्र में विकास 'चक्रीय दौर' से गुजरता है। कृषि में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) 2014–15 में –0.2 प्रतिशत था, जो 2016–17 में बेहतर होते हुए 6.3 प्रतिशत हो गया और 2018–19 में फिर घटकर 2.9 प्रतिशत पर पहुंच गया। जीवीए में कृषि, वन निर्माण और मछली पालन क्षेत्र की हिस्सेदारी में पिछले कुछ साल में लगातार गिरावट रही है। वर्ष 2015–16 में यह आंकड़ा 15.4 प्रतिशत था, जो 2018–19 में घटकर 14.4 प्रतिशत हो गया। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) 2012–13 में 2,51,094 करोड़ रुपये था, जो 2017–18 में बढ़कर 2,73,755 करोड़ रुपये हो गया। सीमांत किसानों और छोटी जोत के किसानों द्वारा संचालित क्षेत्र 2000–2001 में 38.9 प्रतिशत था और 2015–16 में यह आंकड़ा बढ़कर 47.4 प्रतिशत पर पहुंच गया। साथ ही, इसी दौरान बड़े स्तर पर ज़मीन के स्वामित्व का आंकड़ा 20 प्रतिशत से बढ़कर 37.2 प्रतिशत हो गया। कृषि में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है और छोटे और सीमांत किसानों के बीच उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा (28 प्रतिशत) है। हालांकि, एशिया जल विकास आउटलुक, 2016 के मुताबिक, भारत में तकरीबन 89 प्रतिशत भूजल का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। गन्ना और धान जैसी फसलों में 60 प्रतिशत से भी ज्यादा सिंचाई के पानी की खपत होती है। एक अनुमान के मुताबिक, साल 2050 तक भारत 'जल असुरक्षा' के मामले में वैश्विक–स्तर पर प्रमुख ठिकाना बन जाएगा। अतः, किसान पानी का उचित इस्तेमाल ही करें, इसके लिए नीतियां तैयार करना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। खाद रेस्पॉन्स अनुपात में गिरावट हो रही है। ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती समेत जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीक से पानी के कम इस्तेमाल और मिट्टी की उर्वरता, दोनों को सुधारा जा सकता है। खाद्य सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया जाना और खाद्य–प्रबंधन में तकनीक के व्यापक इस्तेमाल से सबके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

सामाजिक बदलाव के लिए व्यवहारवादी अर्थशास्त्र

बुनियादी सामाजिक बदलाव लाने के लिए हालिया नीति में व्यवहारवादी अर्थशास्त्र पर जोर दिया गया है, ताकि लोगों को वांछनीय व्यवहार के लिए तैयार किया जा सके। व्यवहारवादी अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत हमें लाभकारी सामाजिक सिद्धांतों पर बल देने, गैर–जरूरी परंपरागत विकल्पों को बदलने और अमल से पहले सभी नीतियों और कार्यक्रमों की व्यवहारवादी अर्थशास्त्र के नजरिए से जांच की सिफारिश करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। व्यवहारवादी परिवर्तन में 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' से 'बदलाव' (बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी) तक; एलपीजी सब्सिडी 'छोड़ें' से 'सब्सिडी के बारे में सोचें' तक और 'कर चोरी' से 'कर नियमों के पालन' तक; 'स्वच्छ भारत' से 'सुंदर भारत' तक जैसे अभियान शामिल हैं। इसके अलावा, 'आर्थिक विकास' से 'सतत विकास' तक; 'अमल' से 'असर' तक और 'उत्पादन' से 'परिणाम' तक जैसी चीजें भी इसके दायरे में शामिल की गई हैं। सतत विकास संबंधी 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत सही दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी पहलुओं

Scanned by CamScanner

के एकीकरण के जरिए गरीबी, लैंगिक असमानता और आर्थिक असमानता से मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। सार्वजनिक नीति और कार्यक्रमों का प्रभाव बढ़ाने के लिए सरकार ने व्यवहारवादी अर्थशास्त्र के ढांचे को अपनाया है। इसे लोगों की सामाजिक–धार्मिक अवधारणा में बदलाव के लिए माध्यम की तरह स्वीकार किया गया है, ताकि स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन–धन योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में यह ढांचा उपयोगी साबित हो सके। व्यवहारवादी दृष्टिकोण का उपयोग नीतियों के असर को बढ़ा देता है।

समावेशन के लिए पहल

समावेशी विकास का मामला बहुआयामी है और यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी के साथ विकास के जरिए हासिल किया जा सकता है। समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल करने की कोई स्वतः प्रक्रिया नहीं है। उचित मंचों पर हस्तक्षेप, नीतियों पर असरदार तरीके से अमल और शासन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के माध्यम से यह हासिल किया जा सकता है। अगर विकास का फायदा वंचितों तक नहीं पहुंचता है, तो लोकतंत्र का महत्व खत्म हो जाएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था' पर निर्भर करती है, जिसका सीधा संबंध गरीबी, असमानता और बेरोजगारी से होता है। इस तथ्य के बावजूद कि ग्रामीण क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा है, बेहतर हिस्सेदारी और गुणवत्ता (जीवन और आजीविका) के लिए इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गरीबों तक सीधे तौर पर बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में सरकार का फोकस महत्वपूर्ण है। साथ ही, बुनियादी सुरक्षा घेरा और विकास के लाभ वितरण के लिए रास्ता तैयार करना भी जरूरी है, ताकि सामाजिक–आर्थिक सीढ़ी में निचले–स्तर पर मौजूद लोगों तक पहुंचा जा सके।

सतत और समावेशी विकास हासिल करने के लिए सर्वेक्षण में संविदा के अमल और मामलों को निपटाने में होने वाली देरी की समस्या को दूर करने की जरूरत बताई गई है। उसके मुताबिक, अगर डाटा की निजता सभी के लिए (खासतौर पर गरीबों और सामाजिक क्षेत्र के लिए) लाभकारी है, तो कानूनी ढांचे में सार्वजनिक हित के रूप में डाटा तैयार किया जा सकता है। सर्वे में 'लोगों के, लोगों के लिए और लोगों द्वारा' सार्वजनिक हित में डाटा तैयार करने से जुड़े पर्याप्त अवसरों के बारे में भविष्यवाणी की गई है।

न्यूनतम मजदूरी से जुड़ी प्रभावकारी नीति न सिर्फ कम आय वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए संभावित औजार है, बल्कि ज्यादा समावेशी, लचीले और टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए असरदार तंत्र भी है। सर्वेक्षण में भारत में न्यूनतम मजदूरी प्रणाली का नया ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है और लक्षित समूहों तक सूचना और दिशा–निर्देश मुहैया कराने के लिए 'राष्ट्रीय–स्तर का डैशबोर्ड' तैयार करने की भी बात कही गई है। न्यूनतम मजदूरी की प्रभावकारी नीति से सकल मांग और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसी तरह, स्वच्छ भारत मिशन से स्वास्थ्य परिणामों में काफी सुधार हुआ है और पिछले 5 साल में 99.2 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को इसके दायरे में शामिल किया गया है। इस तरह से मिशन ने समावेशी विकास के सबसे अच्छे प्रतिनिधि संकेतक के रूप में काम किया है।

निष्कर्ष

लोकतंत्र वास्तविक रूप में तभी सफल हो सकता है, जब विकास का फायदा समाज के निचले–स्तर तक पहुंचे और संबंधित शासन प्रणाली असहाय और हाशिए पर मौजूद लोगों का सामाजिक–आर्थिक स्तर उठाने में सक्षम हो। इसके अलावा, समावेशी विकास को सुगमयोजित करने के लिए सरकारी नीतियों को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है, ताकि अमीर और गरीब के बीच असमानताओं को काफी हद तक कम किया जा सके। आर्थिक विकास तभी टिकाऊ होगा, जब यह समावेशी और गरीबी एवं असमानता हटाने में सक्षम हो। जनता के बीच वांछनीय लाभों का स्तर और पहुंच बढ़ाने के लिए फंड, कार्य और कर्मियों का अधिकतम इस्तेमाल करने की जरूरत है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 में दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड (इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) पेश करने और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को स्वीकार करने के कारण भारत में व्यापार करने में सुगमता (ईज ऑफ डुइंग बिजनेस) में हुई बढ़ोतरी के बारे में प्रमुखता से बताया गया है। भारत ने विश्व बैंक के ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंक 2019 में काफी 'बेहतरी' हासिल की और पिछले 4 साल में वह 142 से उछलकर 77वें पायदान पर पहुंच गया। आर्थिक सर्वेक्षण में कानूनी प्रणाली के बेहतर ढंग से संचालन में निजी निवेश की भूमिका को रेखांकित किया गया है। निजी निवेश के संभावित आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का जिक्र करते हुए इस बारे में तर्क दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 में पुनरुत्थान संबंधी दृष्टिकोण के जरिए प्राकृतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधनों पर ध्यान केंद्रित कर भविष्य की तरफ देखने की बात की गई है। अगर भारत को चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करना है, तो इसके लिए न सिर्फ बड़े पैमाने पर उपायों की जरूरत होगी, बल्कि उन उपायों को जोरदार ढंग से लागू भी करना होगा। बेशक हम चीन और अन्य देशों से सबक सीख सकते हैं, लेकिन भारत को विकास का अपना मॉडल तैयार करने की जरूरत होगी।

स्रोत और संदर्भ:

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2018–2019 (ऑनलाइन रिपोर्ट और सार, खंड I और II)
2. पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (ऑनलाइन रिपोर्ट और सार)

(लेखक फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस (एफआईआईबी), नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर और चेयरपर्सन–आईक्यूएसी हैं)

Scanned by CamScanner

केंद्रीय बजट 2019-20 : स्वस्थ भारत की ओर

–आलोक कुमार, उर्वशी प्रसाद

यह बात सर्वविदित है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश आर्थिक दृष्टि से बड़ा युक्तिसंगत कदम है। इससे जीवन बचता है, आरोग्य और खुशियां बढ़ती हैं, उत्पादकता में वृद्धि होती है और रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इतना ही नहीं, मौजूदा जनसांख्यिकीय फायदों की क्षमता को अधिकतम करने के लिए स्वस्थ और शिक्षित जनसंख्या का होना एक अनिवार्यता है। दुनिया में इस बात के प्रमाण हैं कि स्वास्थ्य पर किए जाने वाले सार्वजनिक निवेश का सकारात्मक असर स्वास्थ्य संबंधी बेहतर नतीजों के रूप में सामने आता है।

केंद्रीय बजट 2019–20 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर अच्छी खबर है क्योंकि इसमें बजट आवंटन[1] को 54,302.5 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) से बढ़ाकर 62,659.12 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस तरह यह बढ़ोतरी 15.39 प्रतिशत (चित्र–1) है। अगर 2018–19 के बजट अनुमान से तुलना की जाए तो वित्तवर्ष 2019 20 में आवंटन 18.67 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

अगर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो भारत ने स्वास्थ्य पर सरकारी खजाने से बहुत कम खर्च किया है। असल में भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च का अनुपात हमारे देश के बराबर कर–राजस्व वाले देशों के मुकाबले बहुत ही कम रहा है। स्वास्थ्य के कुल खर्च में से केवल 30 प्रतिशत सरकारी स्रोतों से प्राप्त होता है और करीब 70 प्रतिशत निजी खर्च के रूप में होता है। दूसरी ओर, विश्व में स्वास्थ्य के कुल खर्च में से औसतन 60.1 प्रतिशत सरकारी यानी सार्वजनिक खर्च[2] के रूप में होता है।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च पिछले दो दशक से एक प्रतिशत के स्तर पर ठहरा हुआ है। जैसाकि आर्थिक सर्वेक्षण 2019 में रेखांकित किया गया है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सरकारी (केंद्र और राज्य) खर्च 2014–15 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 1.5 प्रतिशत पर ही पहुंच सका है। इसलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में 2024 -25 तक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के बराबर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने लिए अभी लंबा सफर तय करना है। जैसाकि तालिका–1 में प्रदर्शित किया गया है, वर्ष 2019–20 तक केंद्रीय स्वास्थ्य बजट को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्य अनुरूप बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपये हो जाना चाहिए था। बहरहाल 62,659.12 करोड़ रुपये का खर्च भी काफी बड़ी राशि है जिसके खर्च को आने वाले वर्षों में 'आयुष्मान भारत' जैसे केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों की तरह राज्यों द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

इसके अलावा यह बात ध्यान देने की है कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ने में राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसाकि 2015–16 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के आंकड़ों से पता चलता है,

1. https://www.indiabudget.gov.in/ex_budget.php.
2. World Health Organization, Global Health Expenditure Database, 2016 (Data Year 2014).

Scanned by CamScanner

चित्र–1: केंद्रीय बजट 2019–20 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन (करोड़ रुपये में)

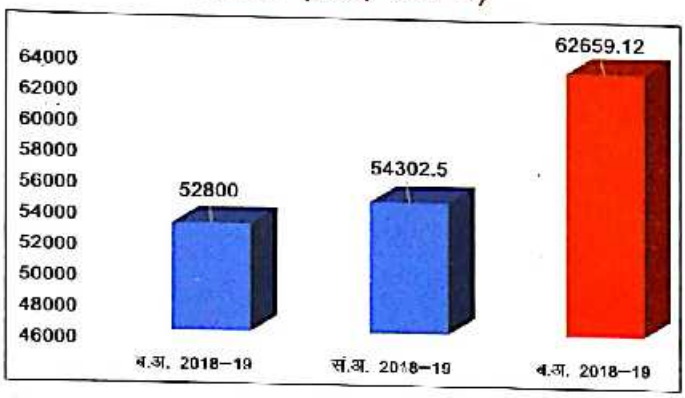

कि स्वास्थ्य पर सरकार के कुल खर्च में से केंद्र सरकार का हिस्सा 35.6 प्रतिशत और राज्य सरकारों का 64.4 प्रतिशत था। लेकिन चुनौती यह है कि करीब 9 राज्य ऐसे हैं जो बीमारियों और इतने ही गरीब लोगों का 3/4 बोझ उठाते हैं, जबकि इन राज्यों में स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किए जाने की आवश्यकता है।[3] खासतौर पर उनके पास वांछित वित्तीय गुंजाइश की कमी हो सकती है। कुल मिलाकर जैसाकि चित्र–2 में दिखाया गया है, राज्यों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2020 तक राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाकर 8 प्रतिशत से अधिक करने की पर्याप्त गुंजाइश है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय आयुष मिशन आदि के लिए आवंटन में भारी बढ़ोतरी की गई है, जैसा चित्र–3 से स्पष्ट है।

आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र

सभी को अपने दायरे में शामिल करने वाली किसी भी प्रणाली के मूल में समय पर और बराबरी के आधार पर प्राथमिक देखभाल का प्रावधान होता है। किसी रोगी के लिए प्राथमिक देखभाल अक्सर स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क का पहला स्थान होता है। इस स्तर पर बड़ी अनिश्चितता भी होती है जिसके पीछे आनुवांशिक, पर्यावरण संबंधी और व्यवहार संबंधी कारणों सहित अनेक कारण हो सकते हैं। यह भी सही है कि ज्यादातर बीमारियों से प्राथमिक देखभाल के स्तर पर निपटा जा सकता है और उस समय वे ज्यादा जटिल, इलाज की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण और खर्चीली नहीं होती। उम्रदराज लोगों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक देखभाल पर ज़ोर देना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं पर रोगियों की भीड़ के भारी बोझ से जूझ रही स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जैसाकि आर्थिक समीक्षा 2018–19 में संकेत किया गया है।

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में प्राथमिक देखभाल प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने और संचारी रोगों की रोकथाम पर केंद्रित रही है। लेकिन प्राथमिक देखभाल के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में कई तरह की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें प्राथमिक देखभाल के तहत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। खासतौर पर तब जबकि गैर–संचारी रोगों का बोझ बढ़ता जा रहा हो। इसके अंतर्गत बीमारी का जल्द पता लगाना और गैर–संचारी रोगों (कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार) से पीड़ित मरीजों को परामर्श के लिए भेजना; स्वच्छ पेयजल, शौचालयों के उपयोग और महिलाओं में माहवारी के दौरान स्वच्छता के बारे में लोगों को शिक्षित करना; स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी उपाय तथा अंधता व जन्मजात बहरेपन का पता लगाना आदि शामिल हैं।

आयुष्मान भारत कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ऐसी प्रणाली का विकास करना भी है जिसके तहत 2018 और 2022 के दौरान चरणबद्ध तरीके से खोले गए 1,50,000 स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों के जरिए विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकें। अब तक 26,417 स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र खोलने की अनुमति दी जा चुकी है जिनमें से 18,921 ने काम करना शुरू कर दिया है।[5] सरकार का उद्देश्य इन केंद्रों के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने का है ताकि मधुमेह और सामान्य कैंसर जैसी गैर–संचारी बीमारियों की जांच के साथ–साथ प्रजनन स्वास्थ्य, और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी उपाय किए जा सकें। इन केंद्रों में दवाएं और नैदानिक सेवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं। इतना ही नहीं, सामुदायिक–स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और उन्हें जिला अस्पतालों से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है।

सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के लिए 1349 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए 249 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस मद में संशोधित अनुमान 2018–19 की तुलना में खर्च में क्रमशः 35 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

चित्र–2 : चिकित्सा और जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण पर खर्च – संपूर्ण खर्च के अनुपात के रूप में

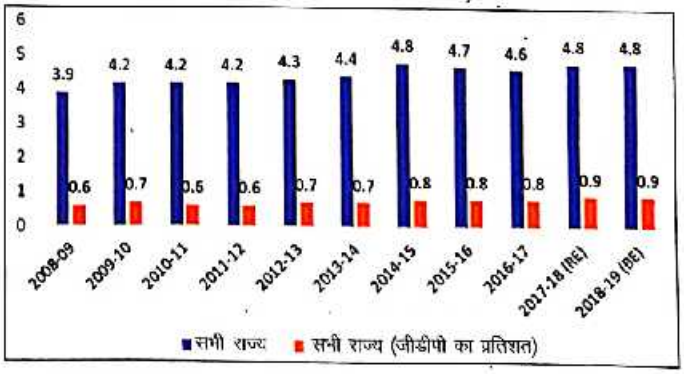

3. K. Sujatha Rao. 2017. Do We Care? India's Health System.
4. http://www.ijhsdm.org/article.asp?issn=2347-9019;year=2013;volume=1;issue=3;spage=125;epage=128;aulast=Pandve.
5. https://ab-hwc.nhp.gov.in/home/login#

Scanned by CamScanner

तालिका–1 : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में निर्धारित जीडीपी का 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुमानित खर्च (करोड़ रुपये में)

वर्ष	खर्च का प्रतिशत	स्थिर कीमतों पर जीडीपी में अनुमानित वृद्धि @7.2%	जीडीपी मुद्रास्फीति दर @3%	खर्च (जीडीपी का प्रतिशत)	राज्यों के लिए खर्च का 68 प्रतिशत	केंद्र के लिए खर्च का 32 प्रतिशत	प्रति वर्ष वांछित वृद्धि	टिप्पणी
1	2	3	4=[(3)*1.03)]	5=(2*4)	7	6	7	8
2017-18	1.20%	14887081	-	178645	121479	57166		
2018-19	1.38%	15958951	16437720	226841	154252	72589	-15000	सं.अ. 2018-19 54200
2019-20	1.57%	17107995	17621235	276653	188124	88529	-16000	आदर्श रूप में 2019–20 में इसे बढ़ाकर 70,000 करोड़ किया जाना चाहिए था।
2020-21	1.75%	18339771	18889964	330574	224791	105784		
2021-22	1.94%	19660235	20250042	392851	267139	125712		
2022-23	2.12%	21075772	21708045	460211	312943	147267		
2023-24	2.31%	22593227	23271024	537561	365541	172019		
2024-25	2.50%	24219939	24946538	623663	424091	199572		

**(अ) जीडीपी गणना 7.2 प्रतिशत की अनुमानित वार्षिक वृद्धिदर पर की गई है। (ब) वार्षिक मूल्य 3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद (स) केंद : राज्य खर्च का हिस्सा क्रमशः 32:68 है। (द) केंद्र के खर्च का 50 प्रतिशत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु निर्धारित।

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के जरिए विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य संवर्धन और बीमारियों की रोकथाम पर केंद्रित अन्य कार्यक्रमों के लिए आवंटन में भी बढ़ोतरी कर दी है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का खर्च 5.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कैंसर, मधुमेह, कार्डियोवैस्क्यूलर रोगों और दिल का दौरा पड़ने जैसी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का खर्च भी 100.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 175 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जेएवाई)

हमारी स्वास्थ्य प्रणाली चाहे कितनी कारगर हो, लोगों को द्वितीयक और तृतीयक स्तर स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी। पीएम–जेएवाई जैसे कार्यक्रम (जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम का दूसरा स्तंभ है) के न होने पर गरीब रोगियों के सामने इलाज स्थगित करने या इसे पूरी तरह छोड़ देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। पीएम–जेएवाई कार्यक्रम में इस स्थिति में बदलाव का प्रयास किया जाता है और देश के सबसे गरीब तथा नाजुक परिवारों को अस्पताल में भर्ती कराने जैसे खर्च के लिए 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान किया जाता है। पीएम–जेएवाई में फिलहाल चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के करीब 1,350 पैकेज हैं जो कार्डियोलॉजी, ओंकोलॉजी और न्यूरोसर्जरी जैसी विभिन्न श्रेणियों से संबंधित हैं। पीएम–जेएवाई के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को समेकित करके सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक योजना' की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यानी अंततः यह सुनिश्चित किया गया है कि देश के तमाम नागरिक द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं का साझा पैकेज ले सकते हैं, भले ही वे किसी भी राज्य में क्यों न रह रहे हों।

इस योजना के प्रारंभ होने के बाद से 4 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को ई–कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं और 31 लाख से अधिक रोगियों ने इलाज कराया है।[6] अधिकतर लाभार्थियों का सत्यापन (90 प्रतिशत से अधिक) आधार के जरिए किया गया है। योजना के तहत अब तक 15,000 से अधिक अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जा चुका है जिनमें से करीब 50 प्रतिशत निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं। यह बड़ा उत्साहवर्धक है क्योंकि अब तक देश के बेहद गरीब 40 प्रतिशत लोगों के लिए निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना बेहद मुश्किल था। पीएम–जेएवाई और अन्य सरकारी प्रोत्साहनों की वजह से भुगतान क्षमता काफी बढ़ जाने से श्रेणी–2 और श्रेणी–3 के शहरों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता में इजाफा होना स्वाभाविक है। निसंदेह पीएम–जेएवाई में सार्वजनिक अस्पतालों के उपयोग और उनकी गुणवत्ता के स्तर में सुधार का भी लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना को 2019–20 के केंद्रीय बजट में जोरदार बढ़ावा मिला और इसके लिए आवंटन 2,700 करोड़ रुपये (सं.अ. 2018–19) से बढ़ाकर 6,556 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो

6. https://www.pmjay.gov.in/.

Scanned by CamScanner

142 प्रतिशत से अधिक की जबर्दस्त बढ़ोतरी है।

राष्ट्रीय एड्स और यौन रोग नियंत्रण कार्यक्रम

स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अन्य पहल इस कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन में की गई भारी वृद्धि है जोकि 2018–19 में 1925 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) थी, वर्ष 2019–20 में इसे करीब 30 प्रतिशत बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

राष्ट्रीय एड्स और यौन रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत में बड़े पैमाने पर की गई अपेक्षाकृत अधिक सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक है। इस कार्यक्रम की सफलता कुछ आकर्षक आंकड़ों से साबित हो जाती है।[7] अनुमान है कि 2007–2015 के दौरान देश में एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में 66 प्रतिशत की गिरावट आयी और एड्स से होने वाली मौतों की संख्या 54 प्रतिशत घट गई। इसका मतलब यह हुआ कि करीब 4.5 लाख मौतों को टालने में कामयाबी मिली। लेकिन फिर भी एड्स की महामारी को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में 2020 तक एचआईवी/एड्स को 90:90:90 करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात दोहराई गई है। इसका मतलब यह है कि भारत में एचआईवी से संक्रमित लोगों में से 90 प्रतिशत को अपने संक्रमण की स्थिति का पता होना चाहिए। इसके अलावा, जिन लोगों में एचआईवी का पता चल चुका है, उन्हें एंटी रेट्रोवाइरल उपचार उपलब्ध होना चाहिए और जिन 90 प्रतिशत को इस तरह का उपचार मिल रहा है, उनमें वायरस का शमन होना चाहिए। विदेशी दानदाताओं की ओर से एचआईवी कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण में कमी आने से सरकार द्वारा घरेलू बजट में बढ़ोतरी करना खासतौर पर सराहनीय है।

7. -http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=132173.

कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन में पर्याप्त बढ़ोतरी किया जाना इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब बड़ी संख्या में ऐसे रोगी एचआईवी के साथ–साथ क्षय रोग–यानी टीबी जैसी बीमारियों से भी पीड़ित हैं। यह खासतौर पर चिंताजनक घटनाक्रम है कि दो–दो संक्रमणों से ग्रस्त लोगों का उपचार और प्रबंधन करना स्वास्थ्य प्रणाली के लिए दुगुना जटिल और खर्चीला भी है। जैसा नई स्वास्थ्य नीति 2017 में जोर दिया गया है, एचआईवी टीबी का दोहरा संक्रमण होने पर इलाज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। भारत टी.बी. की बीमारी से पहले से ही जूझ रहा है और प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले 2025 तक टी.बी. उन्मूलन की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है।

आयुष

स्वच्छ भारत के बाद स्वस्थ भारत को एक जनांदोलन बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए सही आहार, जीवनशैली और योग के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। भारत में पारम्परिक औषधियों, खासतौर पर आयुर्वेद और योग का समृद्ध इतिहास रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष को विधिवत चिकित्सा की मुख्यधारा में लाने और चिकित्सा की स्थानीय परम्पराओं में नई जान डालने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भी आयुष को मुख्यधारा में शामिल किए जाने की मांग की गई है।

आयुष के साथ समन्वय करने से चिकित्सा की अधिक समग्रता वाला ऐसा तरीका उभर कर सामने आता है जहां चिकित्सा का

चित्र 3 : केंद्रीय बजट 2019–20 में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए आवंटन (करोड़ रुपये में)

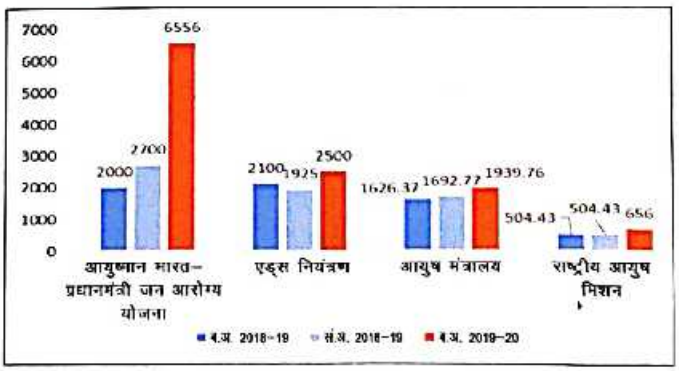

Scanned by CamScanner

लक्ष्य बीमारी दूर करना नहीं है बल्कि आरोग्य को बढ़ावा देना है। असल में, चीन जैसे देशों में पारम्परिक, पूरक और वैकल्पिक प्रैक्टिशनर्स जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहां यह कार्य सार्वजनिक खर्च से चलने वाले आम अस्पतालों के साथ-साथ मातृ एवं शिशु देखभाल केंद्रों में चीनी और पश्चिमी चिकित्सा पद्धतियों के समन्वय से किया जाता है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुष मंत्रालय के आवंटन में 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में क्रमशः 30.05 प्रतिशत और 14.59 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके सरकार ने बीमारियों के इलाज के साथ-साथ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में आयुष का फायदा उठाने के महत्व का संकेत दे दिया है।

पोषाहार, पेयजल और सामाजिक कल्याण

स्वास्थ्य क्षेत्र की अनेक पहलों के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के परिणामों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर डालने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के खर्च में भी 2019-20 के बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है। (चित्र-4)। मिसाल के तौर पर राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (पोषण अभियान) के लिए 3,400 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जबकि संशोधित अनुमान (2018-19) में इसके लिए 3061.3 करोड़ रुपये दिए गए थे। इस तरह खर्च में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

कुपोषण की चुनौतियों का सामना करने के लिए 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या परिवार की पोषण-संबंधी स्थिति पर असर डालने वाले कई दोहरावट वाले विषयों को ध्यान में रखकर अभिशासन का समुचित ढांचा तैयार करना था। अभियान का लक्ष्य बच्चों की बढ़वार रुक जाने, अल्प-पोषण, रक्ताल्पता और जन्म के समय शिशु का कम वजन का होने जैसे मामलों में क्रमशः 2 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 2 प्रतिशत वार्षिक की कमी लाना था।

इसके अलावा, मातृत्व लाभ से संबंधित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के खर्च को दो गुना से ज्यादा बढ़ाकर 1,200 करोड रुपये (सं. अनु. 2018-19) से 2,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित शिशु के जन्म पर 5,000 रुपये दिए जाते है।

इसके अलावा 2024 तक देश में सभी ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइनों के जरिए पानी की आपूर्ति के लक्ष्य के तहत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के आवंटन में 82 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5,500 करोड़ रुपये (सं.अनु. 2018-19) से बढ़ाकर 10,001 (बजट अनुमान 2019-20) कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार के जोरदार स्वच्छता अभियान की तर्ज पर सभी परिवारों को पाइपलाइनों के जरिए पानी पहुंचाने

चित्र-4 : केंद्रीय बजट 2019-20 में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए आवंटन (करोड़ रुपये)

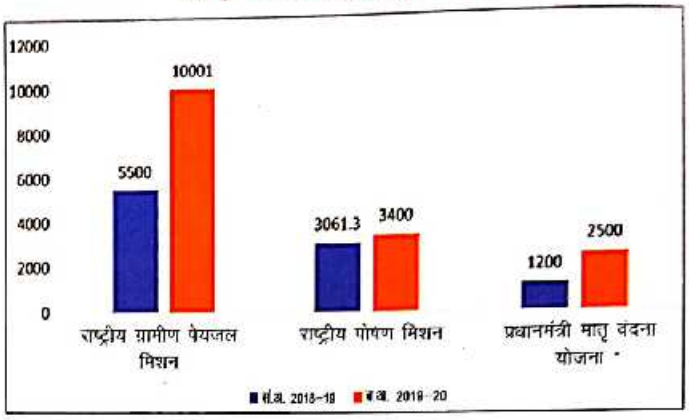

की पहल के भी जन स्वास्थ्य के लिए सार्थक परिणाम आने की संभावना है। जैसाकि आर्थिक समीक्षा 2019 में रेखांकित किया गया है, पिछले कुछ वर्षों में देश में शौचालयों की सुविधा के विस्तार से पेचिश, मलेरिया, प्रसव के समय शिशु के मृत पैदा होने या कम वजन का होने के मामलों जैसी समस्याओं के प्रकोप को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए बजट में जल तथा स्वच्छता कार्यक्रमों के बजट संबंधी आवंटन में वृद्धि के साथ ही इन कार्यक्रमों के अमल पर तेजी से होने वाले फायदों को कम करके नहीं आंका जा सकता।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र ने भारत की राजनीतिक कार्यसूची में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसके अंतर्गत अनेक सुचिंतित और बड़ी सावधानी से तय किए गए सुधार और पहलों पर अमल हुआ है। इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कदम 'आयुष्मान भारत' का शुरू होना है जो संभवतः स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज की तारीख तक की सबसे महत्वाकांक्षी पहल है।

संक्षेप में, केंद्रीय बजट 2019-20 सही दिशा में उठाया गया कदम है। प्रमुख स्वास्थ्य क्षेत्र से संबद्ध कई कार्यक्रमों हेतु इस वर्ष बजट आवंटन में थोड़ी वृद्धि की गई है। हालांकि ये जानना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय बजट एक महत्वपूर्ण औजार है लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर, चाहे वह स्वास्थ्य क्षेत्र पर अधिक खर्च के रूप में हो या गुणवत्तापूर्ण रूप से लागू करने से संबद्ध हो, बड़े पैमाने पर कार्य राज्यों के हाथ में है। ऐसे में यदि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2017 के तहत समयबद्ध रूप से स्वास्थ्य खर्च में बढ़ोतरी के साथ-साथ बेहतर परिणाम के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो केंद्र व राज्यों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

(लेखक आलोक कुमार, नीति आयोग में सलाहकार (स्वास्थ्य और पोषाहार) हैं और उर्वशी प्रसाद, नीति आयोग में सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ हैं।)

ई-मेल : alok.kumar1@gmail.com

Scanned by CamScanner

देश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आईसीएआर के प्रयासों की सराहना

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 जुलाई, 2019 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 91वें स्थापना दिवस एवं पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देशभर के कृषि वैज्ञानिकों खासतौर से आईसीएआर ने अपने प्रयासों से देश को न केवल एक खाद्यान्न आयात राष्ट्र से एक निर्यात राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, वरन् खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्रदान करते हुए पोषणिक सुरक्षा की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कृषकों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। श्री तोमर ने कहा सरकार का फोकस 'वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी' करने पर है। इसी के मद्देनजर वर्ष 2018 एवं 2019 का केंद्रीय बजट पूरी तरह से किसानों और खेतीबाड़ी को समर्पित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है जोकि एक ऊंची छलांग और बड़ा सपना है। इसमें देशभर के किसानों और कृषि वैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है और 'प्रति बूंद अधिक फसल' के लक्ष्य पर फोकस किया है।

कृषि मंत्री ने कृषि को लाभ का सौदा और व्यवहार्य बनाने की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि कृषि चूंकि देश के सबसे अधिक कार्यबल को रोजगार उपलब्ध कराती है इसीलिए भविष्य की तैयारी हेतु सरकार स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 'स्मार्ट फार्म और स्मार्ट फार्मर' पर जोर दे रही है। इसमें विज्ञान और तकनीक की प्रमुख भूमिका होगी।

कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने देशभर में 'गांव, गरीब और किसान' को प्राथमिकता दी है और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 2019–20 में बजट आवंटन में 140 प्रतिशत वृद्धि प्रधानमंत्री की इस दिशा में उपलब्धियों के प्रति समर्पण दिखाता है। श्री तोमर ने यह भी कहा कि सभी योजनाएं किसानों को उनका उचित सम्मान दिलाने और कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के प्रति समर्पित हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार सीधे किसानों के बैंक खातों में 87,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि जमा की जा रही है। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर कृषि पर 10 प्रकाशन जारी किए और किसान (नेविगेशन के लिए एग्री एप) कृषि एकीकृत एक मोबाइल एप भी लांच किया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर नई दिल्ली में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के '91वें स्थापना दिवस एवं पुरस्कार समारोह' को संबोधित करते हुए।

Scanned by CamScanner

ग्रामीण विकास और बजट 2019–20

- उज्जवला योजना और सौभाग्य योजना से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के जीवन में व्यापक बदलाव आया है और इससे उनका जीवन आसान हुआ है।
- सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों के लिए 2022 तक बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** का उद्देश्य 2022 तक 'सबके लिए आवास' के लक्ष्य तक पहुंचना।
- इसके दूसरे चरण (2019–20 से 2021–22) में, पात्र लाभार्थियों को शौचालयों, बिजली और एलपीजी कनेक्शनों जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घर दिए जाएंगे।

- परंपरागत उद्योगों के लिए 100 नए क्लस्टरों की स्थापना जिससे 50 हजार कारीगर आर्थिक मूल्य शृंखला में शामिल हो सकेंगे।
- एग्रो–ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में 75000 कुशल उद्यमियों के विकास के लिए 80 आजीविका बिजनेस इन्क्यूबेटर (LBIs) और 20 तकनीकी बिजनेस इन्क्यूबेटर (TBIs) की स्थापना की जाएगी।
- अगले पांच वर्षों में किसानों के लिए 'इकोनॉमी ऑफ स्केल' सुनिश्चित करने के लिए दस हजार नए कृषि उत्पादन संगठन (FPOs) बनाए जाएंगे।
- स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार कर हर गांव में सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के माध्यम से मत्स्य विभाग द्वारा एक मत्स्य पालन प्रबंधन संरचना स्थापित की जाएगी। जिसके जरिए अवसंरचना, आधुनिकीकरण, पता लगाने की योग्यता, उत्पादन, उत्पादकता, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य शृंखला में अत्यधिक अंतर की समस्या का समाधान खोजा जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- पात्र और व्यवहार्य आवास स्थलों को सड़क संपर्क से जोड़ने की गति तेज करने के लिए इन्हें पूरा करने का निर्धारित लक्ष्य 2022 से कम करके 2019 किया गया है। ऐसे 97 प्रतिशत आवास स्थलों को सभी मौसमों के लिए अनुकूल सड़क संपर्क से जोड़ दिया गया है।
- हरित प्रौद्योगिकी, कचरा प्लास्टिक और शीत मिश्रित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 30,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अगले पांच वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन किया जाएगा।

पारम्परिक उद्योग पुनर्जीवन निधि योजना (स्फूर्ति)

- रोजगार के टिकाऊ अवसरों के सृजन के लिए पारम्परिक उद्योगों को और अधिक उत्पादक, लाभदायक एवं सक्षम बनाने के लिए कलस्टर आधारित विकास में आसानी के लिए साझा सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित किए जाएंगे।
- 2019–20 के दौरान बांस, शहद और खादी पर विशेष जोर देते हुए 100 नए कलस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिससे 50,000 कारीगर आर्थिक मूल्य शृंखला में शामिल हो सकेंगे।

नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (एस्पायर)

- 2019–20 में 80 आजीविका व्यापार इंक्यूबेटर (एलबीआई) और 20 औद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर (टीबीआई) स्थापित किए जाएंगे।

Scanned by CamScanner

- कृषि – ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में 75,000 उद्यमियों को कौशल प्रदान किया जाएगा।
- निजी उद्यमियों को किसानों के उत्पादों को उनके खेतों से और संबंधित क्रियाकलापों में मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देने हेतु सहायता दी जाएगी।
- पशुओं के लिए चारे का उत्पादन, दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना तैयार करके सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- किसानों की बेहतर आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।

- सरकार ई–नाम से किसानों को लाभान्वित करने के क्रम में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।
- ज़ीरो बजट फार्मिंग को, जिसमें कुछ राज्यों के किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, को अन्य राज्यों में भी प्रयोग किया जाएगा।

भारत में जल सुरक्षा

- नया जल शक्ति मंत्रालय एक समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन की देखरेख करेगा।
- जल जीवन निशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 'हर घर जल' (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
- स्थानीय–स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर आधारित प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।
- इसके लक्ष्य तक पहुंचने के क्रम में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को एक साथ मिलाया जाएगा।
- जलशक्ति अभियान के तहत 256 जिलों के ऐसे 1592 खंडों की पहचान की गई है। जहां भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा चुका है।
- इस उद्देश्य के लिए क्षतिपूर्ति वन्यकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि का उपयोग किया जा सकता है।

स्वच्छ भारत अभियान

- 2 अक्तूबर, 2014 से 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया।

- 5.6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हुए।
- प्रत्येक गांव में सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

- दो करोड़ से अधिक ग्रामीणों को डिजिटली रूप से साक्षर बनाया गया।
- ग्रामीण और शहरी भेद को दूर करने के लिए भारतनेट के तहत प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा रही है।
- पीपीपी प्रबंध के तहत वैश्विक दायित्व निधि का भारतनेट को गति प्रदान करने में उपयोग किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

स्वस्थ, सुपोषित और आयुष्मान भारत की परिकल्पना

–चंद्रकांत लहारिया

केंद्रीय बजट 2019–20 में स्वास्थ्य के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन किया गया है जोकि देश के कुल बजट खर्च के 2.3 प्रतिशत के बराबर हो जाता है। आज समय आ गया है जब स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में सरकारी खर्च को बढ़ाना होगा, इसे जारी रखना होगा और समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें सुधार करना होगा। 'स्वास्थ्य' राज्यों का विषय होने के कारण उन्हें भी इसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी से भारत सभी को स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा।

5 जुलाई, 2019 को संसद में पेश किया गया केंद्रीय बजट या 2019–20 के वार्षिक वित्त विधेयक का स्वास्थ्य क्षेत्र लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। इसकी खास वजह यह थी कि फरवरी 2018 के पिछले पूर्ण बजट में 'आयुष्मान भारत' योजना की घोषणा की गई थी। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य को निसंदेह बिना किसी शोर–शराबे के जबर्दस्त बढ़ावा दिया गया और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय को बजट में 64,559 करोड़ रुपये आवंटित कर इसमें 2018–19 के बजट अनुमान की तुलना में करीब 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। आयुष मंत्रालय के बजट में भी 14.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में पिछले साल की तुलना में 9.5 प्रतिशत और अंतरिम बजट की तुलना में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। 'आयुष्मान भारत' कार्यक्रम को कुल 8,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं और 1,600 करोड़ रुपये आयुष्मान भारत–स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तथा 6,400 करोड़ रुपये आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम की बीमा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं (तालिका–1)। स्वस्थ भारत को आने वाले दशक में भारत के बारे में की गई परिकल्पना के दस घटकों में "स्वस्थ भारत : आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे" के रूप में शामिल किया गया है। (यहां आयुष्मान भारत का संबंध इसी नाम के कार्यक्रम से नहीं है)।

केंद्रीय बजट 2019–20 में स्वास्थ्य के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन किया गया है जो पिछले साल फरवरी 2018 के पूर्ण बजट से करीब 10,000 करोड़ रुपये और प्रतिशत के रूप में 18.2 प्रतिशत अधिक है। फरवरी 2019 में प्रस्तुत अंतरिम बजट

Scanned by CamScanner

स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण बजट घोषणाएं

- दशक के लिए की गई परिकल्पना में शामिल 10 क्षेत्रों में स्वास्थ्य भी एक है जो समग्र सामाजिक विकास में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक व्यापक व समग्र दृष्टिकोण अपनाने का अवसर प्रदान करेगा।
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा पेट्रो–रसायन विभाग ने 1,000 और जन औषधि स्टोर खोलने का प्रस्ताव किया है। इन केंद्रों से जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता में वृद्धि के साथ–साथ भारत में दवाओं पर लोगों का खर्च कम हो सकता है। फरवरी 2019 तक भारत में 5,000 जन औषधि केंद्र थे जो 800 से अधिक दवाओं और 154 सर्जिकल व अन्य वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे। मार्च 2020 तक इनकी संख्या बढ़कर 6,000 किए जाने का प्रस्ताव है।
- चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है, ताकि घरेलू क्षेत्र को बढ़ावा मिले।
- राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है विद्युतचालित वाहनों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ प्रस्ताव किए गए हैं। इनसे भारत में हवा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों और पहलों को बढ़ावा मिलेगा।
- राष्ट्रीय अनुसंधान फंड की घोषणा कर दी गई है जो किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं हैं, बहरहाल स्वास्थ्य क्षेत्र इन संसाधनों का उपयोग कर सकता है।

की तुलना में भी आवंटन 1,500 करोड़ रुपये अधिक है। इस तरह भारत का केंद्रीय स्वास्थ्य बजट, देश के कुल बजट खर्च के 2.3 प्रतिशत के बराबर हो जाता है। वर्ष 2014–15 में यह भारत के कुल बजट का 1.9 प्रतिशत था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट का करीब दो तिहाई हिस्सा दो कार्यक्रमों–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत योजना के लिए निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आवंटन में बढ़ोतरी शिक्षा और रक्षा मंत्रालय के आवंटन में बढ़ोतरी से भी अधिक है जिनके आवंटन में क्रमशः 11 प्रतिशत और 14 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

महिला और बाल विकास विभाग के बजट में 18 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जिसमें आंगनवाड़ी सेवाओं में करीब 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी शामिल है। 'पोषण अभियान' (राष्ट्रीय पोषाहार मिशन) को 3,400 करोड़ रुपये मिले हैं जो पिछले साल के मुकाबले 13.3 प्रतिशत अधिक हैं। एक बड़ी घोषणा यह की गई है कि 'हर घर जल' योजना के अंतर्गत 2024 तक भारत के प्रत्येक घर में पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन पर नए सिरे से ध्यान दिया गया है और उसके खर्च में बजट अनुमान की तुलना में 43 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन के बजट में कुछ कमी की गई है लेकिन इसी संदर्भ में यह बात भी ध्यान देने की है कि स्वच्छ भारत मिशन की अवधि 2 अक्तूबर, 2019 को पूरी हो रही है। बजट संबंधी महत्वपूर्ण आवंटनों को संक्षेप में तालिका–1 में दिखाया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, आवंटन और उपयोग पर अप्रत्यक्ष रूप से असर डालने वाले अन्य प्रावधान बायीं तरफ बॉक्स में दिए गए हैं।

केंद्रीय बजट 2019–20 की एक महत्वपूर्ण विशेषता जल और स्वच्छता समेत स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों के आवंटनों में तुलनात्मक वृद्धि अधिक होना है। शिक्षा सहित सामाजिक क्षेत्र के लिए खर्च कुल बजट का 7.3 प्रतिशत है। यह बात काफी अहम है क्योंकि स्वास्थ्य के ये सामाजिक निर्धारक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, उन तक पहुंच और उनकी कम लागत के जरिए स्वास्थ्य परिणामों में करीब आधे का योगदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनसे भारत में सबको स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने की दिशा में आगे बढ़ने में भी योगदान मिलेगा जोकि भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का मुख्य लक्ष्य है। दिलचस्प बात यह है कि 2019–20 के बजट में ढेर सारी नई योजनाओं की घोषणा नहीं की गई है, बल्कि पहले से चल रही योजनाओं को मजबूत करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह 2014 में सरकार के पहले बजट से काफी हटकर है जब लगभग दो दर्जन नई योजनाओं की घोषणा की गई थी।

केंद्रीय बजट से एक दिन पहले, परंपरा के अनुसार, 2018–19 के लिए आर्थिक समीक्षा जारी की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट बातों में इसमें सामाजिक क्षेत्र में उच्चतर निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और देश में बुजुर्ग आबादी की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पहचान की गई है। बुजुर्गों की जनसंख्या 2041 तक दुगुनी हो जाने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा का एक अध्याय व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र को समर्पित है। इसमें यह बात खासतौर पर बताई गई है कि किस तरह लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए 'नज़ दृष्टिकोण' (Nudge approach) से स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजनाओं में अच्छे परिणाम हासिल करने में मदद मिली। भारत में सामाजिक क्षेत्र की भावी पहलों में भी इसका कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।

विमर्श

पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के निर्माताओं और विशेषज्ञों ने कार्यदक्षता, नैतिक जोखिमों और नीतिगत खरीद जैसे मुद्दों पर अर्थशास्त्रियों की शब्दावली का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस चर्चा का कुछ श्रेय सभी को स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने को दिए जा रहे महत्व के साथ–साथ सामाजिक स्वास्थ्य बीमा को सामान्य रूप से और खासतौर पर हाल में घोषित आयुष्मान भारत योजना को दिया जा सकता है।

वर्ष 2019–20 के बजट में दक्षता पर और गहरा विमर्श करने

Scanned by CamScanner

तालिका–1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुष और अन्य संबंधित विभागों के बजट आवंटन पर एक नजर–2017–20

मंत्रालय/विभाग/कार्यक्रम	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (बजट अनु.)	2018–19 (सं. अनु.)	2019–20 (बजट अनु.)	% बदलाव*
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**53,114**	**54,600**	**55,995**	**64,559**	**18.2**
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	51,382	52,800	54,302	62,659	18.7
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कुल	31,521	30,130	30,683	32,995	09.5
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	664	875	875	950	08.6
आयुष्मान भारत कार्यक्रम	-	-	3,600	8,000	NA
स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र–ग्रामीण	-	-	1,000	1,350	NA
स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र–शहरी	-	-	200	250	NA
स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र–कुल	-	-	1,200	1,600	NA
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	-	-	2,400	6,400	NA
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1,732	1,800	1,743	1,900	05.6
राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	455	2,000	300	156	NA
आयुष्मान भारत पीएमजेवाई (AB-PMJAY)	-	-	2,400	6,400	NA
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन +पीएमजेवाई	31,967	32,196	33,383	39,395	23.4
आयुष मंत्रालय	**1,531**	**1,626**	**1,693**	**1,940**	**14.6**
महिला और बाल विकास मंत्रालय	**20,396**	**24,700**	**24,759**	**29,165**	**18.0**
कुल आईसीडीएस/अम्ब्रेला आईसीडीएस	19,234	23,088	23,357	27585	19.5
आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्ववर्ती कोर आईसीडीएस)	15,155	16,335	17,890	19,834	21.4
राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनआईपी सगेत)	893	3,000	3,061	3,400	13.3
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	2,048	2,400	1,200	2,500	04.4
औषधि विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**252**	**261**	**213**	**236**	**-09.6**
जन औषधि योजना	48	84	42	42	-50.0
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	**2,626**	**2,675**	**2,675**	**2,955**	**10.4**
जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना	27	40	40	40	00.0
प्रदूषण नियंत्रण (हाल में शुरू राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों समेत)	-	-	05	460	NA
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**33,192**	**31,100**	**32,465**	**42,902**	**38.0**
गरीब परिवारों को रसोईगैस कनेक्शन	2,252	3,200	3,200	2,724	-14.9
जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता	**23,939**	**22,356**	**19,993**	**20,016**	**-10.4**
स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण	16,888	15,343	14,478	9,994	-34.5
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	7,038	7,000	5,500	10,000	43%
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	**40,061**	**41,765**	**42,965**	**48,032**	**15.0**
स्वच्छ भारत मिशन–शहरी	2,539	2,500	2,500	2,650	6.0
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण+शहरी)	**19,427**	**17,843**	**16,978**	**12,644**	**-29.1**

टिप्पणियां : सभी राशियां करोड़ रुपये में; बजट अनु.–बजट अनुमान; सं. अनु. – संशोधित अनुमान

आईसीडीएस – समन्वित बाल विकास सेवाएं; आईएसएसएनआईपी – आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ करने वाला और पोषण सुधार कार्यक्रम; 'बजट अनुमान 2018–19 और बजट अनुमान–2019–20 की तुलना में अंतर (बजट)।' 'जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) का गठन हाल ही में 2019 में हुआ। पूर्ववर्ती पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय अब एमओजेएस के अंतर्गत एक विभाग है।

Scanned by CamScanner

की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है जो अब तक सिर्फ तकनीकी दक्षता की तरफ झुकी रही है। समय आ गया है जब आवंटन संबंधी दक्षता को भी विमर्श का केंद्रीय विषय बनाया जाए। जहां आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटन वांछनीय है, वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के खर्च में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार दो तिहाई या इससे अधिक व्यय सुनिश्चित करने के लिए आवंटन में तेजी से बढ़ोतरी की आवश्यकता है। (इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च, सरकार के कुल खर्च का करीब 50 प्रतिशत है)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण जरिया है इसलिए कुल बजट में इसके हिस्से को किसी भी हालत में कम नहीं होने देना चाहिए। असल में अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का खर्च बढ़ाना है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्षित–स्तर पर बनाए रखना है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के खर्च को अन्य कार्यक्रमों के मुकाबले काफी अधिक ऊंची दर से बढ़ाना होगा। इसलिए दो तिहाई या इससे अधिक के अनुपात को तभी बरकरार रखा जा सकता है जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटित किए जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त रुपये पर दो रुपया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (आयुष्मान भारत–स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य पहल शामिल) को सुदृढ़ करने पर व्यय किया जाए।

आसान शब्दों में कहें तो भारत में स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च करने की तीन मद होनी चाहिए– (1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत–स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करके मांग पक्ष को मजबूत करने की मद में; (2) द्वितीयक और तृतीयक–स्तर की सेवाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए मांग पक्ष को सुदृढ़ करने की मद में; और (3) स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों पर और अधिक ध्यान देना, जिनका सभी स्वास्थ्य परिणामों में करीब आधा हिस्सा होता है।

ऐतिहासिक रूप से स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने के विचार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 से बढ़ावा मिला जिसमें 2010 तक स्वास्थ्य पर सरकार के खर्च को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2–3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया था। यूनीवर्सल हैल्थ कवरेज यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पर उच्च–स्तरीय विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर 2010 में और इसके बाद बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 में इसे जारी रखा गया। नई स्वास्थ्य नीति 2017 का स्वास्थ्य पर सरकार की ओर से सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य सराहनीय है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दिशा में प्रगति अपेक्षा की तुलना में धीमी है। केंद्रीय बजट 2019–20 में बढ़ा हुआ आवंटन 2025 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीडीपी का 2.5 प्रतिशत खर्च करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। यह तभी संभव होगा जब स्वास्थ्य के बजट में 20 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि अगले कुछ सालों तक जारी रहे। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि महत्वपूर्ण तो है मगर पर्याप्त नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य पर खर्च की जाने वाली करीब 60 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों से मिलती है। राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य पर और अधिक खर्च करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें वर्ष 2001 से बहुत ही मामूली बढ़ोतरी हुई है। भारतीय राज्यों का स्वास्थ्य पर औसत खर्च राज्यों के बजट का 5.25 प्रतिशत है। इसलिए भारत में स्वास्थ्य पर कुल खर्च इस बात पर निर्भर है कि देश के सभी 29 राज्य स्वास्थ्य खर्च में किस दर से बढ़ोतरी करते हैं।

साथ ही, केंद्र सरकार केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य पर खर्च को तेजी से बढ़ाकर मिसाल पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ–साथ नीति आयोग मिल–बैठकर इस बात पर विचार कर सकते हैं कि ऐसी प्रणाली की स्थापना कैसे सुनिश्चित की जाए जिससे कमजोर वित्तीय क्षमता वाले भारतीय राज्य स्वास्थ्य के लिए धनराशि के आवंटन में बढ़ोतरी जारी रख सकें और एक बार इसके बजट खर्च का 8 प्रतिशत हो जाने पर इसे चिरस्थायी भी बना सकें। स्वास्थ्य के लिए आवंटन को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह अन्य सामाजिक क्षेत्रों के खर्च में भी तेजी से वृद्धि करने की जरूरत है। इसलिए स्वास्थ्य नीति निर्माताओं को अन्य क्षेत्रों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले खर्च पर निगरानी रखी जा सके और उनके पक्ष को संयुक्त रूप से रखने के लिए उनसे सहयोग किया जा सके।

आगे की राह

कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आने वाले समय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, स्वास्थ्य सेवाएं इस तरह से तैयार की जाएं जिससे वे देश की लगातार बढ़ रही बुजुर्ग आबादी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस आबादी के अगले दो दशकों में दुगुना हो जाने का अनुमान है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल अधिक खर्चीली होती है। उनकी आबादी को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाएं अभी से बनाना शुरू कर देना चाहिए। अगर केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य इस दिशा में पहल करें तो यह बहुत अच्छा होगा।

दूसरा, शहरी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रणाली को मजबूत करने के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इस समय मौजूद करीब 4,500 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में बदलने से लाभ होगा, लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार 50,000 की आबादी पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का मानदंड ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से भी कमतर है जहां 20,000 से 30,000

Scanned by CamScanner

तालिका–2 : 2009–10 से 2019–20 तक प्रमुख मंत्रालयों के बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)

	विभाग	2009-10	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
क	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	21,113	35,163	29,653	37,062	47,352	55,995	62,659
ख	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	606	1,018	1,018	1,144.80	1,500	1,743	1,900
ग	आयुष मंत्रालय/विभाग*	922	1,272	1,214	1,326.20	1,429	1,693	1,940
घ	एड्स नियंत्रण विभाग**	-	1,785	1,397	-	-	-	-
	बुनियादी स्वास्थ्य के लिए कुल	**22,641**	**39,238**	**33,282**	**39,532**	**50,281**	**59,431**	**66,499**

*आयुष मंत्रालय का गठन 2015–16 में किया गया था. उससे पहले आयुष विभाग का बजट दिखाया गया है।
**एड्स नियंत्रण विभाग (नाको) निर्दिष्ट वर्षों के केंद्रीय बजट में अनुदान की अलग मांग है।
#वित्तवर्ष 2017–18 तक आंकड़े वास्तविक हैं, 2018–19 के लिए संशोधित अनुमान और 2019–20 के लिए बजट अनुमान दिए गए हैं।

के बीच एक ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। इसलिए शहरी भारत में हर 20,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए पूंजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नेटवर्क मजबूत होने से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अधिक कार्यकुशल होगी जिससे अस्पतालों पर बोझ कम होगा और वे अपना पूरा ध्यान विशेषज्ञता वाली चिकित्सा में लगा सकेंगे।

तीसरा, इस बजट में घोषित राष्ट्रीय अनुसंधान निधि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भारत में स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान और प्रमाण जुटाने की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए इस नई प्रणाली का अन्वेषण करने और इसके अनुकूलतम उपयोग का बड़ा अच्छा अवसर है। आर्थिक समीक्षा 2018–19 में दिया गया विश्लेषण इस बात का प्रमाण है कि किस तरह प्रमाणों और अनुसंधानों का अच्छा उपयोग वित्तीय आवंटन और नीति निर्माण में किया जा सकता है जिसका एक अच्छा उदाहरण व्यवहार में बदलाव के लिए लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने संबंधी व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र का 'नज़' सिद्धांत है।

चौथा, अन्य सामाजिक क्षेत्र के साथ संपर्क को नियमित कार्य बनाया जाना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी बेहतर परिणामों के लिए बहु–क्षेत्रीय योजना विकसित की जानी चाहिए जिसमें स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों से संबंध रखने वाले क्षेत्रों के साथ पर्याप्त और लगातार संपर्क रखने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों पर खर्च, नियोजित तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए। बजट आवंटन के लिए 'इक्विटी लैंस' का सहारा लिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फायदे गरीबों, उपेक्षितों, जनजातीय लोगों और महिलाओं समेत सब तक पहुंचें।

पांचवां, नीतियां बनाना और संचालनात्मक नियोजन अत्यंत विशेषज्ञता वाले और तकनीकी क्षेत्र हैं। जब सरकार अन्य बातों के अलावा सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहती है तो यह प्रक्रिया मजबूत और देश के भीतर के प्रमाणों पर आधारित सुचिंतित उपायों से निर्देशित होनी चाहिए। फिलहाल यह प्रक्रिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद जैसे प्रमुख संस्थानों से कुछ समय के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेकर चलाई जाती रही है। कई देशों में संस्थागत व्यवस्था के जरिए विशेषज्ञों का एक समर्पित समूह यह कार्य करता है। थाइलैंड का अपना अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम है जिससे देश को सभी को स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में लाने की दिशा में आगे बढ़ने में बड़ा फायदा मिला है। भारत में वित्त जैसे क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जैसी संस्थाएं इसी तरह का कार्य कर रही हैं। भारत सरकार को विश्वस्तरीय, स्वायत्त 'स्वास्थ्य नीति और अनुसंधान संस्थान' स्थापित करने के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। इसका एक सुनिश्चित बजट होना चाहिए और इसमें दुनिया के तमाम भागों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लागू करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत तकनीकी सहयोग करने वाला संगठन है, से काफी हटकर होना चाहिए।

निष्कर्ष

वर्ष 2019–20 के लिए भारत के केंद्रीय बजट में सामाजिक क्षेत्रों के विभिन्न कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है या उनका आवंटन बढ़ा दिया गया है या फिर दोनों की ओर कदम उठाए गए हैं। समय आ गया है जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्यक्ष खर्च को बनाए रखकर अन्य सामाजिक क्षेत्रों के वित्तीय आवंटन में वृद्धि की जाए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी अच्छे परिणामों का निर्धारण होगा। स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में सरकारी खर्च को बढ़ाना होगा, इसे जारी रखना होगा और समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें सुधार करना होगा। 'स्वास्थ्य' राज्यों का विषय होने के कारण उन्हें भी इसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी से भारत सभी को स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा।

(लेखक वरिष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और विश्व स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली में नेशनल प्रोफेशनल अधिकारी हैं।)
ई–मेल : c.lahariya@gmail.com

Scanned by CamScanner

शिक्षा की नींव मजबूत बनाने के प्रयास

–चंद्रभूषण शर्मा

वर्तमान बजट 2019 अनेक मायने में विशिष्ट है। यह न केवल आर्थिक परिदृश्य को प्रस्तुत करता है अपितु सामाजिक एवं शैक्षिक संदर्भों की एक मजबूत नींव भी रखता है। इस बजट में न केवल शिक्षा के बजट में 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई बल्कि तकनीक के बेहतर प्रयोग, रोजगारपरक शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास, खेलकूद के विकास के साथ–साथ भारत को एक ज्ञान की महाशक्ति बनाने की महत्वाकांक्षा रखी गई है। शैक्षिक मूलभूत सुविधाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान सराहनीय है।

सरकार ने बजट में प्रस्तावित सभी योजनाओं में किसान, ग्रामीण और गरीब को शामिल किया है और उनके हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। सन् 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने के लिए हर क्षेत्र में संवर्द्धन अनिवार्य है और उनमें शिक्षा का क्षेत्र एक अहम हिस्सा है। इस बजट में न केवल शिक्षा के बजट में 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई बल्कि तकनीक के बेहतर प्रयोग, रोजगारपरक शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास, खेलकूद के विकास के साथ–साथ भारत को एक ज्ञान की महाशक्ति बनाने की महत्वाकांक्षा रखी गई है। शैक्षिक मूलभूत सुविधाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक आम बजट के पूर्व शिक्षा हेतु बजट प्रतिशत को बढ़ाने की मांग होती है और सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत हिस्सा देने पर विचार किया जाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी तभी हो सकता है जब इसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए। हम उच्च–स्तर की शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं, अनुसंधान और खोज पर भी ध्यान देते हैं। इसी तरह, प्राथमिक शिक्षा और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने से बेहतर परिणाम आएंगे।

अगर पिछले बजट की तुलना की जाए तो शिक्षा क्षेत्र के लिए 85,010 करोड़ रुपये आवंटित किए थे जिसे बाद में 83,625.86 करोड़ रुपये कर दिया गया जिसमें विद्यालयी शिक्षा के लिए 56,536.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र ने विश्व–स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं और देश में विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए 'स्टडी इन इंडिया' (भारत में पढ़े) कार्यक्रम की भी घोषणा की है। मौजूदा बजट में सरकार शैक्षिक मानकों में सुधार लाने की बात भी कर रही है, युवाओं का कौशल बढ़ाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी बल दिया गया है।

इस बजट में शिशु देखभाल एवं शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है और उसे शिक्षा के अधिकार कानून के तहत लाने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। इससे 1.5 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी को लाभ मिलेगा और शिक्षा के लिए आधार भी तैयार होगा। अगर शिक्षा ग्रामीण परिवेश के अनुरूप दी जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकेगा।

Scanned by CamScanner

विद्यालयी शिक्षा में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता का मुख्य कारण ग्रामीण इलाकों में बच्चों के विद्यालयी पाठ्यक्रम के अलावा उनके कौशल विकास के संसाधनों को बढ़ाना ताकि उन्हें अपने आसपास जीविकोपार्जन के साधन मिल सकें और ग्रामीण क्षेत्रों से उनका पलायन भी रोका जा सके। आज 'माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण' जैसी अन्य परियोजनाओं पर अतिरिक्त धनराशि खर्च की जानी चाहिए। केंद्र सरकार 'शिक्षा के अधिकार' कानून के विस्तार को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है जिसमें निजी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए लागू 25 फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी को सहायता बारहवीं तक करने के लिए बजट में प्रावधान है।

नई शिक्षा नीति का संदर्भ

इस बजट का विशेष महत्व इसलिए भी है कि इसमें नई शिक्षा नीति के मुख्य पक्षों को उद्घाटित किया गया है और व्यापक बदलाव के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया है। 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग', राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या 'राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड' जैसी अनेक संस्थानों के गठन का प्रस्ताव उल्लेखनीय है। आज शिक्षा में बदलाव की अनिवार्यता है। नई पीढ़ी की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा प्रासंगिक है। सक्षमता–आधारित और कौशल–आधारित शिक्षा की मांग है जिसके द्वारा रोजगार की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।

नई शिक्षा नीति का प्रारूप हमारी शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है और देश के शिक्षा–स्तर को बढ़ाने और उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) शिशु देखभाल एवं शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा तथा शिक्षक

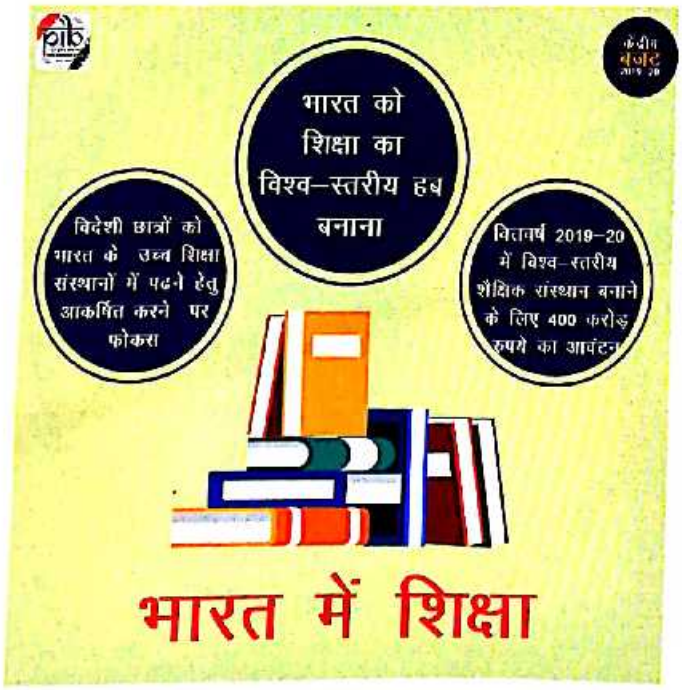

शिक्षा को सभी स्तरों पर सुधारने के लिए विचार करती है तथा सुझाव देती है। यह विचारणीय है कि क्या कोठारी आयोग की संस्तुतियां आज भी प्रासंगिक हैं और क्या आज के परिदृश्य में लागू की जा सकती हैं?

शिक्षा के विविध आयाम : एनआईओएस की पहल

शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय–स्तर की शैक्षिक संस्थाओं का अवदान सर्वोपरि है और इस दिशा में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। 'शिक्षा वंचितों तक शिक्षा पहुंचाने' के संकल्प के साथ यह गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा, कौशल विकास, सुविधापूर्ण सार्वभौमिक, चिरस्थायी और समावेशी शिक्षा प्रदान कर रहा है।

कुछ प्रमुख नवाचार उल्लेखनीय हैं जो इस संस्थान के द्वारा किए जा रहे हैं जिनका उल्लेख बजट में और नई शिक्षा नीति में भी है। इनका व्यापक प्रभाव शिक्षा को नई दिशा देने और सरकार के सपने को साकार करने में होगा। वे इस प्रकार हैं :

पाठ्यक्रम एवं अध्ययन सामग्री

विद्यालय व महाविद्यालय–स्तर पर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया का आधार स्तंभ सुनियोजित, सार्थक व प्रभावी पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में भारत की झलक जरूरी है। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखना हमारा परम दायित्व है ताकि भावी पीढ़ी उनसे शिक्षा ग्रहण कर सके। एनआईओएस ने 'भारतीय ज्ञान परंपरा' नाम से एक स्ट्रीम की शुरुआत की है जिसमें संस्कृत साहित्य व व्याकरण, आयुर्वेद, दर्शन आदि के दुर्लभ ज्ञान को समाहित किया गया है। इन पाठ्यक्रमों के द्वारा संस्थान सीधे गुरुकुलों से जुड़ गया है।

विद्यालयी–स्तर पर अनेक विषयों में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य एवं कृषि संबंधी विषयों का विस्तृत अध्ययन कराया जा रहा है जो बेहद उपयोगी, सार्थक व प्रासंगिक हैं। जैसे सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कृषि का स्वरूप, चुनौतियां व समाधान, नई पद्धतियां तथा दूसरी ओर, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पशुपालन, जलीय कृषि, सिंचाई व्यवस्था, सतत पोषणीय कृषि, जैविक कृषि, जैव प्रौद्योगिकी आदि महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा, जीवन कौशल, जेंडर अध्ययन, दिव्यांग संबंधी मुद्दे, तकनीकी शिक्षा आदि का समावेश किया गया है।

शिक्षक प्रशिक्षण (डी.एल.एड. कार्यक्रम)

गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने तथा शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों का कक्षा–कक्ष में अनुपालन हेतु अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों को व्यापक–स्तर पर प्रशिक्षण का कार्य इस संस्था ने किया है। इसके अंतर्गत लगभग 12 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। पूरी शिक्षण प्रक्रिया में, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों में इसका दूरगामी असर दिखाई देगा।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

वयस्कों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए राष्ट्रीय

Scanned by CamScanner

"हमें फिर से देखने तथा सोचने की आवश्यकता है कि वर्ष 2030 तक हम अपने बच्चों को क्या संप्राप्ति कराना चाहते हैं? विषय–वस्तु से लेकर कौशल विकास तक, उच्च–स्तर पर कला शिक्षा तथा बड़े पैमाने पर शिक्षक शिक्षा में सुधार के साथ–साथ उनके व्यावसायिक विकास पर बल देना महत्वपूर्ण होगा। इसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली के योगदान पर तथा ज्ञानपरक अर्थव्यवस्था के लिए मूल्यों पर जोर दिया जाना चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए तथा पाठ्यक्रम का ताना–बाना भारतीय दर्शन और ज्ञान–मीमांसा पर आधारित होना चाहिए। बच्चों को प्रारंभ से ही भारत की समृद्ध पारंपरिक मूल्य प्रणाली तथा मानव ज्ञान के योगदान से परिचित कराया जाए। वेद शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा के संतुलित संयोजन को अपरिहार्य स्थान मिलना चाहिए।"

साक्षरता। निशन प्राधिकरण ने वर्ष 2010 में एक परियोजना के अंतर्गत बेसिक साक्षरता मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए एनआईओएस को दायित्व सौंपा। इसका मुख्य उद्देश्य नवसाक्षर वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। मार्च, 2018 तक 10.07 करोड़ शिक्षार्थियों का मूल्यांकन किया गया और 7.63 करोड़ शिक्षार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इनमें से अधिकांश शिक्षार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। यह साक्षरता का एक महाअभियान सिद्ध हुआ है।

प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य एवं कार्यकर्ताओं (आशा) का प्रशिक्षण

'आशा' परियोजना स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रारंभ की गई है। यह कार्यक्रम कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 9 लाख आशा कार्यकर्ताओं को प्रमाणपत्र प्रदान करना है। इस परियोजना में 20 राज्यों के राज्य स्तरीय 34 प्रशिक्षण–स्थल हैं और 13 राज्यों के 79 जिलों के 95 जिला प्रशिक्षण–स्थलों को प्रत्यायित किया गया है। स्वास्थ्य संबंधी शिक्षण–प्रशिक्षण की यह पहल गांव–गांव तक पहुंच रही है।

मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा

एनआईओएस तकनीक का अधिकतम उपयोग कर रहा है। विभिन्न सूचनाएं और शिक्षार्थियों को सहायता सेवाएं एसएमएस के माध्यम से प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई। एनआईओएस के शिक्षार्थियों को एनआईओएस की शुल्क, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और परिणाम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इसके कारण दूरदराज के शिक्षार्थी भी आसानी से पढ़ाई जारी रख पाते हैं।

प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम के माध्यम से लगभग बारह लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण 2017–19 में किया गया। संपूर्ण अध्ययन सामग्री एनआईओएस द्वारा तैयार किए गए ऐप के माध्यम से शिक्षकों तक पहुंचाई गई। इस कार्यक्रम में अधिक संख्या गांव के तथा दूरदराज के इलाके के शिक्षकों की थी और उनमें भी बहुतायत महिलाओं की थी। तकनीक का लाभ सबसे ज्यादा वंचित समाज को मिलता है। वर्तमान बजट में तकनीक पर धन लगाने का लाभ सबसे ज्यादा गांव के लोगों को ही होगा।

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के लिए मूल्यांकन एवं प्रमाणन

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम), डिजिटल शिक्षा अभियान (दिशा) और साइबर ग्राम योजना के अंतर्गत डिजिटल साक्षरता के मूल्यांकन और प्रमाणन हेतु एनआईओएस ने नई पहल की है। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सीएससी द्वारा डिजिटल साक्षरता हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है और एनआईओएस द्वारा मूल्यांकन तथा प्रमाणन किया जाता है। इसके अंतर्गत 26 लाख से अधिक शिक्षार्थियों का प्रमाणन और मूल्यांकन किया गया है। यह डिजिटल भारत की योजना का सफल कार्यान्वयन है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

एनआईओएस लक्षित समूहों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्कूली–स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में, कृषि और पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य, कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, स्वा और पराचिकित्सा, गृह विज्ञान और आतिथ्य आदि व्यापक क्षेत्रों में 103 पाठ्यक्रम दिए जा रहे हैं।

कृषि संबंधी महत्वपूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं : i) मशरूम उत्पादन ii) वर्मी कंपोस्टिंग iii) मधुमक्खी पालन iv) धान

Scanned by CamScanner

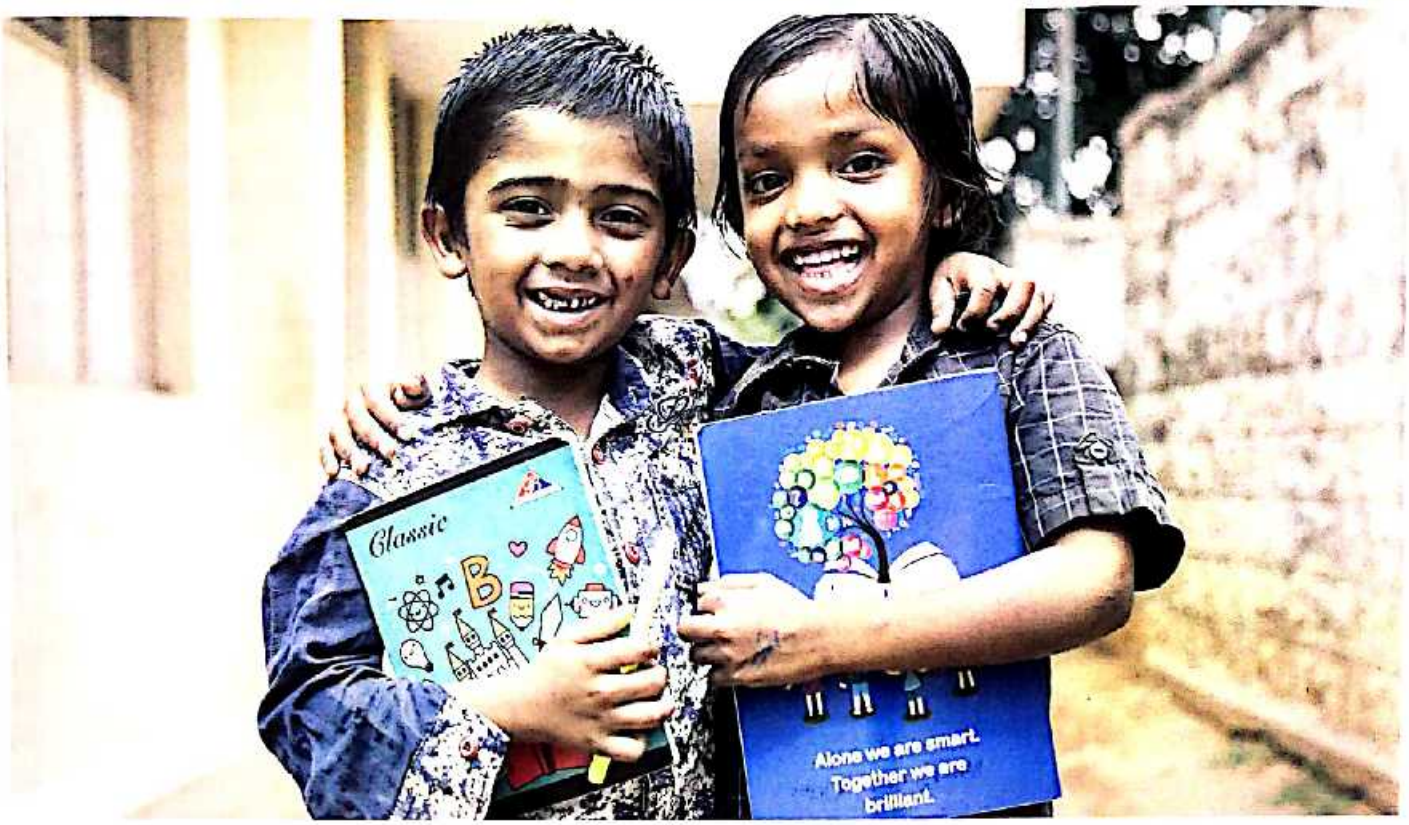

उत्पादन v) मुर्गी पालन vi) पादप सुरक्षा vii) मृदा एवं उर्वरक प्रबंधन viii) मूलभूत ग्रामीण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा ix) कृषि एवं पशुपालन (ऑन–लाइन पाठ्यक्रम)।

एनआईओएस ने औपचारिक शिक्षा प्रणाली का लाभ देते हुए विशेष रूप से वंचितों और सामाजिक रूप से दरकिनार किए गए लोगों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न, एजेंसियों और संगठनों के साथ–साथ गैर–सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी की है। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए), उद्योग निर्माण विकास परिषद (सीआईडीसी), राज्य कौशल विकास निगम (सीआईडीसी), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) जैसी एजेंसियों के सहयोग से संबंधित नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करना है। इनके माध्यम से रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होंगे।

भारतीय सेना के लिए एनआईओएस शिक्षा परियोजना (नेपिया)

एनआईओएस ने भारतीय सैनिकों की शैक्षिक योग्यता और मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए सेना शैक्षिक कोर (एईसी) के साथ उनकी शिक्षा प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत सैन्य इतिहास, सैन्य अध्ययन और शारीरिक शिक्षा एवं योग जैसे विषयों को आरंभ किया गया है। इसका लाभ देशभर के सैनिक ले सकेंगे और उत्पादकता में भागीदार बनेंगे।

बुनकरों के लिए विशेष पाठ्यक्रम

एनआईओएस ने वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से बुनकर समुदाय और उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए एक विशेष पैकेज/पाठ्यक्रम तैयार किया है। शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से बुनकर समुदाय को सशक्त बनाने हेतु 10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र प्रदान किया जा रहा है। महिलाओं, अनु.जा./अनु.ज.जाति और गरीबी रेखा से नीचे के बुनकरों को विशेष छूट भी दी गई है।

योग शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

एनआईओएस ने योग का गहन ज्ञान प्रदान कराने के लिए योग शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है और योग से परिचय, अष्टांग योग की समझ, जीवन में योग के व्यावहारिक पहलुओं तथा स्वास्थ्य एवं आहार के लिए योग हेतु पाठ्यक्रम तैयार किया है।

यह सच है कि ग्रामीण शिक्षा की प्रगति की अनेक दिशाएं हैं। निश्चित तौर पर बजट में समग्र शिक्षा और विशेषकर ग्रामीण शिक्षा के लिए नई संभावनाएं नजर आती हैं जिनसे अनेक समस्याओं का निदान हो सकेगा। जो बजट आवंटन हुआ है, उसका समय से और ठीक से सदुपयोग आवश्यक है। निसंदेह शिक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करने में मुक्त व दूरस्थ शिक्षा की पहल अत्यंत प्रभावी होगी। एनआईओएस की भूमिका बहुआयामी तथा बहुप्रभावी हो सकती है। अतएव नए संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य में समग्र शिक्षा और विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार के लिए बजट का व्यवस्थित आवंटन महत्वपूर्ण है।

(लेखक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में अध्यक्ष हैं।)
ई–मेल : cm@nios.ac.in

Scanned by CamScanner

ग्रामीण भारत का कौशल एवं उद्यमशीलता विकास

–ए. सृजा, शमीम आरा

भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी रहती है लेकिन इस युवा वर्ग का फायदा तभी उठाया जा सकता है, जब हम आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी को शिक्षा, सही कौशल और रोजगार के मौके प्रदान करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए इस लेख में श्रम बाजार की स्थितियों, युवाओं के लिए उपलब्ध कौशल एवं उद्यमशीलता के प्रमुख कार्यक्रमों और भारत में कौशल विकास तथा उद्यमशीलता को मजबूत करने के लिए आम बजट में की गई घोषणाओं की समीक्षा की गई है।

भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी रहती है क्योंकि यहां रहने वाले आधे लोगों की उम्र 25 वर्ष से कम है। अनुमान है कि भारत की 30 प्रतिशत आबादी की उम्र 14 वर्ष से कम है और करीब 8 प्रतिशत लोग 60 से अधिक उम्र वाले हैं। यहां की 62.5 प्रतिशत आबादी कामकाजी आयु वर्ग (15 से 59 वर्ष) में आती है। अनुमान लगाया गया है कि भारत में युवा आयु वर्ग का यह फायदा भारत को 2005–06 से 2055–56 तक यानी पांच दशकों तक मिलता रहेगा, जो दुनिया में किसी भी देश के जनांकिकीय लाभ से अधिक है (यूएनएफपीए, 2018)। लेकिन इस युवा वर्ग का फायदा तभी उठाया जा सकता है, जब हम आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी को शिक्षा, सही कौशल और रोजगार के मौके प्रदान करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए इस लेख में श्रम बाजार की स्थितियों, युवाओं के लिए उपलब्ध कौशल एवं उद्यमशीलता के प्रमुख कार्यक्रमों और भारत में कौशल विकास तथा उद्यमशीलता को मजबूत करने के लिए आम बजट में की गई घोषणाओं की समीक्षा की गई है।

श्रम बाजार की तस्वीर

श्रम बाजार प्रतिभागिता दर (एलएफपीआर) श्रम बाजार में कदम रखने वाली आबादी के अनुपात को दर्शाती है, जबकि कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) बताता है कि आबादी के कितने हिस्से को रोजगार प्राप्त है। इसी तरह बेरोजगारी दर (यूआर) श्रमशक्ति का वह अनुपात या हिस्सा होती है, जिसे रोजगार नहीं मिला है, लेकिन जो काम करने के लिए उपलब्ध है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2017–18 के अनुसार भारत में 15 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के लिए श्रम बाजार में

Scanned by CamScanner

प्रतिभागिता की दर 49.8 प्रतिशत रही। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 50.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 47.6 प्रतिशत थी। महिलाओं के मामले में यह दर ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में पुरुषों की दर की एक तिहाई थी। श्रम बाजार में 49.8 प्रतिशत आबादी ने प्रवेश किया, लेकिन केवल 46.8 प्रतिशत आबादी ही कामकाजी वर्ग में शामिल हो सकी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 48.1 प्रतिशत और शहरों में 43.9 प्रतिशत थी। महिलाओं का कामगार आबादी अनुपात गांवों और शहरों दोनों में ही काफी कम था। दिलचस्प है कि श्रम बाजार में कदम रखने वाले युवाओं (15–29 वर्ष) का अनुपात ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लगभग 38 प्रतिशत रहा। शहरी युवा महिलाओं की श्रम बाजार प्रतिभागिता दर 17.5 प्रतिशत रही, जो ग्रामीण युवा महिलाओं (15.9 प्रतिशत) से अधिक थी। श्रम बाजार में 38.2 प्रतिशत युवाओं ने कदम रखा, लेकिन श्रम बल में उनकी हिस्सेदारी केवल 31.4 प्रतिशत रही (तालिका–1)।

युवाओं की बेरोजगारी दर (यूआर) 17.8 प्रतिशत रही, जो उत्पादक आबादी (15 वर्ष एवं अधिक) की बेरोजगारी दर (6 प्रतिशत) के दोगुने से भी अधिक थी। महिलाओं की बेरोजगारी दर पुरुषों के मामले अधिक ही रही। युवा महिलाओं में यह 27.2 प्रतिशत थी और 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में आंकड़ा 10.8 प्रतिशत रहा।

ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकासः भारत में हालिया सरकारी कार्यक्रम

सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम आरंभ किए हैं। लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति के साथ ही नौकरियों में तेजी से बढ़ रहे डिजिटलीकरण एवं परिवर्तन को देखते हुए यह काम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की मानव संसाधन एवं कौशल आवश्यकताओं पर क्षेत्रवार रिपोर्टों के अनुसार 2022 तक उच्च वृद्धि वाले 24 क्षेत्रों में नए कौशल वाले 10.34 करोड़ लोगों की जरूरत होगी। इसके साथ ही पहले से काम कर रहे लोगों के कौशल में भी लगातार इज़ाफे की जरूरत पड़ेगी।

इस जरूरत को महसूस करते हुए देश भर में कौशल विकास के प्रयास क्रियान्वित करने एवं तेज करने के लिए 2015 में राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान (एनएसडीएम) आरंभ किया गया। कौशल भारत अभियान के तहत 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की योजनाएं/कार्यक्रम चला रहे हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 2.0) चला रहा है, जिसका उद्देश्य अल्पकालिक प्रशिक्षण एवं रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) के जरिए एक करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करना है। विनिर्माण समेत विभिन्न क्षेत्रों में 350 से अधिक प्रकार की नौकरियों में उद्योग के लिए जरूरी कौशल विकास का अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके अलावा पीएमकेवीवाई पाठ्यक्रमों में आजीविका एवं जीवन कौशल पाठ्यक्रम के तहत आवश्यकतानुरूप उद्यमिता प्रदान की जाती है ताकि कौशल प्रशिक्षण ले रहे हरेक उम्मीदवार की दिलचस्पी उद्यमशीलता में हो। आईटीआई के पाठ्यक्रमों में भी उद्यमिता के मॉड्यूल को आजीविका कौशल पाठ्यक्रम में जगह दी गई है।

12 जून, 2019 तक लगभग 52.12 लाख (31.08 लाख अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण + 21.04 लाख आरपीएल) उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण के तहत प्लेसमेंट यानी नौकरी के आंकड़े प्रशिक्षित उम्मीदवार को प्रमाणपत्र देने के 90 दिन के भीतर भेजने होते हैं। कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) से मिले आंकड़ों के अनुसार पीएमकेवीवाई के अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण के तहत प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या 12.03.2019 को कुल 21.97 लाख थी, जिनमें से 12.6 लाख उम्मीदवारों को 12 जून, 2019 तक प्लेसमेंट मिल चुका था।

दीर्घकालिक प्रशिक्षण राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के जरिए प्रदान किया जाता है और देश भर में 14,494 आईटीआई हैं, जिनमें 33.98 लाख छात्रों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल भारत अभियान

तालिका–1: सामान्य स्थिति में आयु एवं निवास के अनुसार श्रम बाजार संकेतक
(प्रतिशत में)

संकेतक	15–29 वर्ष								
	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
एलएफपीआर	58.9	15.9	38.1	58.5	17.5	38.5	58.8	16.4	38.2
डब्ल्यूपीआर	48.6	13.8	31.8	47.6	12.8	30.6	48.3	13.5	31.4
यूआर	17.4	13.6	16.6	18.7	27.2	20.6	17.8	17.9	17.8
15 वर्ष एवं अधिक									
एलएफपीआर	76.4	24.6	50.7	74.5	20.4	47.6	75.8	23.3	49.8
डब्ल्यूपीआर	72.0	23.7	48.1	69.3	18.2	43.9	71.2	22.0	46.8
यूआर	5.7	3.8	5.3	6.9	10.8	7.7	6.1	5.6	6.0

(स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2017–18, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय)

Scanned by CamScanner

तालिका–2: सामान्य स्थिति में शिक्षा प्राप्ति एवं आवास के आधार पर 15 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग में बेरोजगारी दर (प्रतिशत में)

शिक्षा का सामान्य स्तर	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
निरक्षर	1.7	0.1	2.1	0.8
साक्षर, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त	3.1	0.6	3.6	1.3
पूर्व माध्यमिक शिक्षा	5.7	3.7	6.0	5.1
माध्यमिक एवं उच्च	10.5	17.3	9.2	19.8
योग	5.7	3.8	6.9	10.8

(स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2017–18, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय)

में साझेदारी के लिए उद्योगों से संपर्क करने के मकसद से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के जरिए कई कदम उठाए हैं। एनएसडीसी के कौशल कार्यक्रमों में 500 से अधिक प्रशिक्षण साझेदार हैं। 37 सेक्टर कौशल परिषद बनाई गई हैं, जो असल में उद्योगों के नेतृत्व वाली संस्थाएं हैं, जो प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के विश्लेषण, पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण प्रदान करने, मूल्यांकन एवं प्रमाणन में मदद करती हैं।

ग्रामीण उद्यमशीलता और महिलाओं समेत ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही, ग्रामीण विकास मंत्रालय 31 बैंकों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने के मकसद से ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान चला रहा है ताकि युवा लाभकारी स्वरोजगार आरंभ कर सकें। फिलहाल देश के 562 जिलों में ऐसे 582 संस्थान चल रहे हैं, जो ग्रामीण निर्धन उम्मीदवारों का खास ध्यान रखते हुए बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। इन संस्थानों में 56 पाठ्यक्रम कराए जाते हैं, जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप हैं।

नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने और उसके जरिए बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करने के उद्देश्य से जनवरी, 2016 में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। सरकार का लक्ष्य इस कार्यक्रम के जरिए स्टार्टअप को मजबूती देना है ताकि वे नवाचार एवं डिजाइन के जरिए प्रगति कर सकें। 26 जनवरी, 2019 तक 15,472 स्टार्टअप को इस कार्यक्रम के तहत मान्यता मिल चुकी है। 13,176 आवेदनों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई, जिनसे 1,48,897 रोजगार उत्पन्न हुए और 45 प्रतिशत स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक थीं।

महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना आरंभ की गई। इस योजना के तहत बैंक की हरेक शाखा में अनुसूचित जाति/जनजाति के कम से कम एक व्यक्ति और एक महिला को नया उद्यम आरंभ करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच के बैंक ऋण दिलाने में मदद की जाती है। 30 जून, 2019 तक स्टैंडअप इंडिया के अंतर्गत 74,831 (ऑफलाइन एवं ऑनलाइन) आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी थी। स्टैंडअप इंडिया की अवधि वित्त वर्ष 2025 तक बढ़ा दी गई है। देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 2016–17 में राष्ट्रीय उद्यमिता अवार्ड योजना आरंभ की है, जिसमें पहली पीढ़ी के असाधारण उद्यमियों एवं उद्यम तंत्र निर्माताओं के प्रयासों को सम्मानित किया जाता है।

वर्ष 2019–20 के आम बजट में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं

कौशल विकास तेज करने और ग्रामीण युवाओं की रोजगार पाने की क्षमता बढ़ाने के लिए 2019–20 के आम बजट में इन उपायों की घोषणा की गई है:

- बजट में सभी प्रकार के भौतिक संपर्क यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारों, समर्पित ढुलाई गलियारों, भारतमाला एवं सागरमाला परियोजनाओं, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, जल मार्ग विकास एवं उड़ान योजनाओं आदि पर बहुत जोर दिया गया है। इन योजनाओं को आगे ले जाने के लिए भवन, निर्माण, रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री एवं भवन हार्डवेयर क्षेत्रों में कुशल श्रमशक्ति की जरूरत पड़ेगी।
- 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में उड्डयन क्षेत्र में रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एमआरओ) के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए उड्डयन क्षेत्र में एमआरओ विभाग में कुशल श्रमशक्ति की जरूरत पड़ेगी।
- उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना ने प्रत्येक ग्रामीण

तालिका–3: 2017–18 में औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण 2 प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत में वितरण

आयु वर्ग	ग्रामीण			शहरी			कुल		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
15–29 वर्ष	2.0	1.3	1.7	4.6	4.2	4.4	2.8	2.2	2.5
15–59 वर्ष	1.5	0.9	1.2	4.0	3.3	3.7	2.3	1.7	2.0

(स्रोतः आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2017–18, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय)

Scanned by CamScanner

परिवार का जीवन बदलकर रख दिया है और उनका जीवन नाटकीय रूप से सुगम बना दिया है। 2022 तक सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों को बिजली एवं स्वच्छ रसोई गैस की सुविधा प्रदान की जानी है। इन योजनाओं से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के मौके उत्पन्न होंगे और उनके लिए जरूरी कौशल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र से उठने वाली कौशल की मांग पूरी हो सकें।

- युवाओं के लिए विदेश में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कौशल पर अधिक जोर रहेगा, जो विदेश जाने के लिए जरूरी हैं। साथ ही भाषा प्रशिक्षण, कृत्रिम बुद्धि मत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा, 3डी प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी और रोबॉटिक्स जैसे नए ज़माने के कौशल पर भी ध्यान दिया जाएगा। नए ज़माने के कौशल की देश के भीतर और बाहर बहुत मांग है तथा इसमें पारिश्रमिक भी अधिक मिलता है।

बजट में हुई इन घोषणाओं से भी रोजगार के नए मौके उत्पन्न होने की संभावना है, जिसका फायदा उठाने के लिए युवाओं को कौशल देने और कौशल उन्नयन करने की जरूरत है:

- **प्रधानमंत्री आवास योजना – (ग्रामीण)** इस योजना का उद्देश्य 2022 तक "सभी को आवास" का लक्ष्य प्राप्त करना है। 2019 से 2022 के बीच इसके दूसरे चरण में योग्य लाभार्थियों को शौचालय, बिजली और रसोई गैस कनेक्शन वाले 1.95 करोड़ मकान दिए जाने हैं।
- पारंपरिक ग्रामोद्योग के लिए स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनरेशन ऑफ ट्रेडीशनल इंडस्ट्रीज (स्फूर्ति) के अंतर्गत क्लस्टर–आधारित विकास में मदद के लिए अधिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोलने का लक्ष्य है ताकि पारंपरिक उद्योग अधिक उत्पादक, लाभकारी और रोजगार के लगातार मौके देने योग्य बन सकें। बांस, शहद एवं खादी पर जोर देते हुए 2019–20 में 100 नए क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिनके जरिए 50,000 शिल्पकार आर्थिक मूल्य शृंखला में शामिल हो सकेंगे।
- ऐसे उद्योगों की तकनीक बेहतर बनाने के लिए नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर) के अंतर्गत 2019–20 में 80 लाइवलिहुड बिज़नेस इनक्यूबेटर और 20 टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर शुरू किए जाएंगें। 75,000 उद्यमियों को कृषि–ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षित किया जाएगा। खेत एवं सहायक गतिविधियों से किसानों को मिलने वाले उत्पादों में मूल्यवर्धन के लिए निजी उद्यमिता की मदद की जाएगी।
- स्हकारी संस्थाओं के जरिए पशु चारा उत्पादन, दुग्ध खरीद, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे ताकि किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकें।
- स्वच्छ भारत अभियान का दायरा बढ़ाकर हरेक गांव में ठोस कचरे का टिकाऊ प्रबंधन आरंभ किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत दो करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल रूप से साक्षर बना दिया गया है। भारतनेट के जरिए प्रत्येक गांव में स्थानीय निकायों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।
- उजाला योजना के अंतर्गत घरों में लगभग 33.54 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए, जिनसे सालाना 18,464 करोड़ रुपये की बचत हुई और 3.73 करोड़ टन कम कार्बन–डाई–ऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। सौर चूल्हों और बैटरी चार्जरों को बढ़ावा देने के लिए भी इसी तरह मिशन के तहत काम किया जाएगा। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन कम होगा बल्कि देश में ही सौर चूल्हों और बैटरी चार्जरों के निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए मौके उत्पन्न होंगे।
- महिला उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वयंसहायता समूह हेतु ब्याज रियायत कार्यक्रम को विस्तार देकर सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। महिला स्वयंसहायता समूह की जन–धन बैंक खाते वाली प्रत्येक सत्यापित सदस्य को 5,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक समूह से एक महिला मुद्रा योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये तक के ऋण की पात्र भी होगी।
- पारंपरिक शिल्पकारों को जरूरी पेटेंट और भौगोलिक संकेतकों के साथ वैश्विक बाजारों से जोड़ने के अभियान का प्रस्ताव है।
- 17 विशेष पर्यटन स्थलों को आदर्श विश्व–स्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे इन स्थलों पर पर्यटकों की आमदनी बढ़ेगी।
- उभरते हुए एवं उन्नत तकनीक वाले क्षेत्रों में बड़े निवेश की योजना के तहत वैश्विक कंपनियों को सेमी–कंडक्टर फैब्रिकेशन, सोलर फोटो वोल्टाइक रोल, लीथियम स्टोरेज बैटरी, कंप्यूटर सर्वर, लैपटॉप आदि के क्षेत्र में विशाल विनिर्माण संयंत्र लगाने का न्यौता दिया जाएगा।

कुल मिलाकर 2019–20 के आम बजट में आवंटन के मामले में कृषि, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, उद्यमिता एवं ग्रामीण इलाकों में औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया गया है ताकि आने वाले श्रम बल, जिसका बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में ही रहता है, की रोजगार की जरूरतें पूरी हो सकें।

(सुश्री सृजा वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में आर्थिक सलाहकार हैं और सुश्री आरा विभाग में उप–निदेशक हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं।)

ई–मेल : srija.a@gov.in, shamim.ara@nic.in

Scanned by CamScanner

संतुलित विकास के लिए एमएसएमई को बढ़ावा

–डॉ. श्रीपर्णा बी. बरुआ

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए यहां के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ी भूमिका निभानी होगी। रोजगार सृजन और निर्यात, दोनों स्तरों पर इस क्षेत्र को सक्रियता दिखानी होगी और इसे ज्यादा संगठित बनाना होगा, ताकि यह क्षेत्र जीएसटी जैसे सुधारों का लाभ उठा सके। इससे कर्ज की आसान उपलब्धता के लिए राह बन सकेगी। दरअसल, अगले पांच साल में एमएसएमई के लिए बड़े अवसर उपलब्ध होंगे।

भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे की रीढ़ है और इसने लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राचीर की तरह काम किया है। इसने देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक मुश्किलों और चुनौतियों से निपटने की ताकत दी है। पिछले पांच दशकों में सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहद मजबूत और गतिशील क्षेत्र बनकर उभरा है। यह अपेक्षाकृत कम लागत पर बड़ी संख्या में रोजगार पैदा कर और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान करता है। रोजगार पैदा करने के मामले में इस क्षेत्र का कृषि के बाद स्थान है। एमएसएमई इकाइयां बड़े उद्योगों की पूरक हैं। यह क्षेत्र बड़े उद्योगों की सहायक इकाइयों के तौर पर काम करता है और देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई, अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों में योगदान कर अपना दायरा बढ़ा रहा है और घरेलू और वैश्विक बाजारों की जरूरतें पूरी करने के लिए विभिन्न तरह के उत्पाद और सेवाएं तैयार कर रहा है। पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मजबूत एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इससे जुड़े कुछ अहम तथ्य इस तरह हैं:

- पूरी अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा इससे जुड़ा है।
- देश का तकरीबन एक तिहाई विनिर्माण उत्पादन इस क्षेत्र के जरिए होता है।
- देश के सभी प्रतिष्ठानों में तीन चौथाई इस क्षेत्र के हैं।

पूरे देश में एमएसएमई की 3.61 करोड़ इकाइयां हैं और उनका योगदान इस तरह है:

- विनिर्माण संबंधी जीडीपी में 6.11 प्रतिशत हिस्सेदारी;
- सेवा गतिविधियों से जुड़ी जीडीपी में 24.63 प्रतिशत का योगदान।
- देश के विनिर्माण में 33.4 प्रतिशत हिस्सेदारी।

एमएसएमई क्षेत्र ने तकरीबन 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है और भारत के कुल निर्यात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 45 प्रतिशत है। इस क्षेत्र की वृद्धि दर लगातार 10 प्रतिशत से ज्यादा रही है। करीब 20 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और जाहिर तौर पर यह एमएसएमई क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यबल की तैनाती की तरफ इशारा करता है। साथ ही, इससे सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने (विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में) में इन उद्यमों के महत्व का पता चलता है।

एमएसएमई की एक खास बात यह है कि इन इकाइयों का बड़ा हिस्सा करीब 6,000 क्लस्टर (समूह) में सिमटा हुआ है। इसके अलावा, 1,157 पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टर, 3,091 हस्तकला क्लस्टर और 563 हथकरघा क्लस्टर हैं। एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के आकलन के मुताबिक, देश के तमाम हिस्सों में

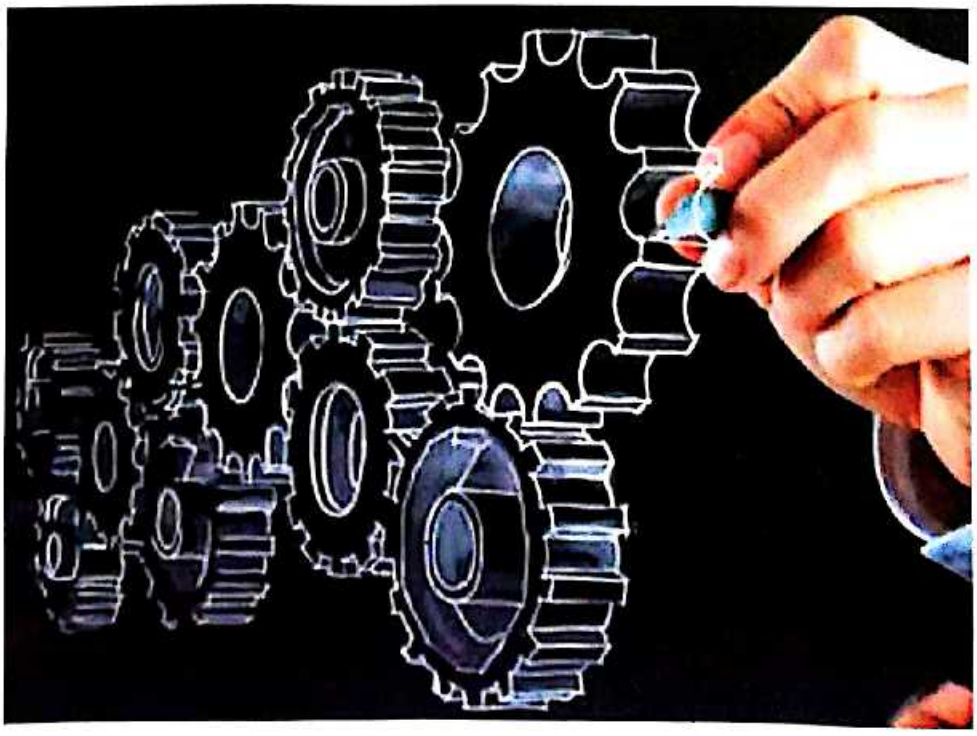

Scanned by CamScanner

मौजूद अपनी 4.6 करोड़ इकाइयों के जरिए यह क्षेत्र 10 करोड़ रोजगार पैदा करता है। इसके अलावा, इस क्षेत्र द्वारा व्यापक–स्तर पर सेवाएं भी मुहैया कराई जाती हैं और यह 6,000 उत्पादों की इंजीनियरिंग के काम से भी जुड़ा है, जिसमें पारंपरिक से लेकर हाई–टेक उत्पाद तक शामिल हैं। कृषि क्षेत्र के बाद भारतीय एमएसएमई क्षेत्र स्वरोजगार और नौकरियां, दोनों मामले में सबसे अधिक अवसर मुहैया कराता है। साथ ही, कम लागत पर गैर–कृषि माध्यमों से आजीविका का साधन तैयार कर, संतुलित क्षेत्रीय विकास, लिंग और सामाजिक संतुलन, पर्यावरण–आधारित सतत विकास के जरिए विभिन्न तरीकों से समावेशी और टिकाऊ समाज के निर्माण में योगदान करता है। एमएसएमई क्षेत्र उद्यमशीलता की नर्सरी है और यह अक्सर निजी रचनात्मकता और नवाचार से संचालित होता है।

एमएमएगई मददगार है

- बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में।
- आर्थिक विकास को बनाए रखने और निर्यात को बढ़ावा देने में।
- विकास को समावेशी बनाने में।

बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन

भारत में पूंजी की दिक्कत है, जबकि श्रम प्रचुरता में उपलब्ध है। एमएसएमई में कम पूंजी से उत्पादन संभव है और इस क्षेत्र में पूंजी–श्रम का अनुपात बड़े उद्योगों के मुकाबले ज्यादा अनुकूल है। अतः, यह विकास और रोजगार संबंधी मकसद पूरा करने में ज्यादा बेहतर है। भारत में 1960 से ही एमएसएमई क्षेत्र का तेज विकास हो रहा है। इकाइयों की संख्या के लिहाज से बात की जाए तो इस क्षेत्र की सालाना औसत विकास दर 4.4 प्रतिशत है, जबकि रोजगार के मामले में यह आंकड़ा 4.62 प्रतिशत है और फिलहाल 3 करोड़ लोगों को इस क्षेत्र से रोजगार मिला हुआ है। एमएसएमई इकाइयां न सिर्फ प्रति व्यक्ति निवेश के हिसाब से सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करती हैं, बल्कि इससे गांवों से शहरों में पलायन रोकने में भी मदद मिलती है। दरअसल, इस क्षेत्र के कारण गांवों में ही रोजगार का टिकाऊ जरिया मिल जाने पर लोग शहरों में पलायन के लिए मजबूर नहीं होते।

सतत आर्थिक विकास और निर्यात में बढ़ोतरी

एमएसएमई निर्यात (खेल सामग्री, रेडीमेड कपड़े, प्लास्टिक उत्पाद आदि में दबदबा) में गैर–पारंपरिक उत्पादों की हिस्सेदारी 95 प्रतिशत से ज्यादा है। चूंकि ज्यादातर ऐसे उत्पाद हाथ से बने और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, इसलिए एमएसएमई से जुड़े निर्यात के विस्तार की जबर्दस्त संभावना होती है। साथ ही, एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयां बड़े उद्योगों के लिए सहायक उद्योग की तरह भी काम करती हैं और बड़े उद्योगों को कच्चा माल व अन्य चीजें मुहैया कराती हैं। उदाहरण के तौर पर लुधियाना के साइकिल विनिर्माता बड़े पैमाने पर मलेरकोटला की एमएसएमई इकाइयों पर निर्भर हैं, जो साइकिल के कलपुर्जे बनाती है।

समावेशी विकास के लिए संभावना

समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करने में एमएसएमई की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र सबसे कमजोर और हाशिए पर मौजूद लोगों के जीवन को छूता है। कई परिवारों के लिए यह आजीविका का एकमात्र साधन है। अतः, यह क्षेत्र गरीबी और अभाव के चक्र को खत्म करने के लिए कल्याणकारी तरीका अपनाने के बजाय लोगों का सशक्तीकरण करने का प्रयास करता है। यह लोगों के कौशल और क्षमता पर फोकस करता है। हालांकि, एमएसएमई क्षेत्र के अलग–अलग हिस्सों पर अलग–अलग सामाजिक समूहों की पकड़ है।

एमएसएमई और रोजगार सृजन

अगर लघु, छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर उचित ध्यान देकर इसे आगे बढ़ाया जाए तो यह अगले 4–5 साल में एक करोड़ रोजगार पैदा कर सकता है। सीआईआई के एक सर्वे के मुताबिक, पिछले 4 साल में एमएसएमई रोजगार पैदा करने के मामले में सबसे अव्वल क्षेत्र रहा है। 'रोजगार सृजन का सर्वेक्षण और एमएसएमई क्षेत्र का नज़रिया' नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्र रोजगार पैदा करने में सबसे आगे रहा, उसके बाद वस्त्र और धातु उत्पादों से जुड़े क्षेत्रों का नंबर रहा। मशीनी पुर्जे और परिवहन व लॉजिस्टिक्स सेक्टर इस सूची में अगले दौर में थे।

एमएसएमई मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट, 2017–18 के अनुसार, इस क्षेत्र के जरिए विनिर्माण क्षेत्र में 3.6 करोड़ (70 प्रतिशत) लोगों को रोजगार मिला। छोटी फर्मों ने सबसे ज्यादा रोजगार पैदा किया और आने वाले तीन साल में भी यह रुझान जारी रहने की संभावना है। दुनिया में वैश्विक–स्तर पर विकास दर को फिर से तेज करने के लिए रणनीति बनाने पर बहस हो रही है, लेकिन रोजगारविहीन विकास और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी मुंह बाएं खड़ी हैं। रोजगार मुहैया कराने में एमएसएमई इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बड़े उद्यमों और एमएसएमई के बीच पूरक संबंध भी है। अगर छोटे का अस्तित्व बना रहेगा, तभी बड़ी इकाईयां आगे बढ़ेंगी। बड़े उद्यमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला की जरूरत होती है, जो एमएसएमई के बिना संभव नहीं है। मौजूदा वक्त की जरूरत बड़े और छोटे उद्यमों के बीच कड़ियों को मजबूत करने की है, ताकि एक साथ मिलकर ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को धक्का दे सकें। अगर एमएसएमई का विकास होता है, तो पूरे भारत का संतुलित विकास होगा, क्योंकि ऐसी इकाइयां ग्रामीण और शहरी– दोनों क्षेत्रों में हैं।

एमएसएमई की चुनौतियां

बिना रजिस्ट्रेशन वाली ज्यादातर एमएसएमई इकाइयों में छोटे उद्यम शामिल हैं, जो ग्रामीण भारत तक सीमित हैं; पुरानी तकनीक से चल रहे हैं, इन इकाइयों को संगठित संस्थानों से वित्त सुविधाओं की पहुंच नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली इकाइयों को रजिस्टर्ड एमएसएमई में बदलने की जरूरत है।

Scanned by CamScanner

इन चीजों पर ध्यान देकर पूरे एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार की जरूरत है: जिसे निम्न बातों पर ध्यान देकर प्राप्त किया जा सकता है–

तकनीक की उपलब्धता

आईपीआर (बौद्धिक संपदा) से जुड़े मुद्दे।

डिजाइन से जुड़े मुद्दे।

संसाधनों/मानव संसाधन का अनावश्यक उपयोग।

ऊर्जा अक्षमता और इससे जुड़ी ऊंची लागत।

आईसीटी का कम इस्तेमाल।

बाजार की सीमित पहुंच।

गुणवत्ता का भरोसा/प्रमाणीकरण।

उत्पादों का मानकीकरण और नए बाजार में घुसने के लिए उचित मार्केटिंग चैनल

एमएसएमई के लिए सरकारी पहल

सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पांच महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

1) **कर्ज़ की उपलब्धता:** एमएसएमई को कर्ज़ की उपलब्धता के लिए '59 मिनट वाले' लोन पोर्टल की शुरुआत की गई है। इससे एक करोड़ तक का कर्ज़ सैद्धांतिक रूप से मंजूर किया जा सकता है। जीएसटी रजिस्टर्ड सभी एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज़ पर ब्याज में 2 प्रतिशत सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है।
2) **बाजार की उपलब्धता:** सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए अब अपनी कुल खरीद का 25 प्रतिशत हिस्सा एमएसएमई से खरीदना जरूरी कर दिया गया है।
3) **बेहतर तकनीक:** तकनीक की उपलब्धता के लिए देशभर में 20 तकनीकी हब स्थापित किए जाएंगे, जिसके तहत 100 टूल रूम होंगे।
4) **कारोबार करने में सुगमता:** कारोबार संबंधी मंजूरी और प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए गए हैं।
5) **एमएसएमई क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा:** इस क्षेत्र के कर्मचारियों के पास प्रधानमंत्री जन–धन खाता, भविष्य निधि और बीमा की सुविधा हो, इसके लिए अभियान शुरू किया गया है।

केंद्रीय बजट 2019 –20 में भी देश के एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर में कटौती संबंधी उपाय से लेकर कई अन्य पहल का प्रस्ताव किया गया है, जिसका छोटे कारोबारों पर व्यापक असर होगा।

नीतिगत–स्तर पर इस तरह की पहल स्पष्ट और एकरूप है, जिसका मकसद इन चीजों को प्रभावित कर एमएसएमई क्षेत्र के पारिस्थितिकी–तंत्र को बदलना है: (1) सृजन स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना (2) संचालन और विकास (नियम–कानून को आसान बनाकर और कर्ज़ की उपलब्धता सुनिश्चित कर।

कौशलयुक्त श्रम और भरोसेमंद आधारभूत संरचना के अलावा बेहतर तकनीक और गतिशील बाजार (3) व्यवस्थित और आसान निकासी। अतः, भारत की एमएसएमई नीति का मौजूदा फोकस एमएसएमई के पूरे जीवनचक्र से जुड़ना है, ताकि यह क्षेत्र पूरी तरह से स्वस्थ, मजबूत और प्रतिस्पर्धी बन सके। इस नीति का इरादा देश की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान मौजूदा 29 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर सके। साथ ही, निर्यात में इसका योगदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जा सके। रोजगार सृजन के आंकड़े को 11.10 करोड़ से 15 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

निष्कर्ष

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यहां के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ी भूमिका निभानी होगी। रोजगार सृजन और निर्यात, दोनों स्तरों पर इस क्षेत्र को सक्रियता दिखानी होगी और इसे ज्यादा संगठित बनाना होगा, ताकि यह क्षेत्र जीएसटी जैसे सुधारों का लाभ उठा सके। इससे कर्ज़ की आसान उपलब्धता के लिए राह बन सकेगी। दरअसल, अगले पांच साल में एमएसएमई के लिए बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, एमएसएमई को कर्ज़ की उपलब्धता बढ़ाने, तकनीकी उन्नति और इस क्षेत्र के डिजिटाइजेशन से ऐसी इकाइयां न सिर्फ अपने वैश्विक समकक्षों से मुकाबला कर सकती हैं, बल्कि 'मेक इन इंडिया' अभियान में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। औद्योगिक क्लस्टरों पर जोर होने के कारण प्रति इकाई लागत घटने से वास्तविक लाभ होगा।

(लेखिका भारतीय उद्यमिता संस्थान में औद्योगिक विस्तार केंद्र की प्रमुख हैं।)

ई–मेल : sriparnabbaruah@gmail.com

Scanned by CamScanner

स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में कदम

–ऋषभ कृष्ण सक्सेना

स्टार्टअप्स के लिए रियायत हो, छोटे उद्योगों के लिए कम ब्याज पर कर्ज़ हो, महिला स्वयंसहायता समूहों के लिए मुद्रा से कर्ज़ हो या ग्रामीण क्लस्टर बनाने हों, इन सभी से रोजगार को गति मिलेगी। ध्यान से देखें तो इन प्रस्तावों का सबसे अधिक फायदा ग्रामीण क्षेत्र को ही होने जा रहा है, जहां ढेरों स्वयंसहायता समूह काम करते हैं और लघु उद्योग तथा ग्रामीण क्लरटर भी भरे हुए हैं। इसके अलावा, गांवों के नज़दीक से गुजरने वाले औद्योगिक गलियारों, समर्पित माल ढुलाई गलियारों और राजमार्गों पर काम तेज हुआ तो उसका फायदा गांवों के श्रमबल को ही होगा और रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आईं तो आर्थिक सेहत का पता लगाने के साथ लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी खूब थी कि रोजगार के मोर्चे पर सरकार क्या करने जा रही है। दिलचस्पी लाजिमी भी थी क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला भारत बेरोजगारी से बुरी तरह जूझ रहा है। देश में करीब 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है और 50 प्रतिशत 25 साल से कम उम्र के हैं। जाहिर है कि कामकाजी आबादी बहुत अधिक है, लेकिन रोजगार के मामले में हम पिछड़ रहे हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के मुताबिक बेरोजगारी की दर 6.1 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो पिछले 45 वर्ष में सबसे अधिक है। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकड़े 2 करोड़ नए कर्मचारी जुड़ने की बात कहते हैं, लेकिन सरकार भी मानती है कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है।

फरवरी में तत्कालीन वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने जो अंतरिम बजट पेश किया था, उसमें कमोबेश पूर्ण बजट की ही झलक थी और उसमें तमाम योजनाओं की घोषणा कर दी गई थी। जुलाई में आए आम बजट में उसी को मंजूरी देते हुए आगे बढ़ाया गया है। पूर्ण बजट में रोजगार के लिहाज से दिशा दिखाई गई है। स्टार्टअप्स के लिए रियायत हो, छोटे उद्योगों के लिए कम ब्याज पर कर्ज़ हो, महिला स्वयंसहायता समूहों के लिए मुद्रा से कर्ज़ हो या ग्रामीण क्लस्टर बनाने हों, इन सभी से रोजगार को गति मिलेगी। ध्यान से देखें तो इन प्रस्तावों का सबसे अधिक फायदा ग्रामीण क्षेत्र को ही होने जा रहा है, जहां ढेरों स्वयंसहायता समूह काम करते हैं और लघु उद्योग तथा ग्रामीण क्लस्टर भी भरे हुए हैं। इसके अलावा, गांवों के नज़दीक से गुजरने वाले औद्योगिक गलियारों, समर्पित माल ढुलाई गलियारों और राजमार्गों पर काम तेज हुआ तो उसका फायदा गांवों के श्रमबल को ही होगा और रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी।

ऐसे में एक बार नजर डालते हैं कि सरकार ने किन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं और वे कितने कारगर साबित हो सकते हैं।

छोटे उद्योगों पर मेहरबानी

बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को कई

Scanned by CamScanner

प्रकार से राहत और मदद देने का प्रावधान किया गया है। जीएसटी में पंजीकृत एमएसएमई को कर्ज़ पर 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने का ऐलान सबसे बड़ी राहत है। इसके लिए सरकार ने चालू वित्तवर्ष में 350 करोड़ रुपये का ऐलान किया है। धन की किल्लत दूर करने का दूसरा उपाय भुगतान में देरी की समस्या दूर करना है। छोटे उद्योग अक्सर सरकारी विभागों के लिए सामान तैयार करते हैं और भुगतान अटकने की सूरत में उन्हें कर्ज़ के जाल में फंसना पड़ता है या उनके धंधे पर असर पड़ता है। बजट में एमएसएमई के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें बिल भरना और उनका भुगतान पाना बहुत आसान हो जाएगा।

सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों उपायों का एमएसएमई और रोजगार पर क्या असर पड़ेगा। एमएसएमई मंत्रालय की 2017–18 की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 11.1 करोड़ लोगों को एमएसएमई से ही रोजगार मिलता है और आधे से अधिक छोटे उद्योग ग्रामीण इलाकों में ही हैं। लेकिन ग्रामीण उद्योग अक्सर कौशल की कमी, तकनीक और बाजार की अनुपलब्धता, बुनियादी ढांचे की किल्लत और महंगे ऋण से परेशान रहते हैं। इन समस्याओं को दूर करने में सरकार के उपरोक्त दोनों कदम खासे मददगार हो सकते हैं। ब्याज पर सब्सिडी होगी तो महंगे कर्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी और अगर भुगतान समय पर होगा तो एमएसएमई भी मुनाफे में रहेंगे और उन्हें बाहर से निवेश आसानी से मिलेगा। दोनों ही स्थितियों में उनका कारोबार बढ़ सकता है और इकाइयों में रोजगार भी बढ़ सकता है।

तमाम विशेषज्ञ मानते हैं कि गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकने का अच्छा तरीका ग्रामीण लघु उद्योग लगाना है। कुटीर उद्योग भी यह काम कर सकते हैं। कपास हो, सब्जियां हों, फल हों या दूसरे कृषि उत्पाद हों; यदि उन्हें बाजार आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकता तो उनके ऐसे उत्पाद तो तैयार हो सकते हैं, जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके और कीमत भी अधिक मिल सके। आप खुद ही सोचिए कि टमाटर के अधिक दाम मिलेंगे या उससे बनी चटनी और प्यूरी के? सेब या अमरूद अधिक कमाई कराएगा या उससे बने जैम और मुरब्बे? जाहिर है कि कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से तैयार सामान बेहतर कमाई कराएगा। यदि सरकार बजट में की घोषणाओं को पूरी तरह अमलीजामा पहनाती है तो ग्रामीण युवाओं के लिए सस्ता कर्ज़ हासिल करना, कौशल प्राप्त कर मशीनें खरीदना और प्रसंस्करण उद्योग लगाकर माल को बाजार में बेचना आसान हो जाएगा और एक छोटा उद्योग 9–10 लोगों को रोजगार दे देता है। कुछ गांवों में यदि किसी एक उत्पाद या उद्योग का क्लस्टर बना दिया जाए तो पर्याप्त रोजगार उपलब्ध होगा और मौसम बिगड़ने पर रोजी–रोटी चलाने का दूसरा विकल्प उपलब्ध होगा।

प्रसन्नता की बात यह है कि सरकार ने इस बार के बजट में ग्रामीण उद्योगों पर काफी ही जोर दिया है। गांवों में लगभग हरेक घर में दुधारू पशु होते ही हैं। उनका अधिक लाभ उठाने

के लिए सरकार ने पशु चारा बनाने, दूध संग्रह करने, प्रसंस्करण करने और बाजार तक ले जाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने की बात कही है ताकि सहकारी संघों के जरिए डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि इस दिशा में पहले ही काम चल रहा है और सैकड़ों गांवों में आधुनिक विधियों से डेयरी चलाते युवक मिल जाएंगे। लेकिन सरकार द्वारा इस पर नए सिरे से जोर देने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र में रोजगार के और भी मौके सृजित होंगे।

मत्स्य संपदा योजना

कृषि के साथ वैकल्पिक रोजगार की बात खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी उद्योग तक ही सीमित नहीं है। इस बार के बजट में सरकार ने मछली पालन को भी बढ़ावा देने का कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ऐलान किया है। नदियों और समुद्र के किनारे बसे गांवों के लिए यह योजना वरदान सरीखी साबित हो सकती है। इसके जरिए मत्स्य पालन विभाग इस उद्योग का मजबूत ढांचा खड़ा करेगा। इसमें मूल्य शृंखला में मौजूद खामियां पहचानी जाएंगी और बुनियादी ढांचे, आधुनिकीकरण, उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में समुचित कदम उठाए जाएंगे।

मत्स्यपालन के क्षेत्र में यूं भी अपार संभावनाएं हैं। फिलहाल भारत के जीडीपी में मछली और जलजीव उत्पादन का केवल एक प्रतिशत योगदान है और कृषि जीडीपी में करीब 5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की 2018 में आई रिपोर्ट "द स्टेज ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर" के मुताबिक भारत से मछली और जलजीवों के निर्यात में 2030 तक करीब 61.2 प्रतिशत इज़ाफा होने की संभावना है। भारत से अभी करीब 11 लाख टन मछलियों का निर्यात होता है, जो अगले 11 वर्ष में 17.2 लाख टन तक पहुंच जाएगा। मगर सरकार की नई योजना

Scanned by CamScanner

इस आंकड़े में और भी इज़ाफा कर सकती है। देश में समुद्र तट की लंबाई 7,000 किलोमीटर से भी अधिक है और यहां विभिन्न प्रकार के समुद्री उत्पाद पाए जाते हैं। इनमें वांछित वृद्धि हुई तो विदेशी मुद्रा तो आएगी ही, भारी मात्रा में रोजगार भी सृजित होगा। इनके प्रसंस्करण के लिए नए कारखाने लगाने होंगे, जहां युवाओं को आजीविका का नया साधन मिलेगा।

क्लस्टर देंगे रफ्तार

सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि गांवों की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह कृषि और पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर करती है। इसीलिए इस बार के बजट में पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनरुत्थान के लिए कोष की योजना 'स्फूर्ति' का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान 100 नए क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इनमें बांस, शहद और खादी के क्लस्टरों पर अधिक जोर दिया जाएगा। यदि 100 नए क्लस्टर बन जाते हैं तो कम से कम 50,000 शिल्पी बेहतर रोजगार पाने लगेंगे और उनका सामान्य जीवन-स्तर बेहतर हो जाएगा।

सरकार स्फूर्ति पर ही नहीं ठहर गई है। इसके तहत आने वाले पारंपरिक उद्योगों की तकनीक बेहतर करने के लिए नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्द्धन की योजना 'एस्पायर' का सहारा लिया जा रहा है। इसके तहत आजीविका कारोबार इनक्यूबेटर और तकनीकी कारोबार इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे। 2019-20 में ऐसे कुल 100 इनक्यूबेटर बनाने की योजना है, जिनमें कृषि-ग्रामीण उद्योगों के लिए करीब 75,000 कुशल उद्यमी तैयार किए जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो ग्रामीण रोज़गार के लिहाज से यह बजट की सबसे अहम घोषणा है। इतनी बड़ी तादाद में उद्यमी तैयार हुए तो उत्पादन और रोजगार में ही इज़ाफा नहीं होगा बल्कि समूचे ग्रामीण भारत और कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता की नई लहरें हिलोरें मारने लगेंगी। अब तक जो क्षेत्र दूसरों के सामने हाथ पसारने का आदी था, अब उसी क्षेत्र के उद्यमी गांवों और शहरों से लोगों को रोजगार देने लगेंगे। यह मुहिम सफल हो गई तो शहरों से गांवों की ओर युवाओं की वापसी देखने को मिल सकती है। साथ ही, इससे कृषि कारोबार क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश भी आ सकता है, जो इसकी क्षमता में विस्तार करेगा और रोजगार की संभावनाओं के लिहाज से सोने पर सुहागा सरीखा होगा।

महिला उद्यमियों को बढ़ावा

बात ग्रामीण रोजगार की हो तो महिलाओं को भुलाया नहीं जा सकता। खादी हो या अचार-पापड़-मुरब्बे जैसे उत्पाद या फिर मछलीपालन हो; इनमें से कोई भी उद्योग महिलाओं के बगैर नहीं चल सकता और कई में तो पूरा दारोमदार महिलाओं पर ही होता है। लेकिन हमें इसका ध्यान ही नहीं रहता, जबकि कुछ अरसा पहले तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी भरपूर जगह थी। कश्मीर की शॉल हो, हिमाचल की टोपी हो, जयपुरी रजाई हो, राजस्थानी बंधेज हो, रामपुरी चाकू हो, बरेली का बेंत का सामान हो, लखनऊ की चिकनकारी हो, मऊ की तांत की साड़ी हो या वाराणसी और भागलपुर की रेशमी साड़ी हो, ये सभी कुटीर उद्योगों की ही देन थे। मगर बढ़ते मशीनीकरण, संसाधनों की कमी, महंगे होते कच्चे माल और बाजार की किल्लत से ये उद्योग धीरे-धीरे मरते गए। यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में भी इन पर खासा ध्यान देती रही, लेकिन जीएसटी और नोटबंदी से इन उद्योगों को झटका लगने की बात भी नकारी नहीं जा सकती।

नकदी इन उद्योगों के लिए जीवनरेखा की तरह होती है क्योंकि छोटे कुटीर उद्योग बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं के कर्ज़ देने के पैमानों पर खरे नहीं उतर पाते और न ही वे कर्ज़ लेने के लिए कागजों का पुलिंदा तैयार कर पाते हैं। मुद्रा योजना के तहत इन्हें लगातार कर्ज़ दिया जा रहा है और इस बार के बजट में सभी स्वयंसहायता समूहों को कर्ज़ देने की बात कहकर वित्तमंत्री ने इन उद्योगों को वाकई आगे बढ़ने का हौंसला दिया है। महिला स्वयंसहायता समूह आगे बढ़ते हैं तो उनसे महिलाओं को रोजगार का वैकल्पिक साधन मिलता है। घर के सारे काम निपटाने के बाद कुछ घंटे भी यदि वे कुटीर गतिविधियों को दे पाती हैं तो परिवार के लिए कमाई का नया स्रोत खुलता है। ऊपर जो भी कुटीर उद्योग बताए गए हैं, वे लगभग इसी शैली पर चल रहे हैं। देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्तमंत्री भी इस बात को बखूबी समझती हैं, इसलिए उन्होंने महिला उद्यमियों को मुद्रा, स्टैंडअप इंडिया और स्वयंसहायता समूहों के जरिए मदद देने की पूरी कोशिश की है। इनमें से कई योजनाएं पहले से चल रही थीं, लेकिन अब ब्याज में रियायत की योजना सभी जिलों के महिला स्वयंसहायता समूहों के लिए लागू कर दी गई है। साथ ही, स्वयंसहायता समूह में काम करने वाली ऐसी हरेक सत्यापित महिला सदस्य को 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया है, जिसका जन-धन बैंक खाता हो। इतना ही नहीं, हरेक स्वयंसहायता समूह में एक महिला को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपये तक का कर्ज़ भी दिया जाएगा।

मुद्रा का लाभ सभी स्वयंसहायता समूहों को देना छोटा कदम नहीं है। देखा गया है कि कई महिला स्वयंसहायता समूहों में बड़े स्तर पर काम करने की क्षमता है, लेकिन उन्हें ऋण आसानी से नहीं मिलता। मुद्रा के तहत देश के सभी 52 लाख समूहों को 1-1 लाख रुपये का ऋण देने का मतलब यह है कि उन्हें तकरीबन 52,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ दिया जाएगा। महिलाओं को रोजगार देने और सशक्त बनाने की दिशा में यह सरकार का काफी ठोस कदम है।

प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत 2,327 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले दो वर्ष के मुकाबले

Scanned by CamScanner

117 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पिछले वित्तवर्ष में 5,750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे इस बार बढ़ाकर 9,024 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य 10 वर्ष में 10 करोड़ गरीब ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचना और उन्हें स्वयंसहायता समूहों से जोड़ना है। इसका फायदा करीब 52 लाख महिला स्वयंसहायता समूहों को मिलेगा और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार में भी भारी इज़ाफा होगा।

मगर कर्ज़ या वित्तीय सहायता देने भर से काम नहीं चलता। उद्योगों के लिए बाजार बहुत जरूरी है, जिसकी कमी उन्हें खलती रही है। इस बार के बजट में बाजार उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिससे इन उद्योगों को बड़े रिटेल स्टोरों या विचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो उन्हें अपने उत्पादों के बेहतर दाम मिल सकते हैं। बेहतर दाम मिलने से पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा और नए रोजगार की गुंजाइश भी बनेगी।

ग्रामीण पर्यटन

बजट में पर्यटन का जिक्र भी किया गया है। सरकार ने 17 विशेष पर्यटन स्थलों को विश्व-स्तर के पर्यटन स्थलों में बदलने का फैसला किया है। इन्हें दूसरे पर्यटन स्थलों के लिए पैमाने के रूप में ढाला जाएगा। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन ग्रामीण पर्यटन की ओर बढ़ते सरकारी रुझान को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि इसमें गांवों के आसपास के इलाके भी शामिल होंगे। ऐसा होता है तो ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अच्छे साधन तैयार हो सकते हैं।

भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, जिनकी अपनी अलग संस्कृति और धरोहर है। यदि पर्यटन में उनका खास ध्यान रखा जाए और उनके इर्द-गिर्द पर्यटन का ताना-बाना बुना जाए तो देसी-विदेशी पर्यटकों को अनूठा अनुभव मिलेगा और गांव में रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत पैदा हो जाएगा। केंद्र सरकार यदि बजट के प्रस्ताव को आगे बढ़ाती है और इन 17 मानक विश्व-स्तरीय पर्यटन स्थलों की तर्ज पर गांवों के इर्द-गिर्द भी पर्यटन की संभावनाएं बढ़ाती है तो गांवों का आर्थिक कायापलट हो सकता है। सैलानी ग्रामीण पर्यटन स्थलों पर आएंगे तो वहां की कला और शिल्प से भी परिचित होंगे, जिनसे शिल्पकारों का बाजार बढ़ेगा। साथ ही, मानक पर्यटन स्थलों के आसपास के गांवों में होम स्टे, शिल्पग्राम और मसाला पर्यटन, चाय पर्यटन जैसे थीम-आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिले तो बेरोजगार युवाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा और ग्रामीणों का आर्थिक-स्तर सुधरेगा क्योंकि वे मौसम पर आश्रित खेती पर ही निर्भर नहीं रह जाएंगे।

बुनियादी ढांचे से भारी रोजगार

सरकार की एक घोषणा ऐसी भी है, जो रोजगार की प्रत्यक्ष बात नहीं करती मगर उससे सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न होगा। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि अगले पांच साल में बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। जिस देश की समूची अर्थव्यवस्था ही 3 ट्रिलियन यानी 3

Scanned by CamScanner

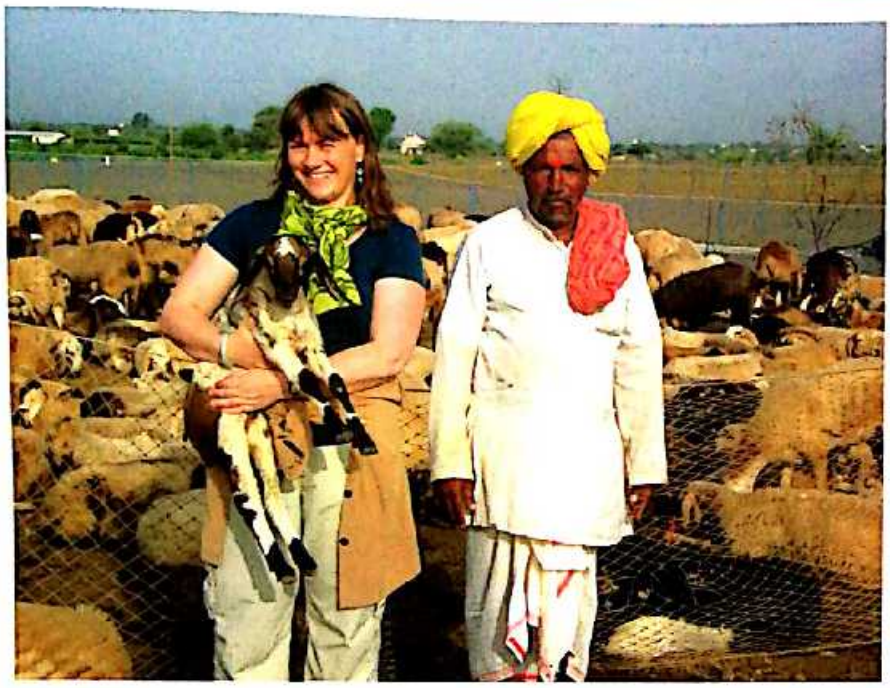

लाख करोड़ डॉलर पर सिमट जाती हो, वहां बुनियादी ढांचे पर ही लगभग 1.5 लाख करोड़ डॉलर खर्च करना मामूली बात नहीं है। हालांकि अभी यह पता नहीं है कि इतनी रकम किस तरह आएगी, लेकिन ऐसा हो गया तो सबसे अधिक रोजगार यहीं से निकलेगा। इनमें औद्योगिक गलियारे, रेलवे के समर्पित माल ढुलाई गलियारे, राजमार्ग के लिए भारतमाला और बंदरगाहों को जोड़ने के लिए सागरमाला आदि शामिल होंगे।

स्मार्ट सिटी के जरिए शहरों को सुधारने, रेलवे का समूचा आधुनिकीकरण करने और पूरे देश में बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाने पर काम कर रही सरकार राजमार्ग, औद्योगिक गलियारों, कारखानों आदि पर जब काम शुरू करेगी तो उनके आसपास के गांवों के युवाओं को स्वाभाविक तौर पर काम मिलेगा। अनुमान है कि अगले पांच साल में इसके लिए कई लाख लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही, सरकार ने किफायती आवास पर भी जोर दिया है। 45 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर लिए गए कर्ज़ में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती के बजट प्रस्ताव से ऐसे मकानों का निर्माण तेज होगा और रोजगार बढ़ेगा।

इसी तरह, गांवों से ग्रामीण बाजारों तक सड़क संपर्क सुधारने के लिए अगले पांच वर्ष में 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त करने की योजना है और करीब 80,250 करोड़ रुपये का निवेश तो इसी में होने का अनुमान है। इनके निर्माण में श्रमबल की जरूरत पड़ेगी, जो करीब के गांवों से ही आएगा।

चुनौतियां भी

सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी होगी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) या किसानों को न्यूनतम वार्षिक आय जैसी कितनी भी लोक–लुभावन योजनाएं और उन पर होने वाले खर्च का रोजगार के लिहाज से परिणाम बेहद आशाजनक नहीं है। सरकारी नौकरियां भी सीमित ही होती हैं। इसीलिए असली रोजगार तभी मिलेगा, जब कौशल बढ़ाया जाएगा, निवेश बढ़ाया जाएगा, बाजार तक पहुंच बेहतर की जाएगी, उद्यमियों को कारोबार चलाने के लिए अनुकूल माहौल दिया जाएगा और निजी क्षेत्र को देसी उद्यमों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

कौशल विकास सबसे जरूरी है क्योंकि ग्रामीण भारत में अकुशल श्रमबल की भरमार है। यह भी स्वयंसिद्ध है कि अकुशल श्रमबल को कुशल श्रमबल के मुकाबले बमुश्किल आधा पारिश्रमिक मिलता है। इसीलिए जितने अधिक ग्रामीण युवा कौशल हासिल करेंगे, उतना ही अधिक रोजगार और बेहतर पारिश्रमिक उन्हें हासिल होगा। कौशल विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तमाम योजनाएं तथा कार्यक्रम चला रही हैं, लेकिन ज़मीनी–स्तर पर उनके क्रियान्वयन में अब भी ढिलाई दिखती है, जिस कारण वांछित लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। रोजगार बढ़ाना है तो सरकार को इस मोर्चे पर मुस्तैदी दिखानी होगी।

ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाज़ार तैयार करने की बात सरकार बहुत पहले से कहती आ रही है, लेकिन इस दिशा में भी ठोस काम कम ही हुआ है। कहीं बाजार ही नहीं है और कहीं बाजार तक पहुंचने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा नहीं है। बाजार में बिचौलिये अब भी काम कर रहे हैं और उद्यमियों को उनसे निपटने के लिए पर्याप्त जागरूक नहीं बनाया जा रहा है।

इसी तरह ग्रामीण पर्यटन पर काम धीरे चल रहा है, जबकि वह वैकल्पिक और अंशकालिक रोज़गार का सबसे बड़ा ज़रिया बनकर उभर सकता है। कानून–व्यवस्था की स्थिति सुधरे, गांवों में बुनियादी ढांचा बेहतर हो और महिलाओं तथा युवाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए तो ग्रामीण संकुलों में पर्यटन के जरिए रोजगार की भरमार हो सकती है।

कुल मिलाकर सरकार ने इस बजट में प्रत्यक्ष रोजगार बेशक नहीं दिया है, लेकिन रोजगार तैयार करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए है और साधन भी दिए हैं। अब जरूरत युवाओं में उद्यमशीलता की भावना बढ़ाने की तथा परिस्थितियां अनुकूल करने की है। यदि इन दोनों मोर्चों पर काम हो जाता है और बजट में प्रस्तावित योजनाएं सुचारू ढंग से काम करती हैं तो अगले पांच वर्ष में रोजगार के मोर्चे पर क्रांतिकारी परिवर्तन दिख सकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वर्तमान में बिजनैस स्टैंडर्ड में कार्यरत हैं।)
ई–मेल : rishabhakrishna@gmail.com

Scanned by CamScanner

समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन

–मंजुला वाधवा

इस बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली और सभी बस्तियों के लिए सड़क की योजनाओं के जरिए समावेशी विकास का मजबूत खाका तैयार किया गया है। इससे ग्रामीणों के जीवन–स्तर में सुधार आएगा। इसी तरह शून्य बजट खेती और किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

आज जब भारत जीडीपी के हिसाब से दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो विकास की प्रक्रिया को लम्बे समय तक बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि विकास में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, देश के संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार से हो कि समाज के सभी तबकों को इनका लाभ मिल सके। यह तभी हो सकता है जब भारतीय समाज के कमज़ोर और उपेक्षित तबकों के आम जन, जो अब तक औपचारिक बैंकिंग के दायरे से बाहर हैं, का वित्तीय समावेशन किया जाए। यूएनडीपी की परिभाषा के अनुसार, "वित्तीय समावेशन से अभिप्राय है आर्थिक और सामाजिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें देश के हर तबके के लोग भाग लें और जिसका लाभ उन सभी को बराबर रूप में मिले। अपने देश भारत के हालात पर नज़र डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारे नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों, सभी को समावेशी विकास की अहमियत समझ आ चुकी है। तभी तो सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बचत, रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा जैसी सुविधाएं सभी वर्गों को मुहैया करवाने के प्रयोजन से विविध प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि भारत जैसे विशाल देश में यह लक्ष्य केवल सरकारी–तंत्र के प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता बल्कि निजी क्षेत्र को भी पुरज़ोर कोशिशें करने की ज़रूरत है, इसीलिए आईसीआईसीआई फाउंडेशन स्थापित किया गया है। सच पूछिए, तो अगर सरकारी और निजी क्षेत्र आपसी तालमेल से आगे बढ़ते हुए वित्तीय समावेशन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में नित्य नए कदम उठाएं तो नतीजे बेहतरीन साबित हो सकते हैं।

असलियत तो यह है कि भारत की तेज़ गति से बढ़ती जीडीपी वृद्धि दर ने 'उजले–चमकते भारत' की ओर तो ध्यान आकृष्ट किया है लेकिन इस तरक्की में गरीबी और अशिक्षा में जीवन की गाड़ी ठेलता हुआ चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इन दो चेहरों को मिलाकर एक कर देना हमारी अगली पीढ़ी के सामने विकास का सबसे

Scanned by CamScanner

महत्वपूर्ण एजेंडा होगा। भारत, जिसने पिछले 50 सालों से अपना ध्यान गरीबी हटाने के लक्ष्य पर केंद्रित किया हुआ था, ने गत कुछ वर्षों से दो सबसे अहम उद्देश्यों की ओर अपना ध्यान मोड़ा है– आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना और इसे सर्व समावेशी बनाना।

नीति में यह बदलाव क्यों?

पिछले 20 सालों के दौरान, भले ही भारत ने आर्थिक विकास की नई ऊंचाईयों को छुआ है लेकिन जिस गति से एशिया महाद्वीप की गरीबी घटी है, भारत की नहीं, जिसका सबसे बड़ा कारण है देश का एकांगी विकास। ज़्यादातर एशियाई देश संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तय निर्धनता उन्मूलन का 'मिलेनियम डेवलेपमेंट गोल' पहले ही पूरा कर चुके हैं, खासकर दक्षिण एशियाई देश, हमारे देश को छोड़कर। विश्व बैंक द्वारा तयशुदा '1+ हर रोज़' को गरीबी–रेखा का मानदंड मानते हुए 1990 से 2005 के बीच एशियाई देशों की गरीबी दर 43.5 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत हो गई परंतु भारत में आज भी लगभग 22 फीसदी लोग गरीबी–रेखा से नीचे जीवन गुज़ार रहे हैं।

क्यों आवश्यक है भारत मे वित्तीय समावेशन?

बहुत से बुद्धिजीवियों का मानना है कि दीर्घकालिक विकास एवं धन के समान व निष्पक्ष वितरण के लिए ज़रूरी है देश का सर्व–समावेशी विकास परंतु भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, जहां आज भी लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, को विकास की मुख्यधारा में लाना उतना आसान नहीं। विकास को देश के सभी भागों, दूरदराज़ के कस्बों–गांवों, गली–चौपालों तक पहुंचाना भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि आज भी लगभग 19 प्रतिशत भारतवासियों का बैंक में खाता ही नहीं खुला है। हाल ही में हुए नाबार्ड ग्रामीण विकास वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (2016–17) के आंकड़े तालिका–1 में दिए गए हैं।

वित्तीय समावेशन के अब तक के प्रयासों पर एक नज़र

हालांकि भारत में वित्तीय समावेशन लाने के प्रयास 1904 में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत से ही होने लगे थे, 1969 में देश के प्रमुख सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से इन्हें और बल मिला लेकिन इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान सही मायने में 2008 में गया जब भारतीय रिज़र्व बैंक के गर्वनर डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में 'वित्तीय समावेशन समिति' का गठन किया गया। तब से लेकर देश भर की राज्य–स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में इस मुद्दे पर नियमित रूप से चर्चा होने लगी है। देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते रिज़र्व बैंक ने इस दिशा में अनेक सार्थक प्रयास किए हैं जैसे 1972 में बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों को कर्ज़ देने के लक्ष्य तय करना, देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित देश के शीर्षस्थ विकास बैंक–नाबार्ड द्वारा 1992 में स्वयंसहायता समूह–बैंक लिंकेज योजना चलाकर समूहों को बैंकों से जोड़कर बचत, बीमा, ऋण आदि की सुविधाएं मुहैया करवाना, 2004 में संयुक्त देयता समूह योजना चलाकर समाज के कमज़ोर तबकों को आय–अर्जक गतिविधियों के लिए बिना ज़मानत के बैंकों से ऋण दिलवाना आदि।

एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार और भारतीय बैंक संघ ने 2011 में संयुक्त रूप से शहरी और देहाती भारत के बीच की खाई पाटने के उद्देश्य से 'स्वाभिमान योजना' चलाई जिसका मकसद था 2000 तक की जनसंख्या वाले सभी गांवों को 2012 तक औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाना और उसके तहत गांवों में काम कर रहे बैंकों द्वारा अब तक उपेक्षित ग्रामवासियों के बैंकों में 'नो फ्रिल्स खाते' खुलवाकर उन्हें बचत, बीमा, धन प्रेषण जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं मुहैया करवाने का बीड़ा उठाना। 2014 में हमारी वर्तमान केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री जन–धन योजना' चलाकर इसे मुहिम का रूप दिया। आज आलम यह है कि इस योजना के तहत लगभग 32 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं।

इस सच्चाई को समझते हुए कि बैंकों के बीच चल रही

तालिका–1

क्र. सं.	बैंकिंग सेवाएं (सर्वेक्षण से पहले एक साल में ली गई)	बैंकिंग सुविधाएं लेने वाले सभी परिवारों का प्रतिशत	बैंकिंग सुविधाएं लेने वाले कृषि परिवारों का प्रतिशत	बैंकिंग सुविधाएं लेने वाले गैर–कृषि परिवारों का प्रतिशत
1	संस्थागत बचत करने वाले	48.5	52.8	44.6
2	परिवारों का प्रतिशत जिन्होंने कुछ राशि का निवेश किया	10.4	8.7	9.5
3	किसी संस्था से ऋण लेने वाले परिवार	40.2	43.5	37.2
4	परिवार जिनमें से कम से कम एक सदस्य ने किसी भी प्रकार का बीमा लिया हो	25	26	25
5	परिवार जिनमें से कम से कम एक सदस्य ने किसी भी प्रकार की पेंशन ली हो	18.9	20.1	17.7
6	वे लोग जिनका वित्तीय साक्षरता का स्तर अच्छा हो	11.3	11.3	11.2

स्रोत नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016–17

Scanned by CamScanner

गलाकाट स्पर्धा, उनकी बढ़ती लागत, घटते लाभ आदि के मद्देनज़र देश के हर गली–नुक्कड़ में बैंक शाखा खोलना व्यावहारिक नहीं, रिज़र्व बैंक ने जन–जन तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के मकसद से 2006 में बैंकों को बिज़नेस कॉरसपोंडेंट तथा बिज़नेस फैसिलिटेटर नियुक्त करने की अनुमति दी। 2018 तक इनके माध्यम से दूरदराज के देहाती इलाकों में बसे आम जनों के अंदाज़न 280 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। एक और मील का पत्थर साबित हुई– प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना, जिसके तहत सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत निर्धन वर्गों, दिहाड़ी मज़दूरों, पिछड़े किसानों, दस्तकारों को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके खातों में जमा की जाने लगी है, भले ही वह एलपीजी की सब्सिडी हो, बुढ़ापा/विकलांगता पेंशन हो या मनरेगा के लाभार्थियों को मिलने वाली मज़दूरी हो। डिजिटल भारत बनाने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में कोशिशें आगे बढ़ाते हुए, रिज़र्व बैंक ने नए मॉडल के बैंक 'भुगतान बैंक' खोले। प्रयोजन साफ था छोटे किसानों, छोटे उद्योग–धंधों में लगे लोगों और प्रवासी मज़दूरों को भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाएं सूचना तकनीक के रास्ते मुहैया करवाकर सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य वित्तीय समावेशन को और गति देना। एम–बैंकिंग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इस काम में शानदार भूमिका निभा रहे हैं।

सबसे नई पहल है रिज़र्व बैंक और सरकार का मिलकर वित्तीय समावेशन के इस आंदोलन में आईटी के खिलाड़ियों जैसे फिनो, ईको, ए लिटिल वर्ल्ड, नोकिया, इन्टेग्रा आदि को जोड़ना। जग जाहिर है कि भारत जैसे विशाल देश में द्वार–द्वार पर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने का काम आईटी के ज़रिए ही तेज़ गति से हो सकता है। हर खोला गया बैंक खाता ऑनलाइन करना, उसकी ई–केवाईसी करना, आधार–समर्थित भुगतान प्रणाली को लागू करके छोटे–छोटे भुगतान तीव्र गति से करवाना, गांवों के बाशिंदों को वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनाने के लिए 'वित्तीय साक्षरता केंद्र' खोलकर बैंकिंग के डेमो देना, सभी सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सीबीएस से जोड़कर कभी भी और कहीं भी (एनीटाइम एंड एनीवेयर) बैंकिंग सुविधाएं देना आदि वाकई सराहनीय कदम हैं।

अब बात करते हैं हालिया बजट 2019–20 की जो स्पष्ट प्रमाण है इस बात का कि हमारी वर्तमान सरकार वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पाने के लिए किस कद्र गंभीर है। समूचे बजट की परिकल्पना के पीछे 'गांव, गरीब और किसान' रखे गए हैं। सच तो यह है कि हमारा नवीनतम बजट विकास और सर्व–समावेश के दो स्तंभों पर खड़ा किया गया है। अगले 5 सालों में एक लाख करोड़ का निवेश करके देश का तीव्र विकास करने की योजना है। इससे गुणक प्रभाव पड़ेगा, मांग बढ़ेगी जिससे निजी क्षेत्र इस दिशा में और धन लगाने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित होगा। किसानों की दशा सुधारने के प्रयोजन से बजट 2019–20 में प्रावधान किया गया

हाल ही में सरकार ने पहले से ज़्यादा बीमा कवर और ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ इस योजना को और आकर्षक बना दिया है। चार्ट में देखें नवीनतम स्थितिः–

ज़ीरो बैलेंस बचत खाते

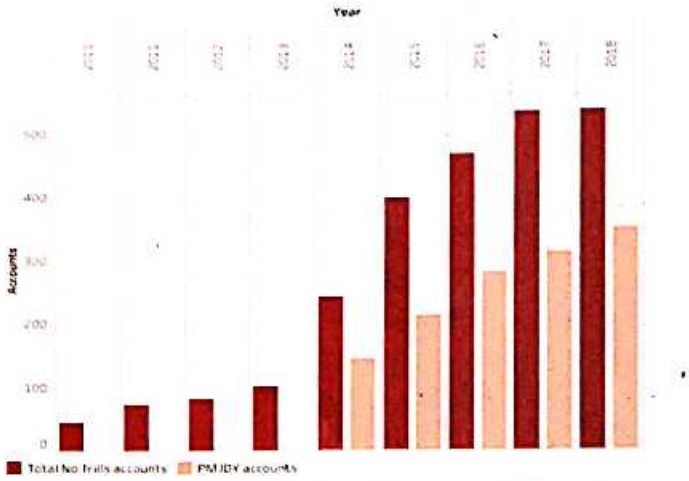

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक प्रधानमंत्री जन धन योजना वेबसाइट

है कि अगले 5 सालों में 10,000 नए 'किसान उत्पादक संगठन' बनाए जाएंगे ताकि छोटे और सीमांत किसानों को बड़े पैमाने की बचतों का लाभ मिल सके, उनकी खेती की लागत घट सके, उन्हें फसलों के लाभप्रद मूल्य मिल सकें और इस प्रकार सरकार का 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का पहले से तयशुदा लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। महिला स्वयंसहायता समूहों की योजना को तेज़ गति से चलाने के लिए जो राशि बजट में आवंटित की गई है, उससे न केवल ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, वे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बन पाएंगी बल्कि हर समूह में से एक महिला सदस्य 01 लाख रुपये तक 'मुद्रा ऋण' लेकर, अपने कामधंधों को आगे बढ़ाकर उद्यमी भी बन सकेंगी। यानी सरकार की सोच है कि वे जो अब तक रोजगार की तलाश में लगी हुई थी, रोजगार देने वाली बन सकें। इतना ही नहीं, महिला स्वयंसहायता समूहों को ऋण पर ब्याज छूट की योजना देश के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। नवीनतम बजट में 'नारी से नारायणी' नाम की योजना के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि 2019–20 का केंद्रीय बजट 'मज़बूत देश, मज़बूत नागरिक' के दर्शन को समेटते हुए अगले 5 साल में 2024–25 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

जहां तक वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के लक्ष्यों को साकार करने में अहम भूमिका निभाने वाले बैंकों का सवाल है, वे तभी अपनी भूमिका निभा पाएंगे जब खुद मज़बूती से खड़े रह पाने की स्थिति में होंगे। लिहाज़ा, इसी सोच के साथ सरकार ने नए बजट में सरकारी बैंकों को पूंजी में मदद करने के लिए

Scanned by CamScanner

70,000 करोड रुपये का आवंटन किया है जिससे बैंक पहले की तुलना में ज्यादा कर्ज दे सकेंगे। बैंक भी पुरज़ोर कोशिशें करके अपने एनपीए एक लाख करोड़ तक घटा पाने में कामयाब हो गए हैं। अब गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की बात करें तो इन्हें पहले की भांति आगे भी ऋण देने के लिए बैंकों से फंडिंग मिलती रहे, इनसे एक लाख करोड़ रुपये की उच्च साख दर वाली संपत्ति खरीद पर सरकार ने पहले छह महीने में 10 फीसदी तक के नुकसान की छह महीने की गारंटी लेने की घोषणा की है। इससे इन कंपनियों की वित्तीय तरलता संबंधी चिंताएं दूर होंगी। साथ ही, ऋण वृद्धि की दर बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इस बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान, सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली और सभी बस्तियों के लिए सड़क की योजनाओं के जरिए समावेशी विकास का मजबूत खाका तैयार किया गया है। इससे ग्रामीणों के जीवन–स्तर में सुधार आएगा। इसी तरह शून्य बजट खेती और किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सरकार ने सालाना दो करोड़ से ज्यादा की आय वालों पर जो उपकर बढ़ाया है, उसे अमीर और गरीब के बीच की खाई कम करने के प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही जनधन–आधार–मोबाइल को आपस में जोड़ना एक बड़ी डिजिटल पहल है। इसके जरिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित करने में मदद मिल रही है। इससे देश में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगा है। यह डिजिटल पहल स्वच्छ भारत और वित्तीय समावेशन का कारगर उपकरण साबित हो रही है।

यह समझना भी जरूरी है कि केवल अच्छा बजट बनाने, उसमें ज्यादा आवंटन करने का फायदा तभी मिल सकता है जब वित्तीय समावेशन की राह के रोड़ों को हटाने की ईमानदार कोशिशें तहेदिल से की जाएं। आज 80 प्रतिशत से ज्यादा भारतीयों के बैंक खाते खुल चुके हैं किंतु उनमें से ज्यादातर निष्क्रिय हैं, उनमें कोई शेष राशि नहीं। खाताधारकों में से भले ही महिलाओं की संख्या अधिक है परंतु खातों को ऑपरेट करने, बीमा और लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। भले ही मोबाइल बैंकिंग कितनी काम की सुविधा है, हमारी व्यस्क महिला जनसंख्या में से आधी के पास मोबाइल फोन ही नहीं है। मौजूदा भुगतान गेटवे बहुत खर्चीले हैं, कार्यकुशल बिज़नेस कॉरस्पोंडेंट्स और फैसिलिटेटर्स की कमी अगली बड़ी चुनौती है। काम के बदले मिलने वाली फीस पर मिलने वाले कम प्रतिफल के कारण वे हतोत्साहित होने लगे हैं। एसएचजी/जेएलजी योजनाओं को टिकाऊ बनाने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना है।

अंत में, समस्याएं हैं तो उनके कारगर समाधान भी सभी हितधारकों को मिलकर खोजने होंगे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बजट भारत में वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पाने के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को अगले एक साल में तीन खरब डालर और पांच साल में पांच खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कारगर कदम है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजकोषीय स्थिति को नियंत्रण में रखने, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश बढ़ाने, बैंकिंग, एनबीएफसी व आवास क्षेत्र की अड़चनों को दूर करने और अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने जैसे बड़े मुद्दों पर विशेष जोर देना होगा। जरूरत है लीक से हटकर सोचने और चलने की, सभी हितधारकों द्वारा आपसी तालमेल से ईमानदार कोशिशें करने की। यदि सरकार इस मोर्चे पर सफल रहती है तो भारत मोदी 2.0 सरकार के कार्यकाल में वैश्विक पटल पर महाशक्ति के रूप में उभर सकता है।

(लेखिका नाबार्ड में सहायक महाप्रबंधक हैं।)
ई–मेल : manjula.jaipur@gmail.com

Scanned by CamScanner

बजट में महिला एवं बाल विकास संबंधी पहलू

–डॉ. संतोष जैन पासी, आकांक्षा जैन

कई दशकों से भारत में कुपोषण एक अहम् मुद्दा रहा है। केंद्रीय बजट 2019–20 देश की गरीब जनसंख्या, दलित वर्गों, किसानों, युवा पीढ़ियों एवं महिलाओं को समर्पित है। अतः यह बजट समाज के समस्त वर्ग समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रस्तावित बजट का ज़ोर भारतीय अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास पर केंद्रित है। इस लेख में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी पहलुओं पर चर्चा की गई है।

वर्तमान बजट में ग्रामीण विकास हेतु कई पहल प्रस्तावित की गई हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने में सहायक साबित होंगी। इसी प्रकार शहरी विकास को भी बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है। उम्मीद है कि यह बजट आने वाले समय में आगामी नीतियों एवं सुधारों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

हाल ही के कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक निवेशक–अनुकूल बनाने, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और विकासशील उद्योगों की प्रासंगिक प्रतिभाओं को बढ़ाने के उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए उत्साहजनक कार्य किए जा रहे हैं जोकि कृषि–ग्रामीण उद्यमिता का समर्थन करने वाली योजनाओं के साथ–साथ कृषि–ग्रामीण युग्म पारिस्थितिकी–तंत्र को उन्नत करने में मदद करेंगे। हाल ही में घोषित आयकर में दी जाने वाली छूट का डिस्पोजेबल आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है जो सीधे तौर पर आम आदमी के किराने व खाद्य पर किए जाने वाले व्यय की क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। शोध कार्य दर्शाते हैं कि ऐसी विकासशील अर्थव्यवस्था में डिस्पोजेबल आय अधिक होने पर बेहतर पौष्टिक गुणवत्ता व प्रोटीनयुक्त भोज्य पदार्थों की खपत अधिक हो जाती है। माना जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में लाए जाने वाले ऐसे सकारात्मक बदलावों के फलस्वरूप गरीब एवं मध्यम–वर्गों के परिवारों को पौष्टिकतापूर्ण दैनिक आहार उपलब्ध हो पाएगा जो पोषक तत्वों की कमी दूर करने के साथ–साथ स्वस्थ भारत के निर्माण में भी सक्षम सिद्ध होगा। इस प्रकार के तथ्य सरकार द्वारा बजट में

Scanned by CamScanner

खाद्य सुरक्षा पर बढ़ाए गए आवंटन का दृढ़ता से समर्थन करते हैं।

वर्तमान में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में छठे नंबर पर है जबकि 5 साल पहले इसका 11वां स्थान था। उम्मीद की जाती है कि मौजूदा वर्ष में यह 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को छू लेगी। वर्ष 2014 में 1.85 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की यह अर्थव्यवस्था, गत पांच वर्षों के अंतराल में 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में (लगभग 2024 तक) यह 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। तीव्र गति से बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। आंकड़ों के अनुसार पांच साल पहले की तुलना में, खाद्य सुरक्षा पर प्रति वर्ष किए जाने वाले खर्च की औसत राशि वर्ष 2014–19 के दौरान लगभग दो गुना हो गई है।

वर्ष 2019–20 के लिए वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया न्यू इंडिया का यह बजट दस वर्षीय दृष्टिकोण के साथ–साथ देश में कृषि क्षेत्र में बदलाव हेतु उचित रोडमैप को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। मूल रूप से देखा जाए तो स्वास्थ्य–संबंधी बजट आशाजनक लगता है चूंकि इसमें काफी बढ़ोत्तरी की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कुल आवंटन में लगभग 16 प्रतिशत की व्यापक वृद्धि हुई है, जिसे स्वास्थ्य–संबंधी सेवाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) के अनुसार 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का कम से कम 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करने का उद्देश्य है जिसके लिए बजट में उचित प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2019–20 में, इस मंत्रालय का कुल बजट 62,659.12 करोड़ रुपये है (हांलांकि अंतरिम बजट से ज़्यादा भिन्न नहीं), जबकि पिछले साल यह 52,800 रुपये था।

सरकार की स्वास्थ्य संबंधी कार्यनीति के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.जे.ए.वाई.) की तरफ अधिक रुझान है जो मूल रूप से अस्पताल में भर्ती होने पर बीमा कवर प्रदान करती है। इस बजट के अंतर्गत, पी.एम.जे.ए.वाई. के लिए 6,400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जबकि गत वर्ष में 2,400 करोड़ रुपये था। आयुष्मान भारत पैकेज के एक अहम् हिस्से– स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एच.डब्ल्यू.सी.) के लिए वर्तमान बजट के अंतर्गत, 2018–19 के संशोधित बजट की तुलना में लगभग 350 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है (वर्ष 2018–19: 999.96 करोड़ रुपये; वर्ष 2019–20:1,349.97 करोड़ रुपये)। हांलांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 4 फरवरी, 2019 तक केवल 8,030 केंद्र ही कार्यात्मक अवस्था में थे, आयुष्मान भारत के तहत, इस तरह के 1,50,000 केंद्र स्थापित करने की योजना है। प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की पहुंच में सुधार लाने के लिए ये स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र मुख्य भूमिका अदा करते हैं।

महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी योजनाओं हेतु उचित आवंटन एक अहम मुद्दा है क्योंकि हम सबकी पोषण–स्थिति हमारे स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य–संबंधी परिणामों को विशेष तौर पर प्रभावित करती हैं। आई.सी.डी.एस. और इससे जुड़ी हुई सेवाओं के लिए, जबकि वर्ष 2018–19 में 23,356.50 करोड़ रुपये आवंटित थे, वर्तमान बजट (2019–20) में इस राशि को बढ़ाकर 27,584.37 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस वृद्धि में से अधिकांश भाग आंगनवाड़ी सेवाओं (लगभग 19,834.37 करोड़ रुपये) तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन (3,400 करोड़ रुपये) के लिए आवंटित है। आई.सी.डी.एस. के तहत, दो अम्ब्रेला योजनाएं – प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई) और राष्ट्रीय क्रेच योजना, महिलाओं व श्रमिकों के अधिकारों के साथ–साथ बच्चों की देखभाल और पोषण–स्तर में सुधार लाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। पी.एम.एम.वी.वाई के लिए वर्ष 2018–19 का संशोधित बजट मात्र 1,200 करोड़ रुपये था जबकि वर्ष 2019–20 में इसे बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय क्रेच योजना का बजट 128.39 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अतः बजट में किए जाने वाले इस बदलाव को मद्देनज़र रखते हुए यह आवश्यक है कि संवेदनशील जनसंख्या जैसेकि अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं और छोटे बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जाए। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी, उद्यमशीलता और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है जिसके अंतर्गत कई और महिला स्वयंसहायता समूह (एस.एच.जी.) स्थापित किए जाने के साथ–साथ एस.एच.जी. संबंधी कार्यक्रमों का देशभर में विस्तार भी किया जाएगा।

स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को

Scanned by CamScanner

मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा देने का मुख्य ज़रिया है। इस पर होने वाले कुल परिव्यय में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जबकि पिछले वर्ष के बजट में 30,683 करोड़ रुपये थे, इस बजट में इरा राशि को बढ़ाकर 32,995 करोड़ रुपये कर दिया गया है। स्वास्थ्य– सेवा हेतु 'आयुष्मान भारत' एक महत्वपूर्ण पहल है जिसकी पहुंच और विस्तार के दायरे पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही, सरकार इस स्वास्थ्य संबंधी सेवा को लंबे अंतराल तक प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आज़ादी के सात दशकों के उपरांत, अभी भी भारत विकासात्मक दौर से गुजर रहा है और आज भी हमारे देश की गिनती विकासशील राष्ट्रों में की जाती है। तकरीबन 135 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाले हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यही नहीं, अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1.19 प्रतिशत की वृद्धि दर के चलते, 2030 के अंत तक, भारत की जनसंख्या 153 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। अतः हमारे देश के नागरिकों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना और भी मुश्किल हो जाएगा।

वर्ष 2013 में, खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) ने सामाजिक पहलू को शामिल करते हुए खाद्य सुरक्षा को कुछ इस तरह परिभाषित किया है "खाद्य सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जब सभी लोग, हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए भौतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पहुंच रखते हैं तथा एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपनी आहार संबंधी जरूरतों और भोजन वरीयताओं को पूरा कर सकते हैं।"

दूसरी ओर, "पोषण सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वस्थ और सक्रिय जीवन सुनिश्चित करने हेतु उचित पौष्टिक आहार के साथ–साथ एक साफ़–सुथरा एवं सुरक्षित वातावरण तथा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं व देखभाल की सुरक्षित पहुंच हो।" अतः पोषण सुरक्षा खाद्य सुरक्षा से कहीं अधिक व्यापक होती है, क्योंकि पोषण सुरक्षा आहार पर्याप्तता के अलावा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्याप्त देखभाल संबंधी रीतियों/प्रथाओं को भी शामिल करती है।

हालांकि, अभी तक हम खाद्य सुरक्षा पर ही ध्यान देते रहे हैं अपितु हमें चाहिए कि खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ पोषण सुरक्षा यानी कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें।

खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं जिनका दुष्चक्र बीमारियों से जुड़ा है और अपर्याप्त भोजन के चलते संक्रामक रोगों की भेद्यता कई गुना बढ़ जाती है। हम बहुत अरसे से जानते हैं कि कुपोषण आर्थिक विकास कम करने व गरीबी को बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र की समिति एवं पोषण उप–समिति के अनुसार, कम से कम 50 प्रतिशत बीमारियों की वजह कुपोषण है और साथ ही विश्व में एक प्रतिशत से भी ज़्यादा आर्थिक विकास की गिरावट की वजह भी कुपोषण ही है। अतः अल्प–पोषण और कुपोषण देशवासियों व विभिन्न राष्ट्रों के आर्थिक/सामाजिक विकास पर होने वाले गंभीर दुष्परिणामों का कारण है। भारत जैसे देश के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां एक तिहाई से अधिक जनसंख्या गरीबी से त्रस्त है और लगभग 50 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी रूप में कुपोषण से पीड़ित हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय पोषण नीति (1993), राष्ट्रीय पोषण योजना (1995), राष्ट्रीय पोषण मिशन (2001) और वर्तमान में पोषन अभियान (2018) सहित कई नीतियां और कार्यक्रम तैयार/कार्यान्वित किए गए हैं, लेकिन हम अभी भी पोषण और स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने से कहीं दूर हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे "भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है।" इस साल हमारा देश गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। अतः भारत सरकार ने अंत्योदय को सभी योजनाओं में प्राथमिकता देते हुए गांवों, किसानों व गरीबों के विकास का सर्वोपरि लक्ष्य निर्धारित किया है।

केंद्रीय बजट 2019–20 में खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने का विशेष प्रावधान है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत चावल के फोर्टिफिकेशन व वितरण पर केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वर्ष 2019–20 में 42.65 करोड़ रुपये आवंटित हैं जो पी.डी.एस. विभाग के लिए कुल आवंटित 192,240.39 करोड़ रुपये का ही एक मुख्य भाग है। वर्ष 2018–19 की तुलना में, नए बजट में (2019–20) पी.डी.एस. के लिए कुल आवंटित राशि में 1,74,159.10 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।

फूड फोर्टिफिकेशन भोज्य पदार्थों में विटामिन और खनिज लवणों जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाने की एक सकारात्मक विधि है जो पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए भारत व कई दूसरे देशों में व्यावहारिक तौर पर अपनाई गई है।

Scanned by CamScanner

भारत की राष्ट्रीय पोषण कार्यनीति (2017) ने अनीमिया, विटामिन ए और आयोडीन की कमियों को दूर करने के लिए पूरक आहार (फूड सप्लिमेंटेशन) तथा आहार विविधीकरण (डाइटरी डायवर्सिफिकेशन) के साथ–साथ फूड फोर्टिफिकेशन को भी सूचीबद्ध किया है।

फूड फोर्टिफिकेशन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास, मानव संसाधन विकास, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों ने अपनी कई योजनाओं में फोर्टिफाइड गेहूं का आटा, चावल, तेल और डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण अनिवार्य कर दिया है। ऐसी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं– समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस), मिड–डे मील (एम.डी.एम.) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी.एस.)।

इन योजनाओं के तहत एम.डी.एम. के माध्यम से 11.8 करोड़ बच्चों, आई.सी.डी.एस. के माध्यम से 10.3 करोड़ बच्चों, किशोरों व महिलाओं और पी.डी.एस. के माध्यम से 81.34 करोड़ लोगों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। आई.सी.डी.एस और एम.डी. एम.में दिसंबर 2019 तक तथा पी.डी.एस. में जनवरी 2020 तक फोर्टिफाइड गेहूं, चावल, तेल और नमक का उपयोग/वितरण को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2015 में, सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी. यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) निर्धारित किए जो कि विश्व नेताओं द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। इन 17 मुख्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 169 उप–लक्ष्य हैं जिनके अंतर्गत होने वाली प्रगति को 232 संकेतकों द्वारा मापा जा सकता है। विश्व भर में एस.डी.जी. का शुभारंभ 1 जनवरी, 2016 को किया गया।

अगले पंद्रह वर्षों में यह लक्ष्य सभी सरकारों को व्यापक, एकीकृत और सार्वभौमिक परिवर्तनों के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, जिसमें 2030 तक भुखमरी और कुपोषण को समाप्त करना भी शामिल है। सभी देश गरीबी को विभिन्न रूपों से समाप्त करने, असमानताओं से लड़ने और जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) से निजात पाने के लिए प्रयास करेंगे और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी देश, क्षेत्र, वर्ग या समूह पीछे न छूट जाए।

एस.डी.जी–2 (भुखमरी समाप्त करना) और एस.डी.जी–3 (स्वस्थ–जीवन सुनिश्चित करना और सभी आयु वर्गों के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना; पोषण और स्वास्थ्य से सीधे तौर पर संबंधित हैं। साथ ही, अन्य कई एस.डी.जी. लक्ष्य पोषण और स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों जैसे भोजन, पानी, स्वच्छता, आवास और यौन/प्रजनन अधिकारों आदि को संबोधित करते हैं। सतत विकास लक्ष्यों में से कई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इष्टतम पोषण अति–आवश्यक है; और कई एस.डी.जी. लक्ष्य पोषण सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। सफल रूप से पोषण सुरक्षा पाने के लिए, एक बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण अनिवार्य है। एस.डी.जी. लक्ष्य–2 और एस.डी.जी.–3 के तहत स्वास्थ्य और पोषण संबंधी उप–लक्ष्यों के अलावा अन्य कई लक्ष्यों के संकेतक भी सीधे तौर पर स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं जिन्हें अक्सर एस.डी.जी.–6 (स्वच्छता और पानी प्रबंधन) के तहत डब्ल्यू.ए.एस.एच. (वॉश) के रूप में जाना जाता है।

एस.डी.जी.–5 (लिंग–वर्गों में समानता), एस.डी.जी.–10 (असमानताएं कम करना) और एस.डी.जी.–16 (शांतिपूर्ण व समावेशी समाज) के कुछ संकेतक भी काफी हद तक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सभी एस.डी.जी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए समस्त जनता का उचित पोषण अति आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र के आठवें महासचिव बान–की–मून के अनुसार उचित शिक्षा एवं रोजगार तथा महिला सशक्तिकरण के साथ–साथ गरीबी आदि को दूर करने जैसे लक्ष्यों को पाने के लिए उत्तम पोषण व अच्छे स्वास्थ्य का आधार तो होना ही चाहिए परंतु साथ ही यह एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर समाज की नींव रखने में भी सक्षम हैं।

विभिन्न एस.डी.जी. संबंधी लक्ष्यों को पाने के लिए महिला सशक्तीकरण में निवेश करना अति आवश्यक है जो खासतौर पर गरीबी कम करने और सतत आर्थिक विकास भी मुख्य भूमिका अदा करता है।

भारत ने प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक समानता हासिल कर ली है; अब हमारा देश और सभी शैक्षिक स्तरों पर समानता हासिल करने की ओर भी अग्रसर है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा – जो एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता है, के

Scanned by CamScanner

अंतर्गत 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' महिलाओं के लिए सही रोजगार मुहैया करवाने की ओर आवश्यक कदम, किशोरी सशक्तिकरण के लिए उचित कार्यक्रम, 'सुकन्या समृद्धि योजना एवं जननी सुरक्षा योजना' के साथ–साथ लैंगिक समानता के लिए भारत सरकार न केवल समर्थन करती है अपितु अपनी प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। वर्ष 2030 तक, स्वास्थ्य प्रणालियों में उचित प्रकार से किए गए निवेश से लगभग 9.7 करोड़ समय–से–पूर्व होने वाली मौतों को रोका जा सकता है।

सरकार को महिला और बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे मंत्रालयों के अभिसरण पर और ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए।

पाश्विक स्रोतों से पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की तुलना में वानस्पतिक खाद्य–पदार्थों पर निर्भरता खाद्य सुरक्षा को काफी हद तक सुधारने में मदद कर सकती है। साथ ही, शाकाहारी आहार स्वास्थ्यवर्धक होता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है जैसे अधिक वजन/मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर।

हमारी विभिन्न नीतियों (विशेष रूप से कृषि नीति) और खाद्य–संबंधी कार्यक्रमों में पोषण को महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाना चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त, यह भी आवश्यक है कि उत्पाद का ठीक से रखरखाव, ट्रांसपोर्ट एवं संग्रहण किया जाए, ताकि कटने के बाद फसल का कम से कम नुकसान हो। भोजन का उचित संग्रहण, प्रसंस्करण व संरक्षण, विशेष रूप से जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियों और फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ–साथ उनके लाने–ले जाने और भंडारण में भी सुविधा प्रदान करते हैं। घरेलू–स्तर पर खाद्य व पोषण सुरक्षा पाने में, पारिवारिक आहार एवं स्वास्थ्य–संबंधी प्रथाएं और उचित आंतरिक–पारिवारिक खाद्य वितरण, विशेषकर घर के संवेदनशील सदस्यों (जैसे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं व बजुर्ग) का पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थायी–सतत समाधान अपनाने से घरेलू एवं राष्ट्र के साथ–साथ वैश्विक–स्तर पर भी खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार लाए जा सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

दैनिक व मूलभूत आधार पर प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार द्वारा छोटा–छोटा–सा कदम समग्र रूप से जनता, राष्ट्र और विश्व के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने की ओर एक लंबा तथा सक्षम रास्ता सिद्ध हो सकता है।

(डॉ संतोष जैन पासी सार्वजनिक स्वास्थ्य–पोषण विशेषज्ञ एवं पूर्व निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय हैं; आकांक्षा जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर (खाद्य एवं पोषण), भगिनी निवेदिता कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं पीएच.डी. स्कॉलर, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश हैं।)

ई–मेल : sjpassi@gmail.com

Scanned by CamScanner

'स्वच्छ भारत' से 'सुंदर भारत' की ओर

–डॉ. उत्सव कुमार सिंह

मौजूदा वित्तवर्ष के बजट में भारत को 2024–25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। यह स्वस्थ भारत के रास्ते सुंदर भारत के निर्माण का परिमाणात्मक लक्ष्य है जिसकी जड़ें स्वच्छ भारत में भी हैं। सरकार अपने कार्यक्रमों को जनता की ताकत बनाने और उन्हें व्यापक जन–आंदोलन में तब्दील करने के लिए नई रणनीतिक ऊर्जा के साथ काम कर रही है।

मौजूदा वित्तवर्ष के बजट में भारत को 2024–25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। यह स्वस्थ भारत के रास्ते सुंदर भारत के निर्माण का परिमाणात्मक लक्ष्य है जिसकी जड़ें स्वच्छ भारत में भी हैं। भारत संवहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर दस्तखत करने वाले देशों में शामिल है। भारत सरकार ने अपने कामकाज और इरादों में इन लक्ष्यों को हासिल करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। उसके प्रमुख कार्यक्रमों में एसडीजी 6 पर खास ध्यान दिया गया है। एसडीजी 6 में साफ पानी, सबके लिए पर्याप्त और न्यायपूर्ण स्वच्छता और साफ–सफाई तथा खुले में शौच से मुक्ति की बात कही गई है।

संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद् ने स्वच्छता और साफ–सफाई के लिए जनता को जागरूक करने के मकसद से मीडिया अभियान चलाने में भारत की भूमिका की खासतौर से सराहना की है (सं.रा, 8 मई, 2019)। भारत समेत दक्षिण एशिया की तीन–चौथाई आबादी खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो चुकी है। वर्ष 2008 से 2017 के बीच विश्व भर में 2.1 अरब लोगों को प्रबंधित स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच मिली जिनमें से 48.6 करोड़ भारत में हैं।

केंद्र सरकार ने देश को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से स्वच्छता सुविधाओं में सुधार और दूषित पानी से होने वाले रोगों के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए युद्ध–स्तर पर बहुविध और बहुआयामी कदम उठाए हैं।

स्वच्छता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांधीजी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार रूप देने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की शुरुआत की। इसका लक्ष्य 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। एसबीएम जैसी योजनाओं की सफलता ढांचागत

Scanned by CamScanner

सुविधाओं की उपलब्धता के अलावा व्यक्तियों की आदतों में बदलाव तथा शौचालय के इस्तेमाल और साफ–सफाई के तौर–तरीके में परिवर्तन पर भी निर्भर करती हैं। एसबीएम के प्रतीक में 'गांधीजी का चश्मा' और 'एक कदम स्वच्छता की ओर' का नारा शामिल है। यह इस मिशन की जन–आंदोलन की भावना को प्रदर्शित करता है। एसबीएम विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम है। इसके दो भाग स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हैं। इन दोनों के जरिए 2 अक्तूबर, 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने की मुहिम चलाई जा रही है।

स्वच्छ भारत मिशन

एसबीएम स्वच्छता और साफ–सफाई को बढ़ावा देकर तथा खुले में शौच को खत्म करते हुए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहुआयामी नज़रिया अपनाता है; लगातार इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह मल का सुरक्षित संग्रह और निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौजूदा शौचालयों के उन्नयन का विकल्प भी देता है। एसबीएम निचले स्तर पर व्यवहार में बदलाव और क्रियान्वयन एजेंसियों की क्षमता को मजबूत करने के लिए जिलों की संस्थागत क्षमता निर्माण को मजबूत करता है ताकि कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से चलाया जा सके और सामूहिक परिणाम को मापना संभव हो। यह समुदायों में व्यवहार के बदलाव के लिए गतिविधियां चलाने के मकसद से राज्य–स्तरीय संस्थानों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करता है। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहन देने तथा निजी संगठनों, व्यक्तियों और दाताओं से योगदान स्वीकार करने के लिए एसबीएम के तहत स्वच्छ भारत कोष बनाया गया है। इस कार्यक्रम के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया जरूरी है जिससे देश के हरेक ग्रामीण परिवार के लिए शौचालय की उपलब्धता पर नज़र रखने की सहूलियत मिलती है। एसबीएम शौचालयों में से लगभग 90 प्रतिशत को जियो टैग मिल चुका है।

शौचालय के इस्तेमाल से संबंधित आदतों में बदलाव लाने के लिए एसबीएम के तहत पांच लाख से ज्यादा स्वच्छाग्रहियों को नियुक्त किया गया। इन व्यक्तियों को 'सत्याग्रही' से मिलता–जुलता नाम 'स्वच्छाग्रही' दिया गया ताकि गांधीजी के संदेश को सुदृढ़ किया जा सके। हर गांव में कम–से–कम एक स्थानीय व्यक्ति को 'स्वच्छाग्रही' बनाया गया है। ये बदलाव लाने के लिए स्वच्छाग्रही गांव के अंदर अपने सामाजिक संबंधों का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। लोग अपनी पहचान के व्यक्तियों को सुनना और अनुकरण करना ज्यादा पसंद करते हैं। लिहाजा बदलाव के स्थानीय दूत जनसंचार माध्यमों के जरिए चलाए जाने वाले अभियानों की तुलना में ज्यादा प्रभावी हैं। कई 'स्वच्छाग्रही' ग्रामीणों को बताते हैं कि खुले में शौच करना मल को खाने के समान है। आखिर खुले में पड़े मल पर बैठने के बाद मक्खियां भोजन के ऊपर भी तो बैठती हैं।

खुले में शौच बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। इससे हमारे देश की महिलाओं को सामाजिक संताप और शारीरिक बीमारियों के खतरे का सामना करना पड़ता है। ओडीएफ से खुले में शौच से फैलने वाले रोगों से मुक्ति मिलेगी। ओडीएफ के दो मुख्य घटक हैं। पहला, मलमुक्त वातावरण और दूसरा, मल निस्तारण के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकीय विकल्पों का

Scanned by CamScanner

चित्र–1 : बनाए गए घरेलू शौचालयों और ओडीएफ गांवों की संख्या (2015–19)

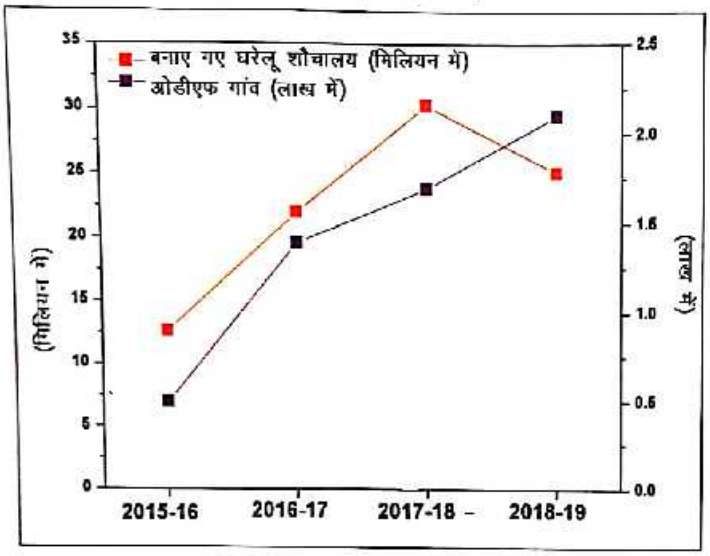

इस्तेमाल। वर्ष 2015 से ओडीएफ गांवों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चित्र–1)।

2018–19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 29 मई, 2019 तक 5,61,014 (93.41 प्रतिशत) गांव, 2,48,847 (96.20 प्रतिशत) ग्राम पंचायत, 6091 (88.60 प्रतिशत) प्रखंड और 618 (88.41 प्रतिशत) जिले ओडीएफ घोषित किए जा चुके थे। गोवा (5.8 प्रतिशत), ओडिशा (45.4 प्रतिशत), तेलंगाना (74 प्रतिशत) और बिहार (83 प्रतिशत) को छोड़ ज्यादातर राज्यों ने शत–प्रतिशत ओडीएफ स्तर हासिल कर लिया है। पश्चिम बंगाल (99.6 प्रतिशत) और सिक्किम (97.1 प्रतिशत) अच्छा प्रदर्शन करते हुए शत–प्रतिशत ओडीएफ बनने के नजदीक पहुंच गए हैं।

एसबीएम में ठोस कचरा प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने खासतौर से गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) में प्रौद्योगिकी के तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत को महसूस किया है। राज्य सरकारों ने कचरे के वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण की जरूरत को समझते हुए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें कचरा संग्रह केंद्र बनाना, माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन गतिविधियां, बायोगैस संयंत्र लगाना, कम्पोस्ट पिट का निर्माण, कूड़ेदान स्थापित करना, कचरे के संग्रह, पृथकीकरण और निस्तारण की प्रणाली, नालियों, जोंक पिट, सोक पिट और तालाबों का निर्माण शामिल है।

वित्तीय प्रावधान

एसबीएम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य लाभार्थियों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की सहायता दी जाती है जिसमें जल भंडारण की व्यवस्था भी शामिल है। इस सहायता में केंद्र का 60 प्रतिशत और राज्य का 40 प्रतिशत हिस्सा होता है। पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू–कश्मीर और विशेष दर्जे वाले प्रांतों में केंद्र का 90 प्रतिशत और राज्य का 10 प्रतिशत हिस्सा होता है। अन्य स्रोतों से अतिरिक्त योगदान की इजाज़त भी दी जाती है। एसबीएम के लिए 2014–19 में 51,314.3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिनमें से 48,909.2 करोड़ रुपये (95.3 प्रतिशत रकम) जारी किए जा चुके हैं। इसके लिए बजट के अतिरिक्त 15000 करोड़ रुपये के संसाधनों का प्रावधान भी किया गया था जिनमें 8,698.20 करोड़ रुपये लिए जा चुके हैं। एसबीएम की शुरुआत से अब तक देशभर में लगभग 9.5 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं। शुरुआत में शौचालय निर्माण की रफ्तार प्रति वर्ष 50 लाख घर से कुछ कम थी जो अब तीन करोड़ तक पहुंच चुकी है। एसबीएम ओडीएफ गांवों को केंद्र में रख कर काम करता है।

इन कोशिशों को राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण राउंड चार (एनएफएचएस 4) के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान सर्वे में प्रदर्शित किया गया है। सर्वे में 14 क्षेत्रीय एजेंसियों ने भारत में स्वच्छता की सुविधाओं के बारे में 6,01,509 घरों, 6,99,686 महिलाओं और 1,12,122 पुरुषों से सूचनाएं एकत्र कीं (तालिका–1)। अध्ययन में एनएफएचएस–3 और एनएफएचएस–4 के बीच के समय में स्वच्छता में सकारात्मक रुख देखने को मिला। इस दौरान पेयजल स्रोतों में 2.3 प्रतिशत, स्वच्छता सुविधाओं में 29.3 प्रतिशत और स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल में 18.3 प्रतिशत का सुधार हुआ।

स्वच्छ हवा

स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ हवा महत्वपूर्ण है। मौजूदा समय में वायु प्रदूषण के कारण बच्चों का जीवन दक्षिण एशिया में 30 माह और विश्व–स्तर पर 20 माह घट जाता है (हेल्थ एफेक्ट इंस्टीट्यूट, 2019)। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का बढ़ता बोझ नीति निर्माताओं के सामने बड़ी चुनौतियों में से एक है। वायु प्रदूषण का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और इंसानों की सलामती पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

तालिका–1 : भारत में स्वच्छता सुविधाओं की स्थिति

प्रमुख संकेतक	एनएफएचएस 4 (2015–16)			एनएफएचएस 3 (2005–06)
	शहरी	ग्रामीण	कुल	कुल
उन्नत पेयजल स्रोत वाले घर	91.1	89.3	89.9	87.6
उन्नत स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने वाले घर	70.3	36.7	48.4	29.1
भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन इस्तेमाल करने वाले घर	80.6	24.0	43.8	25.5

स्रोत : एनएफएचएस 4

Scanned by CamScanner

एसडीजी–7 में सबके लिए किफायती, भरोसेमंद और संवहनीय ऊर्जा की उपलब्धता पर जोर दिया गया है। इसमें घरेलू वायु–प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को स्वीकार किया गया है। परंपरागत ठोस ईंधन खराब ज्वलन क्षमता के कारण एरोसोल और धूलकण का उत्सर्जन करते हैं। इस उत्सर्जन का स्वास्थ्य, जलवायु और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों में सामान्य तौर पर गरीबी और विशेषकर स्वच्छ और धुआंरहित विकल्पों की अनुपलब्धता के कारण ठोस ईंधन का इस्तेमाल आम है। लेकिन समय गुजरने के साथ ही खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन पर निर्भरता लगातार घट रही है। फिर भी कम विकसित देशों में घरेलू प्रदूषण सबसे ज्यादा है। भारत में 2007 में लगभग 8.6 करोड़ लोग (आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा) घरेलू वायु प्रदूषण से प्रभावित थे। घरेलू वायु प्रदूषण से मौतों के क्षेत्रीय रुझान जनसंख्या के आकार और ठोस ईंधन का इस्तेमाल करने वाली प्रत्येक आबादी के अनुपात को प्रतिबिंबित करते हैं। घरेलू वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा 4,82,000 मौतें भारत में और दूसरे स्थान पर 2,71,000 मौतें चीन में होती हैं।

खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन पर निर्भरता के कई आयाम हैं। आर्थिक प्रगति और शहरीकरण से लोगों की स्वच्छ ईंधन तक पहुंच बनती है। ठोस ईंधन पर निर्भरता घटाने में सरकार की पहलकदमी महत्वपूर्ण है। भारत ने खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन के बजाय तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के इस्तेमाल की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की थी जिसने स्वच्छ और धुआंरहित ईंधन एलपीजी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सलामती के लिए चलाई गई पीएमयूवाई में हाशिये पर खड़े और वंचित तबकों की ओर खास ध्यान दिया गया है।

भारत में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करने वालों के अनुपात में इज़ाफा हुआ है। एलपीजी कनेक्शनों का कवरेज 2004 में 55 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 90 प्रतिशत हो गया है। पीएमयूवाई के तहत अप्रैल, 2019 तक लगभग सात करोड़ एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए गए थे।

एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए लाभ के सीधे हस्तांतरण की योजना 'पहल' 15 नवंबर, 2014 को देश के 54 जिलों से शुरू की गई। इसका मकसद सब्सिडी के दुरुपयोग को घटाते हुए इसे तार्किक बनाना है। इस योजना में 5 मार्च, 2019 तक 24.39 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता शामिल हो चुके थे। 'पहल' योजना में शामिल होने वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर गैर–रियायती मूल्य पर मिलता है।

जैम (जनधन–आधार–मोबाइल) मॉडल को अपनाते हुए एलपीजी सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जमा करा दी जाती है। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स ने 'पहल' को विश्व की सबसे बड़ी लाभ के सीधे हस्तांतरण की योजना के रूप में मान्यता दी है। (आर्थिक सर्वेक्षण, 2018–19)

स्वच्छ जल

मानव के विकास के लिए पेयजल की सुरक्षित, स्वच्छ और सुनिश्चित आपूर्ति जरूरी है। इक्कीसवीं सदी के इस मुश्किल समय में हम जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के अलावा मीठे जल के स्रोतों के सिकुड़ने के संकट से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में स्वच्छ पेयजल को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बुनियादी मानवाधिकार तथा सम्मानजनक जीवन के अधिकार में शामिल

Scanned by CamScanner

करना अप्रासंगिक नहीं होगा। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता में सुधार करना स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होगा। इसलिए इस दिशा में हर मुमकिन कदम उठाए जाने चाहिए। सिर्फ पीने ही नहीं बल्कि खाना पकाने और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए भी सुरक्षित पेयजल की जरूरत होती है (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2017)।

नीति आयोग ने एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक विकसित किया है। इसके अनुसार भारत में 70 प्रतिशत पानी प्रदूषित है। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान 122 देशों के बीच 120वां है। लगभग 60 करोड़ भारतीयों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने स्वच्छ पानी की जरूरत को महसूस किया है। उसने जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर तक पाइप के जरिए पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अगर स्वास्थ्य पर गहरा असर डालने वाले रसायन पेयजल में व्यापक तौर पर मौजूद हों और उनकी मौजूदगी का पता नहीं चले तो गंभीर समस्या या संकट पैदा हो सकता है। लंबे समय तक इन रसायनों के संपर्क में रहने से स्वास्थ्य दीर्घकालिक तौर पर प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश और भारत के भूजल में आर्सेनिक की मौजूदगी का मामला कुछ ऐसा ही है। गंगा–ब्रह्मपुत्र घाटी में आर्सेनिक प्रदूषण एक गंभीर खतरा है। भारत के सात राज्यों– पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ (राजनंदगांव) के भूजल में आर्सेनिक का प्रदूषण 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर के स्वीकार्य–स्तर से ज़्यादा है। इन राज्यों में लोग लंबे समय से हैंडपंप का आर्सेनिक से प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। भूजल के आर्सेनिक प्रदूषण के स्वास्थ्य पर और सामाजिक–आर्थिक प्रभाव दूरगामी हैं। आर्सेनिक से प्रदूषित जल से तैयार खाद्य पदार्थ उन इलाकों में भी बेचे जाते हैं जहां इसका प्रदूषण नहीं है। इस तरह इन इलाकों के लोग भी खाद्य पदार्थों के जरिए आर्सेनिक के प्रभाव में आ जाते हैं जिससे एक नया खतरा पैदा हो सकता है।

भारत सरकार का पेयजल और स्वच्छता विभाग कोलकाता में डायमंड हार्बर रोड स्थित जोका में अंतर्राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केन्द्र (आईसीडीडब्ल्यूक्यू) स्थापित कर रहा है। इस केंद्र को सोसायटी पंजीकरण कानून, 1860 के तहत सोसायटी के तौर पर नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया है। यह केंद्र भारत और विदेश में पेयजल की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं की पहचान, शमन और प्रबंधन के क्षेत्र में काम करेगा। आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रदूषण पर उसका खास ध्यान होगा। वह ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में और खासतौर से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत नीतिगत–स्तर पर फैसले के लिए जानकारियां मुहैया कराएगा। यह पेयजल की गुणवत्ता के मामले पर अनुसंधान और विकास गतिविधियों, विभिन्न शोधन प्रौद्योगिकियों के आकलन, प्रशिक्षण, सभी संबंधित संगठनों के साथ नेटवर्किंग तथा डॉक्टरेट और उसके बाद के अध्ययन को प्रोत्साहित करेगा। यह भारत के ग्रामीण और शहरी–दोनों तरह के क्षेत्रों के लिए काम करेगा।

स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था

एक बीमार व्यक्ति अर्थव्यवस्था पर बोझ होता है। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार से आर्थिक विकास को बल मिलता है। बेहतर स्वास्थ्य से उत्पादकता बढ़ती है। यह जीवनआशा को बढ़ाकर मानव पूंजी संग्रह में सुधार लाने के अलावा आर्थिक विकास पर बीमारी का बोझ घटाता है। देश भर में किए गए एक शोध के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के बीच सानुपाती संबंध है। एचडीआई में स्वास्थ्य, जीवनआशा और प्रति व्यक्ति आय शामिल है (सिंह यूके, 2018)। भारत में उदारीकरण के बाद जीडीपी विकास दर में सुधार आया है। इसके साथ मृत्यु दर में गिरावट और जीवनआशा में सुधार देखने को मिला है। मगर विभिन्न समूहों और उपसमूहों के बीच फर्क अब भी मौजूद है। स्वास्थ्य और सलामती एसडीजी का वह तीसरा लक्ष्य है जिसे भारत को 2030 तक हासिल करना है। भारत सरकार ने इसके महत्व को समझते हुए रोगों के उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य की ढांचागत सुविधाओं को मज़बूत करने का संकल्प जाहिर किया है। वह समूची आबादी को उपचार और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने तथा नए उभरते स्वास्थ्य संबंधी मसलों को सुलझाने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसे हासिल करने के लिए सरकार ने 'आयुष्मान भारत' योजना शुरू की है। इस योजना में 40 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को सालाना पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है।

उपसंहार

स्वतंत्र भारत के निर्माताओं के पास भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्पष्ट नजरिया था। इसे उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति, सौहार्द तथा समावेशी, न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज के लिए संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट किया। प्रकृति से साहचर्य वाले बहुरंगी और सांस्कृतिक तौर पर संपन्न समाज को आर्थिक विकास के क्रम में अस्वच्छ स्थितियों और इनके अवांछित परिणामों का सामना करना पड़ता है। सरकार अपने कार्यक्रमों को जनता की ताकत देने और उन्हें व्यापक जन–आंदोलन में तब्दील करने के लिए नई रणनीतिक ऊर्जा के साथ काम कर रही है। यह अन्य देशों के लिए विस्मयकारक और अनुकरणीय है। स्वच्छता और साफ–सफाई समाज और व्यक्ति के तौर पर हमारे लिए सदाचार और जीने का सलीका हैं। किसी ने ठीक ही कहा है– 'स्वच्छता का दर्जा ईश्वर भक्ति के बराबर है।'

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के पोस्टडॉक्टोरल फेलो हैं। वर्तमान में वह 'फ्रॉम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स : केस स्टडी ऑफ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका' परियोजना पर काम कर रहे हैं।)

ई–मेल है : singh.utsav@gmail.com

Scanned by CamScanner

केंद्रीय बजट 2019-20

वित्तमंत्री के बजट भाषण के अंश

- "भारत की विकास गाथा में और विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एक सुखद अध्याय है। यह सरकार महिलाओं की इस भूमिका को प्रोत्साहित करना और सुविधाजनक बनाना चाहती है।"
- "हम वैध लाभ–अर्जन को कमतर करके नहीं दिखते। नीतिगत पक्षाघात और लाइसेंस–कोटा–नियंत्रण शासन के दिन चले गए हैं। भारत इंक (सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर) भारत के रोज़गार निर्माता हैं। वे देश के संपदा निर्माता हैं। एक साथ, आपसी विश्वास के साथ, हम तेजी से लाभ प्राप्त कर निरंतर राष्ट्रीय विकास कर सकते हैं।"
- "भारत सरकार ने लगभग तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को, जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ से कम है, एक नई योजना **प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना** के माध्यम से पेंशन लाभ देने का फैसला किया है। योजना में नामांकन प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा जिसमें केवल आधार और बैंक खाता देना ज़रूरी होगा, बाकी स्व–घोषणा पर निर्भर करेगा।"
- "स्टैंडअप इंडिया योजना ने मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान को बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बल्क एलपीजी परिवहन प्रदान करने में अनु.जाति/जनजाति उद्यमियों को सक्षम किया है। दो वर्षों में 300 से अधिक उद्यमी सामने आए हैं। मशीनों और रोबोटों को सफाई (स्कैवेंजिंग) करने के लिए तैनात किया गया है, जिसने मैनुअल स्कैवेंजर्स की गरिमा को बचाया है।"
- "कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, हम पॉवर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में सफल मॉडल– वन नेशन, वन ग्रिड का निर्माण करेंगे। मैं इस साल गैस ग्रिड, पानी ग्रिड, आई–वे और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए एक खाका उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूं।"
- "मैं सामाजिक कल्याण उद्देश्य के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए सेबी के विनियामक दायरे के तहत इलेक्ट्रॉनिक फंड जुटाने के लिए एक सामाजिक कोष विनिमय का प्रस्ताव करती हूं ताकि वे इक्विटी, ऋण या म्यूचुअल फंड जैसी इकाइयों के रूप में पूंजी जुटा सकें।"
- "केंद्रीय मंत्रालयों और सीपीएसई के भूमि पार्सल पर बड़े सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सकता है। ये कार्य अभिनव उपकरणों जैसे संयुक्त विकास और रियायत, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और किफायती आवास के माध्यम से किया जाएगा।"

(स्रोत: www.pib.nic.in)

Scanned by CamScanner

केंद्रीय बजट 2019-20

ग्रामीण भारत पर ग्रामीण विकास मंत्री

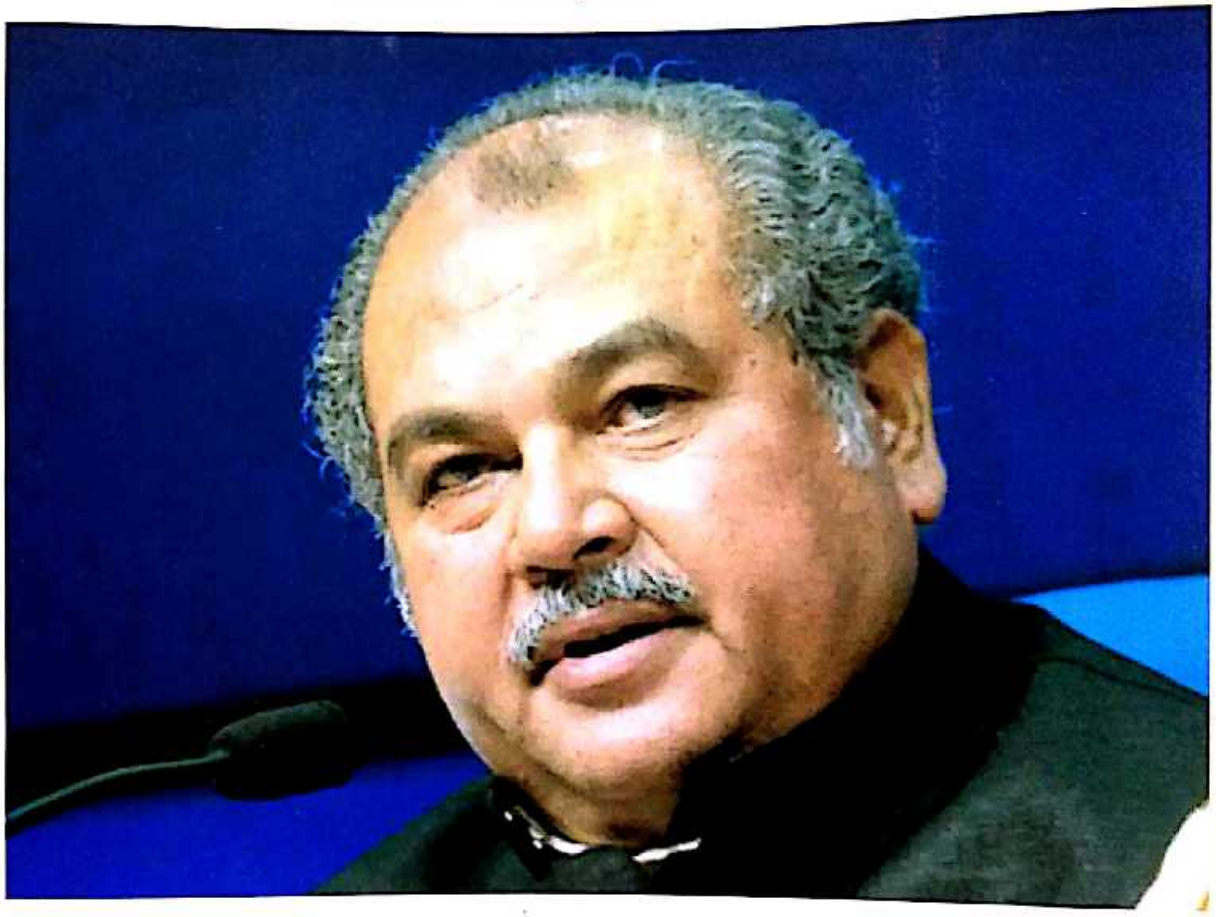

- कृषि और ग्रामीण विकास सभी से संबंधित हैं और देश के लिए ये दोनों क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।
- पिछले पांच वर्षों में 2014–15 से 2019–20 के दौरान फंड आवंटन में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि है और सरकार बेहद तीव्र गति से काम कर रही है।
- मनरेगा के तहत बजटीय आवंटन कम नहीं किया गया है, बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में 6000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है और अगर ज़रूरत हुई तो संशोधित अनुमान के माध्यम से और बढ़ाया जा सकता है।
- 2014 के बाद से "गांव, गरीब और किसान" पर ध्यान केंद्रित किया गया है और सरकार अपने नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के प्रति समर्पित है।
- सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बड़ी चुनौती हाथ में ली है और सरकार की विभिन्न योजनाएं और उठाए गए कदम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं।
- प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर जल संसाधनों के प्रबंधन में दक्षता सुधारने की दिशा में काम किया है।
- प्रधानमंत्री ने देशभर में, गांव, गरीब, किसान की प्रगति को प्रधानता दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 2019–20 में बजटीय आवंटन में 140 प्रतिशत की वृद्धि इस प्रगति को प्राप्त करने के प्रति प्रधानमंत्री के समर्पण को दर्शाती है।
- नए भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में किसानों का बहुत बड़ा योगदान होगा जिसे नवाचार, निवेश, संस्थानीकरण, बुनियादी ढांचे और एकीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

(स्रोत : www.pib.nic.in)

Scanned by CamScanner

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2018-20
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20
01 अगस्त, 2019 को प्रकाशित एवं 5-6 अगस्त, 2019 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा)
19 बुकलेट्स

सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा)
26 बुकलेट्स

इतिहास (वैकल्पिक विषय)
12 बुकलेट्स

सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रारंभिक परीक्षा)
27 बुकलेट्स

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
31 बुकलेट्स

दर्शन शास्त्र (वैकल्पिक विषय)
4 बुकलेट्स

सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
39 बुकलेट्स

हिन्दी साहित्य (वैकल्पिक विषय)
13 बुकलेट्स

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
33 + 10 बुकलेट्स

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
33 बुकलेट्स

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
28 + 8 बुकलेट्स

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
28 बुकलेट्स

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
34 बुकलेट्स

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
25 बुकलेट्स

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
28 बुकलेट्स

सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
28 + 8 बुकलेट्स

छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. (CGPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
35 बुकलेट्स

सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
35 + 6 बुकलेट्स

Distance Learning Programme (DLP) in English Medium

for UPSC CSE Examination

Prelims	18 GS + 3 CSAT Booklets
Mains	18 GS Booklets
Prelims + Mains	36 GS + 3 CSAT Booklets

for UPPCS Mains Examination

19 GS + 1 Essay +
1 Compulsory Hindi Booklets

Buy Now At www.drishtiias.com

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

प्रकाशक और मुद्रक: डॉ. साधना राउत, प्रधान महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना

Scanned by CamScanner